दशम माला, खंड 38, अंक 1

बुधवार, 29 मार्च, 1995
8 चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

29 मार्च, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद
के हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र

....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
विषय सूची	14	महामन्या; मंगरनायके; कुमार तुंगा	महामान्या; भंडारनायके; कुमारतुंगा
23	19	(क) से (ग)	(क) से (घ)
127	35	(क) से (ख)	(क) और (ख)
141	6	(ख)	(ख) और (ग)
194	33	(क) से (ङ)	(क), (ख), (ग) और (ङ)
223	4	"मंत्री द्वारा वक्तव्य जारी" का लोप किया जाए ।	
223	8	महामहिम	महामान्या

विषय-सूची

दशम माला, खंड 39, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 12, बुधवार, 29 मार्च, 1995/8 चैत्र, 1917 (शक)

विषय		कालम
अन्वित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	221-240	1—22
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	1	22—23
अतारांकित प्रश्न संख्या	2274-2454	23—208
बिहार में मतगणना के बारे में		209—210, 225—226
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		211—221
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		221—224
(एक) बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना—सभा पटल पर रखा गया		
श्री पी.एम. सईद		221—222
(दो) श्रीलंका की राष्ट्रपति महामन्या श्रीमती चन्द्रिका मंगरनायके कुमार तुंगा की भारत यात्रा—सभा पटल पर रखा गया		
श्री प्रणव मुखर्जी		223—224

लोक सभा

बुधवार, 29 मार्च, 1995/8, चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

11.00 म.पू.

(व्यवधान)

इस समय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : कल इन लोगों ने प्रश्न काल रोका था। आज भी वे ऐसा ही कर रहे हैं। महोदय, यह क्या हो रहा है? **(व्यवधान)** वे इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। परंतु यह तरीका ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : निर्मल जी आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तरीके से पेश आएं मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से चल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव यह संसद है, आप यहां गली जैसा माहौल न बनाए। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से चले।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 12.00 बजे मध्यान्ह पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

11.00 म.पू.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना

* 221. **श्री विजय एन. पाटील :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्व-रोजगार प्रदान करने के लिये गत दो वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का व्यावसायिक एजेन्सियों द्वारा वस्तुपूरक मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए चलायी जा रही एक प्लॉन योजना है और इसकी निगरानी सृजित रोजगार के आधार पर की जाती है। विगत दो वर्षों के दौरान अर्थात 1992-93 और 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार सृजित रोजगार संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) और (ग). जवाहर रोजगार योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार ने 1992 में देश के सभी जिलों में 33 ख्यातिप्राप्त अनुसंधान संस्थानों की मार्फत जवाहर रोजगार योजना का एक समवर्ती मूल्यांकन करवाया था। सृजित रोजगार के संबंध में कार्यक्रम के प्रभाव, सृजित परिसंपत्तियों के प्रकार, कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी गयी मजदूरी, जवाहर रोजगार योजना के श्रमिकों की सामाजिक स्थिति और व्यावसायिक पृष्ठभूमि, वितरित खाद्यान्नों की गुणवत्ता आदि समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य मुद्दे थे। समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

1992-93 एवं 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन

(लाख श्रमदिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93			1993-94		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	659.76	677.93	102.75	1025.61	1028.90	100.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.01	6.52	65.13	10.01	4.85	48.45
3.	असम	119.72	109.72	91.65	228.90	278.24	121.56

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	937.94	1036.16	110.47	1467.71	1474.25	100.45
5.	गोवा	8.36	8.12	97.13	10.12	8.53	94.29
6.	गुजरात	236.73	235.03	99.28	211.40	232.64	110.05
7.	हरियाणा	33.71	32.63	96.80	38.64	33.29	86.15
8.	हिमाचल प्रदेश	29.77	26.16	87.87	33.73	34.54	102.40
9.	जम्मू व कश्मीर	62.87	43.01	68.41	72.75	32.16	44.21
10.	कर्नाटक	441.08	118.29	94.83	719.01	651.30	90.71
11.	केरल	138.63	134.54	97.05	113.47	120.43	106.13
12.	मध्य प्रदेश	643.77	709.66	110.24	766.00	849.24	110.87
13.	महाराष्ट्र	838.77	923.53	98.18	1378.27	1180.50	86.23
14.	मणिपुर	9.84	5.23	53.15	14.84	6.68	45.01
15.	मेघालय	11.61	8.90	76.66	16.89	9.55	56.54
16.	मिजोरम	4.37	4.78	109.38	5.24	6.32	120.61
17.	नागालैंड	20.74	15.47	74.59	14.74	16.02	108.68
18.	उड़ीसा	306.52	326.39	106.48	557.70	522.96	93.77
19.	पंजाब	24.67	31.78	128.82	29.93	38.57	128.87
20.	राजस्थान	340.62	339.09	99.55	426.66	450.37	105.56
21.	सिक्किम	6.66	13.42	201.50	8.19	10.14	123.81
22.	तमिलनाडु	671.94	767.85	114.23	853.62	881.10	103.22
23.	त्रिपुरा	18.10	13.94	77.02	22.04	23.41	106.22
24.	उत्तर प्रदेश	1389.00	1496.29	107.72	1779.57	1791.16	100.65
25.	पश्चिम बंगाल	557.24	525.55	94.31	563.81	554.03	93.27
26.	अंडमान व निकोबार	4.47	1.71	39.26	3.27	1.81	55.35
27.	दादर व नगर हवेली	3.55	2.70	76.06	2.73	2.34	85.71
28.	दमन व द्वीव	1.63	0.12	7.36	1.63	0.59	36.20
29.	लक्षद्वीप	2.55	2.68	105.10	2.62	2.21	84.35
30.	पांडिचेरी	3.32	3.81	114.76	5.16	4.27	92.75
	कुल	7537.95	7821.02	103.75	10393.26	10259.40	98.80

विवरण–II

समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष

1. उपलब्ध निधियों का लगभग 73 प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास परियोजनाएं आरंभ करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा खर्च किया गया। कुछ राज्यों अर्थात जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी में उपयोग उपलब्ध निधियों के 100 प्रतिशत से भी अधिक था।

2. जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा पूरी की गयी 57 प्रतिशत परिसम्पत्तियों में ग्रामीण संपर्क सड़कों, पंचायत घरों, स्कूल भवनों तथा सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी थी।

3. प्रायः सभी राज्यों (पंजाब को छोड़कर) में अकुशल श्रमिकों को प्रति श्रमदिन दी जाने वाली औसत मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के लगभग बराबर थी।

4. अखिल भारतीय स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किये गये जवाहर रोजगार योजना के कार्यों के खर्च के मजदूरी और गैर–मजदूरी घटक क्रमशः 53 प्रतिशत और 47 प्रतिशत थे।

5. अधिकतर मामलों में कामगारों को मजदूरी का भुगतान दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर किया गया। केवल कुछ ही मामलों में ऐसा पाक्षिक अथवा मासिक आधार पर दिया गया।

6. लगभग 84 प्रतिशत मामलों में मस्टर रोल रखे गये थे जो ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध थे।

7. कुल सृजित परिसम्पत्तियों की लगभग 74 प्रतिशत परिसम्पत्तियों को अच्छा/संतोषप्रद पाया गया, 8 प्रतिशत को खराब तथा शेष 18 प्रतिशत या तो अपूर्ण थीं अथवा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं थीं।

8. अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण के पूर्ण अंतिम 30 दिनों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के प्रत्येक कामगार को मोटे तौर पर 4 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ और उसके परिवार के एक अन्य सदस्य को भी रोजगार का एक अन्य श्रमदिन प्राप्त हुआ। असम, गोवा, उड़ीसा और लक्षद्वीप जैसे कतिपय राज्यों में यह 10 दिनों से अधिक था।

9. बहुसंख्य मामलों में सृजित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा था। तथापि, 17.5 प्रतिशत मामलों में उनका रख-रखाव किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा था।

रिपोर्ट में कतिपय चिंताजनक विषयों का भी उल्लेख किया गया है। ये निम्नलिखित हैं :

1. अधिकतर मामलों में जवाहर रोजगार योजना के कार्य शुरू करने के लिए पंचायत प्रमुखों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था।
2. रोजगार में महिलाओं का हिस्सा केवल 20 प्रतिशत था।
3. असम, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी जैसे कुछ राज्यों में ग्राम सभा की बैठकों में वार्षिक कार्य योजना पर बिल्कुल ही चर्चा नहीं की गयी।
4. आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी जैसे कुछ राज्यों में अकुशल पुरूष और महिला श्रमिकों को प्रति श्रमदिन दिये जाने वाली औसत मजदूरी में अंतर था।
5. "अपात्र" श्रेणी के श्रमिक भी कार्यक्रम का लाभ उठा रहे थे।

लंबित मामले

***222. श्री हाराधन राय :**

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1994 को उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने मामले लंबित पड़े हुए थे;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान उच्चतम न्यायालय में कितन मामले दाखिल किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटारा किया गया;

(घ) क्या सरकार के पास देश में विद्यमान न्यायिक प्रणाली में सुधार करने हेतु योजनाएं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). विवरण-I जिसमें उपलब्ध जानकारी अंतर्विष्ट है, संलग्न है।

(घ) से (च). विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

क्र.सं.		उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीखों को लम्बित मामलों की संख्या		वर्ष 1993-94 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या
I.	1.	इलाहाबाद	765426	(30-9-1994)	82563
	2.	आंध्र प्रदेश	132974	(30-11-1994)	25824 *
	3.	मुंबई	199782	(30-9-1994)	96722 *
	4.	कलकत्ता	236394	(30-9-1994)	35544**
	5.	दिल्ली	138482	(31-12-1993)	45164 *
	6.	गुजरात	96318	(31-12-1994)	48772
	7.	गुवाहाटी	26641	(30-6-1994)	12697
	8.	हिमाचल प्रदेश	17991	(30-11-1994)	10266
	9.	जम्मू-कश्मीर	82657	(30-6-1994)	16725 *
	10.	कर्नाटक	157672	(31-10-1994)	40740
	11.	केरल	169530	(31-12-1994)	23724
	12.	मध्य प्रदेश	68404	(31-12-1994)	23375 *
	13.	मद्रास	347514	(30-9-1994)	96605
	14.	उड़ीसा	47970	(31-12-1994)	35239 *
	15.	पटना	91758	(30-6-1994)	51213 *
	16.	पंजाब और हरियाणा	142342	(30-9-1994)	69652
	17.	राजस्थान	91001	(30-9-1994)	43526 *
	18.	सिक्किम	37	(30-11-1994)	138

II. उच्चतम न्यायालय

1993-94 में फाइल किए गए मामलों की संख्या	1993-94 में निपटाए गए मामलों की सं.	30-9-1994 को मामलों की सं.
35,273	39,617	38,073

(केवल नियमित सुनवाई के मामले)

* 1-1-1993 से 31-12-1993 की अवधि के संबंध में आंकड़े

** 1-1-1993 से 31-3-1994 की अवधि के संबंध में आंकड़े

विवरण-II

न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए, वर्ष 1989 में सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों की एक समिति (न्यायमूर्ति मलिमथ समिति) का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न पहलुओं के संबंध में कई सिफारिशें की है, जिनके अंतर्गत अधिकारिता विषयक और प्रक्रिया संबंधी उपतिरण, न्यायपालिका में सुधार, विनिर्दिष्ट किस्म के मामलों को निपटाने के लिए अधिकरणों/आयोगों जैसे विशेषज्ञ निकायों की स्थापना करना, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या नियत करना और न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना, अधीनस्थ न्यायपालिका में अधिक पदों को सृजित करना है और न्यायालयों में कार्यालय उपस्करों के आधुनिकीकरण और न्यायपालिका के लिए अधिक निधियों का आबंटन, आदि से संबंधित कई अन्य साधारण सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को, अन्य बातों के साथ, सभी संबद्ध राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बकाया मामलों की समस्या से यथासंभव शीघ्र निपटने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए 4 दिसंबर, 1993 को मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन में कई उपायों की सिफारिश की गई जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर् लिया गया है और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालयों/अधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तत्पश्चात् ग्रामीण मुकदमेबाजी, प्रशासनिक अधिकरणों में बकाया मामलों और वैकल्पिक विवाद समाधान से संबंधित उपर्युक्त सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए विधि मंत्रियों के तीन कार्य समूहों की बैठक हुई। दिसंबर, 1993 के संकल्प के कार्यान्वयन और कार्य समूहों द्वारा की गई सिफारिशों का विधि मंत्रियों के नवंबर, 1994 में कलकत्ता में हुए अपने खुले अधिवेशन में पुनर्विलोकन किया। अधिवेशन ने अंगीकृत किए गए संकल्पों को सभी संबद्ध प्राधिकरणों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

मामलों के शीघ्र निपटारे में मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से न्याय प्रशासन को एक योजना मद बनाया गया है।

अमरीका के साथ समझौता

*223. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहायता हेतु अमरीका के साथ हाल ही में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के अंतर्गत देश में कितने लघु जल विद्युत एककों की स्थापना की जाएगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). जुलाई, 1994 से अब तक विद्युत मंत्रालय द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा दो समझौता ज्ञापनों पर अमेरिका के ऊर्जा विभाग के साथ हस्ताक्षर किए गए। विद्युत मंत्रालय द्वारा 13 जुलाई, 1994 को हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में दोनों पक्षों के बीच सम्पर्क कायम करने के लिए ऊर्जा पर एक उप-मंत्रालयी कार्यकारी ग्रुप की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है।

सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय उत्पादों के परीक्षण, गैर-मालिकाना वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान, सौर विकिरण डाटा संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार, भारत तथा अमेरिका दोनों ही देशों में अक्षय ऊर्जा सूचना नेटवर्क के बीच सम्पर्कों की स्थापना आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सौर ऊर्जा केन्द्र ने संयुक्त राज अमेरिका के ऊर्जा विभाग की राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर 21.12.94 को हस्ताक्षर किए गए।

पारस्परिक हित के लिए अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन, विकास और प्रदर्शन के लिए इस मंत्रालय द्वारा 13.02.95 को इलैक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (ईपीआरआई), संयुक्त राज अमेरिका के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस उद्देश्य के लिए भारत में उन्नत लागत-प्रभावी प्रकाशवोल्टीय, पवन और बायोमास रूपान्तरण प्रौद्योगिकियों को लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए दोनों ही ओर से संस्थाओं, एजेंसियों और उद्योगों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जायेंगे।

इन समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन से भारत में वे प्रौद्योगिकियां आ सकेंगी, जो संयुक्त राज अमेरिका द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित की गई हैं और इससे अमेरिकी निवेश भी आकर्षित होगा, जो भारत में अक्षय ऊर्जा संभाव्यता के दोहन में सहायक होगा।

इसके अलावा इन समझौता ज्ञापनों पर दोनों पक्षों की ओर से संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए हैं जिससे संयुक्त उद्यम शुरू किए जा सकेंगे और इनसे ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए निवेश प्राप्त होंगे। इन समझौता ज्ञापनों में से छः परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और कर्नाटक में, लघु पन बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए हैं। इन समझौता ज्ञापनों में लगभग 80 मेवा. समग्र क्षमता की लघु पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

खादी संस्थाएं

*224. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खादी संस्थाओं को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). देश में कुछ खादी संस्थानों को छूट और ब्याज राज सहायता के भुगतान संबंधी दावों को पूरा करने संबंधी उनकी असमर्थता के कारण वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) खादी छूट और ब्याज राजसहायता के भुगतान के लिये बजट आवंटनों में वृद्धि के जरिये कुछ तत्काल उपचारात्मक उपाय पहले ही किये गये हैं। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया है ताकि इस क्षेत्र में धन राशि के अंतर्प्रवाह के प्रश्न सहित खादी और ग्रामोद्योग के सम्पूर्ण कार्यकलापों की जांच की जा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सिफारिशों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

कुष्ठ रोग

*225. **श्री वी. कृष्णा राव :**
श्री सी.पी. मुडलगिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से व्यक्तियों का यह मत है कि कुष्ठ रोग लाइलाज और वंशानुगत है;

(ख) यदि हां, तो कुष्ठ रोग के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और इस रोग का आरंभिक अवस्था में पता लगाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना भी तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). हालांकि यह सच है कि जनसंख्या के एक बहुत छोटे से वर्ग को इस रोग के ठीक अथवा इस रोग के वंशानुगत होने के बारे में भ्रान्तियां बनी रहीं। ठीक हुए रोगियों की अधिक दर ऐसी भ्रान्तियों को धीरे-धीरे कम कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐसी भ्रान्तियों को लोगों के दिमाग से निकालने और सही तथा वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी अभिकरणों के माध्यम से गहन स्वास्थ्य शैक्षणिक कार्यकलाप शुरू कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों को घरों पर ही उपचार संबंधी सेवाएं, बहु-औषध चिकित्सा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। शुरू में ही अपने आप की सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ी हुई जागरूकता के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एक केन्द्रीय संघटक है। स्थानीय लोक प्रचार साधनों, शिविरों, संगोष्ठियों, पोस्टर अभियानों और कुष्ठ पर फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता है। कुष्ठ पर सही सन्देशों और उपचार की उपलब्धता का प्रचार-प्रसार करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रचार साधनों और प्रेस को भी शामिल किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांगता की रोक-थाम के लिए शुरू में ही उपचार करने और पूर्ण रूप से स्वस्थता पर जोर दिया जाता है। 75 पुनर्संरचनात्मक शल्य चिकित्सा एककों और 50 कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन एककों के माध्यम से पर्याप्त चिकित्सीय पुनर्वास, कुष्ठ अल्सर परिचर्या और व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। संवेदना शून्य पैर को माइक्रो सेल्यूलर रबर की (एम.सी.आर.) की चप्पलें प्रदान की जाती हैं।

गांवों में व्याप्त निर्धनता

*226. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नितान्त गरीबी से ग्रस्त गांवों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन गांवों के उत्थान हेतु जो कार्यक्रम चलाए थे उनमें कौन-कौन सी कमियों का पता लगाया है; और

(घ) सरकार ने इन कमियों को दूर करने और इन गांवों की निर्धनता की समस्या से निपटने हेतु क्या नीति बनायी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारचीभाई पटेल) : (क) और (ख). राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर गरीबी अनुपात के नवीनतम अनुमान 1987-88 से संबंधित हैं। ये अनुमान राज्य स्तरीय गरीबी अनुपात के लिए ही तैयार किए जाते हैं।

(ग) और (घ). ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना नामक दो मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। इन कार्यक्रमों की उनके कार्यान्वयन में कमियों, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए केन्द्र द्वारा आवधिक रिपोर्टों, क्षेत्र दौरों, कार्यशालाओं और सेमिनारों, केन्द्र एवं राज्य स्तर समन्वय समितियों तथा कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन की मार्फत सतत् समीक्षा की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में कार्यक्रम में पता लगाई गई कुछ कमियां (1) प्रति परिवार निवेश का निम्न स्तर (2) निवेश परियोजनाओं को बैंक ग्राह्य बनाने में कमियां (3) गरीब परिवारों के द्वारा ऋण आधारित परिसम्पत्तियों के रखरखाव में अपर्याप्त कुशलता

(4) लाभार्थियों से ऋण वसूली की दर का निम्न स्तर है। इन कमियों को दूर करने के लिए अपनाई गई नितियां (क) प्रति परिवार निवेश के समग्र स्तर को बढ़ाकर 12,000 रुपये करना, (ख) ग्राम सभा कीं भागीदारी पर विशेष बल देते हुए लाभार्थियों के चयन संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार करना, (ग) परियोजनाओं की तैयारी के लिए तकनीकी निवेशों को सुदृढ़ करना, (घ) पारिवारिक ऋण योजना की कवरेज का देश के और जिलों में विस्तार करना, (ङ) ढांचागत विकास के लिए मानदंडो का उदारीकरण, (च) ट्राइसेम लाभार्थियों को दिए जाने वाले वजीफे की राशि में वृद्धि करना और (छ) ऋणों की वसूली की दर में सुधार लाने के लिए वसूली कैम्पों का आयोजन करना है।

जवाहर रोजगार योजना के संबंध में पता लगाई गई महत्वपूर्ण कमियां हैं (1) पंचायतों के कुछ निर्वाचित प्रमुख जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, (2) कुछ राज्यों में ग्राम सभा की बैठकों में वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा नहीं की गई थी, (3) निर्माण कार्यों में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का कम उपयोग किया गया था और (4) रोजगार सृजन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। ऊपर निर्दिष्ट विभिन्न कमियों को जवाहर रोजगार योजना के बेहतर एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपचारी उपाय करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों की जानकारी में लाया गया है। इसके अतिरिक्त हाल ही में कई नई पहलें और नीतियां अपनाई गई है जिनमें (1) देश के 120 पिछड़े जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना शुरू करना, (2) भारत में पिछड़े जिलों और राज्यों के 2,443 खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना आरंभ करना, (3) आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में काफी वृद्धि करना (4) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करना शामिल है।

ग्रामीण विकास के लिए कुल आवंटन को सातवीं योजना के लगभग 10,955 करोड़ रुपये के खर्च की तुलना में आठवीं योजना के दौरान काफी बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर और अधिक बल दिया जा रहा है। आठवीं योजना अवधि के दौरान सरकार की नीति आदिवासी, पर्वतीय, मरूस्थलीय क्षेत्रों में बारहमासी सडकों, लघु सिंचाई कार्यों एवं जल एकत्रीकरण ढांचों, स्कूल भवनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि जैसे ग्रामीण ढांचों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास के बढ़े हुए आवंटनों का उपयोग करने की है। आशा की जाती है कि इस नीति से ग्रामीण लोगों को अधिक स्थायी रोजगार मुहैया कराने और गांवों का विकास करने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

***227. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जवाहर रोजगार योजना" जैसी केन्द्रीय सरकार की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में अधिक सहायता नहीं मिली है;

(ख) क्या अभी भी श्रमिक गांवों से निरन्तर बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग). जवाहर रोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.4.1989 से कार्यान्वित की जा रही है जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार प्राप्त लोगों को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। प्रक्रिया के दौरान इससे ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी रोजगार सहित सीधे और सतत् लाभ के लिए आर्थिक उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन भी होता है।

यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना जैसे मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों और श्रमिकों का पलायन पूरी तरह नियंत्रित नहीं हुआ है लेकिन निःसंदेह इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा यह महसूस किया जाता है कि ग्रामीण पलायन की समस्या को काफी हद तक मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के लिए 1993-94 से नीति में परिवर्तन के द्वारा कमी लाई जा सकती है। इन कार्यक्रमों को देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में गहन बनाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से देश के चुने गए 120 पिछड़े जिलों, जहां बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी की अधिकता है, में जवाहर रोजगार योजना को गहन बनाने के लिए 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना का दूसरा दौर शुरू किया गया है। विशिष्ट क्षेत्रों और उपेक्षित समूहों के लिए विशेष और अभिनव परियोजनाएं भी उनकी स्थिति में सुधार लाने एवं श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए चलाई जाती हैं। भारत सरकार ने 2 अक्तूबर, 1993 से सुनिश्चित रोजगार योजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्य 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो रोजगार करना चाहते हैं, को गैर-कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है। सुनिश्चित रोजगार योजना देश के उन 2443 पिछड़े खंडों में चलाई जा रही है जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी आन्तरनिवासों एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अवस्थित हैं। जवाहर रोजगार योजना के दूसरे दौर सहित जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, इसके आरम्भ से लेकर अब तक (फरवरी 1995 तक) रोजगार के 5015.68 मिलियन श्रम दिन सृजित किए गए हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 1993-94 और 1994-95 (फरवरी, 1995 तक) के दौरान 237.48 मिलियन श्रम दिनों का सृजन किया गया है। क्षेत्र से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि इन मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों के पलायन को निर्मंत्रित करने मे काफी हद तक सहायता मिली है।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा कोयले का आयात

*228. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम अपने देश से कोयला प्राप्त नहीं कर सका है और इसलिए इसने इसके आयात हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त निगम का इसकी सीमेंट लेने वाले को कोयले की निविदा मंजूर करने में प्राथमिकता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निगम को अपने देश में अपने सीमेंट के लिए बाजार नहीं मिल रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने 30,000 मीट्रिक टन, गुणवत्तायुक्त भाप वाले कोयले के आयात हेतु विश्वव्यापी निविदा मांगी हैं, ताकि साख-पत्र के विरूद्ध आपूर्ति तथा कोयले के आयात को सीमेंट के निर्यात से जोड़ने सहित, कोयला अधिक लाभकर निबंधनों पर प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कागज की कमी

*229. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में कागज की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लुगदी के मूल्यों में वृद्धि के कारण भारतीय आयातकों को कागज-उत्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जायेंगे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). कुछ भागों में कागज की कमी होने की सूचना मिली है, हालांकि इसके उत्पादन में कोई मन्दी नहीं आई है। कागज की कमी आंशिक रूप से कागज का अखबारी कागज की ओर दिशान्तरण करने और आंशिक रूप से पड़ौसी देशों को इसका निर्यात करने के कारण आई है।

(ग) और (घ). यद्यपि, भारतीय आयातकर्ताओं ने किसी विशिष्ट कठिनाई की सूचना नहीं दी है, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लुग्दी के मूल्यों में वृद्धि से कागज के विनिर्माण में निविष्टियों की लागत में वृद्धि हुई है।

मेडिकल और डेंटल कालेज

*230. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में गैर-सरकारी मेडिकल और डेंटल कालेजों में प्रवेश हेतु नये मार्गनिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कालेजों द्वारा इन मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से तैयार किए विनियमों में प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कालेजों में अप्रवासी भारतीयों/विदेशी छात्रों की भर्ती प्रक्रिया, सीटों के आबंटन, शुल्क और प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश शामिल है।

(ग) ये विनियम सांविधिक हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

*231. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष की वित्तीय शक्तियों में कमी करने से इसकी प्रभावशीलता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए अन्य क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). 1994-95 के बजट अनुमानों में राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए 700 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई थी। संशोधित अनुमानों में यह आवंटन घटाकर 200 करोड़ रु. कर दिया गया है। क्योंकि वर्ष के प्रारम्भ में लगभग 299 करोड़ रु. बचे हुए थे। 1995-96 में प्रस्तावित

बजट आवंटन 300 करोड़ रु. है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष के वित्तीय अधिकारों को कम नहीं किया गया है।

(ग) उन रूग्ण/कमजोर औद्योगिक एककों के पुनरूजीवन के लिए, जिन्हें संभावित रूप से जीव्य समझा गया था, पुनर्स्थापना पैकेज तैयार/करने/कार्यान्वित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए, बैंक रूग्ण/कमजोर एककों के संबंध में जीव्यता अध्ययन करते हैं और जीव्य और अजीव्य एककों का पता लगाते हैं। पुनर्स्थापना पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों की मौजूदा बकाया राशि के लिए चरण-बद्ध रूप में भुगतान के लिए बढ़ाई गई अवधि में धनराशि प्रदान करने, ब्याज में रियायत, नये सावधिक ऋणों को मंजूरी देने और नयी कार्यशील पूंजी संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। जहां तक गैर-लघु औद्योगिक रूग्ण कंपनियों का संबंध है, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय अर्थात औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया है जिसे निवारात्मक सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपायों का निर्धारण करने तथा लागू करने का पर्याप्त अधिकार दिया गया है।

[अनुवाद]

लघु पन विद्युत परियोजनाएं

***232. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु पन विद्युत परियोजनाओं को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उदारतापूर्वक राज सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के उद्यमियों को भारतीय पुनःप्रयोज्य ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से विश्व बैंक ऋण उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो निजी एजेंसियों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने पर्वतीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं को और अधिक राज सहायता प्रदान करना स्वीकार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा 3 मेवा क्षमता तक की विभिन्न प्रकार की लघु पन-बिजली परियोजनाओं के लिए, चाहे वे ग्रिड की हों अथवा गैर-ग्रिड की, विद्युत और यांत्रिक उपकरणों तथा सिविल कार्यों हेतु स्थिर पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत तक आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस समय लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का कार्यक्षेत्र 3 मेवा क्षमता तक है। सरकार द्वारा इस सीमा को बढ़ाने के मामले की जांच की जा रही है।

(ग) सिंचाई बांध तलहटी और नहर आधारित स्थलों पर निजी क्षेत्र उद्यमियों द्वारा 15 मेवा. स्टेशन क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा विश्व बैंक साख लाइन चलाई जा रही है।

(घ) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को अब तक निजी क्षेत्र लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन परियोजनाओं के लिए ऋण मंजूर किए जा चुके हैं।

(ङ) और (च). पहाड़ी और उत्तर-पूर्व के क्षेत्र पहले से ही पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत उपलब्ध 50 प्रतिशत उच्चतम आर्थिक राज सहायता के पात्र हैं। इसे आगे और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमेंट के मूल्य

***233. श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान मूल्य वृद्धि की क्या प्रवृत्ति रही;

(ग) क्या सरकार ने सीमेंट के मूल्यों में सतत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). 1992-93 और 1993-94 के दौरान निविष्टियों की लागत, माल भाड़े, ईंधन आदि में वृद्धि के बावजूद सीमेंट के मूल्य स्थिर रहे हैं। तथापि, चालू वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ). इस समय सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रत्येक बाजार में मूल्यों पर कई कारणों से प्रभाव पड़ता है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा की सीमा, कारखानों से खपत केन्द्रों की दूरी, परिवर्धन की विधि, ब्राण्ड छवि इत्यादि। तथापि, चूंकि सीमेंट एक महत्वपूर्ण वस्तु है, इसलिए सरकार इसके मूल्यों की निरन्तर निगरानी करती है। हाल ही में सचिव, उद्योग ने देश में सीमेंट की मूल्य प्रवृत्तियों की समीक्षा करने के लिए सीमेंट विनिर्माताओं की एक बैठक की थी। विनिर्माताओं को मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। सरकार मूल्य प्रवृत्ति की

कड़ी निगरानी कर रही है। यह सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त सीमेंट वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट की ढुलाई के लिए सीमेंट उद्योग को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध भी करा रही है ताकि मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

*234. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की उन टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के अपने प्रतिवेदन में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में की थी; और

(ग) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों में कार्यक्रम की आवश्यकताओं और राज्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाता है/संशोधन किया गया है।

(ख) और (ग). परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट-1994 की संख्या 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के नोट पुनरीक्षण के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हृदय रोग

*235. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हृदय रोगों के कारण होने वाली मौतों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हृदय रोगों के कारण कितनी मौतों की सूचना मिली है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन रोगों के उपचार के लिए नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). हृदय रोगों की घटना और उनके कारण हुई मौतों के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी बढ़ती जीवन प्रत्याशा तथा आधुनिक जीवन के बढ़ते दबाव के साथ चक्रीय हृदय रोगों के बढ़ने की संभावना है।

(ग) और (घ). देश के अधिकतर प्रमुख अस्पतालों में हृदय रोगियों के लिए उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वित्तीय संसाधनों तथा प्राथमिकताओं के आधार पर समय-समय पर सुविधाओं का स्तर बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों में विस्फोट

*236. **श्री अन्ना जोशी :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आयुध कारखानों, गोला-बारूद कारखानों और अस्त्र-शस्त्र अनुसंधान केन्द्र में विस्फोटों तथा आग लगने की कितनी-कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) प्रत्येक घटना में जन-धन की कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या प्रयास किए गये?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : आयुध निर्माणियों और शस्त्रास्त्र समूह प्रयोगशालाओं में 01 अप्रैल, 1993 से विस्फोटक और आगजनी की घटनाएं :

क्र.सं.	निर्माणी/संगठन	घटना की तारीख	हानियां	
			मानव जीवन	संपत्ति (लाख रु. में) (अनुमानित)
1.	आयुध निर्माणी, चांदा	5 अप्रैल, 1993	1	1.0
2.	आयुध निर्माणी, खमरिया	16 सितंबर, 1993	शून्य	5.7
3.	आयुध निर्माणी, चांदा	21 दिसंबर, 1993	शून्य	नाममात्र
4.	आयुध निर्माणी, देहू रोड	12 जुलाई, 1994	1	0.1
5.	गोलाबारूद निर्माणी, खड़की	10 अक्तूबर, 1994	9	18.2
6.	आयुध निर्माणी, देहू रोड	03 दिसंबर, 1994	शून्य	1.0
		योग	11	26.0

(ग) से (ङ). प्रत्येक घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच बोर्ड गठित किया गया था। तीन घटनाओं के संबंध में जांच बोर्ड के निष्कर्ष आयुध निर्माणी बोर्ड की टिप्पणियों सहित मंत्रालय में प्राप्त हो गए हैं और इन पर विचार किया जा रहा है। तीन घटनाओं से संबंधित निष्कर्षों पर आयुध निर्माणी बोर्ड में जांच-पड़ताल चल रही है। सुधारात्मक उपायों के लिए छह रिपोर्टों में 55 सिफारिशें की गई है। आयुध निर्माणी बोर्ड ने इनमें से 43 सिफारिशें मंजूर कर कार्यान्वित कर दी हैं।

इसके अतिरिक्त आयुध निर्माणियों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए दो बड़ी निर्माणियों में अपेक्षित सुधारों पर अध्ययन करने और उन पर अधिक जोर देने के लिए अक्तूबर 1994 में दो सुरक्षा मूल्यांकन समितियां गठित की गई थीं। जिनमें से एक गोलाबारूद समूह और दूसरी विस्फोटक समूह से संबद्ध थी। इन दोनों समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं उन्हें कार्यान्वित किए जाने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड उन पर विचार कर रहा है।

आयुध निर्माणियों में सुरक्षा संबंधी सावधानियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के कार्य को सरकार सर्वाधिक महत्व देती है। आयुध निर्माणी महानिदेशक को इस संबंध में सरकार की चिन्ता से अवगत करा दिया गया है और उन्होंने भी निर्माणियों के महाप्रबंधकों को इस संबंध में विशेष रूप से सूचित कर दिया है।

मंदबुद्धि बच्चे

*237. **श्री मंजय लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मंदबुद्धि बच्चों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों और समाजसेवकों ने इस संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को क्या सिफारिशें प्रेषित की गई; और

(ङ) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). सर्वेक्षणों से पता चला है कि 2 से 2.5 प्रतिशत बच्चों को मंदता है।

(ग) से (ङ). मंदबुद्धि विषयक ग्यारवीं विश्व कांग्रेस ठाकुर हरि प्रसाद मानसिक विकलांग अनुसंधान तथा पुनर्वास संस्थान द्वारा नवम्बर, 1994 में आयोजित की गई थी। कांग्रेस ने मानसिक विकलांगों के लिए समान अधिकार दर्जा और अवसर प्रदान करने की घोषणा की। इसने पारिवारिक, सामाजिक और सरकारी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केन्द्रीय/राज्य सरकारें तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मंदबुद्धि के निवारण, शीघ्र पता लगाने, उपचार करने, शिक्षा प्रदान करने तथा पुनर्वास करने संबंधी कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सभी के लिए स्वास्थ्य

*238. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य" संबंधी राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए कुछ राज्य सरकारों ने बजट आबंटन में वृद्धि करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने "2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य" संबंधी नीति के अंतर्गत कुछ नई प्राथमिकताएं शामिल की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). योजना आयोग राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए और अधिक परिव्यय आबंटित कर रहा है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

1992-93	817.84	(व्यय)
1993-94	929.85	(संशोधित अनुमोदित परिव्यय)
1994-95	1241.48	(बढ़ाया गया परिव्यय)

संचारी एवं गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए परिव्यय को भी वर्षों में बढ़ाया गया है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

1992-93	208.89	(व्यय)
1993-94	232.54	(व्यय)
1994-95	393.25	(संशोधित अनुमोदित परिव्यय)

(घ) और (ङ). आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर जनसंख्या वृद्धि को जन सहयोग के माध्यम से रोकने, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ करने, विश्व व्यापक रोग प्रतिरक्षण, संचारी रोगों के नियंत्रण, दृष्टिहीनता नियंत्रण शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व पर दिया गया है।

[अनुवाद]

नारियल जटा उत्पाद

*239. **प्रो. के.वी. थामस :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में नारियल जटा तथा इसके उत्पादों का निर्यात किया गया और चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस लक्ष्य के प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नारियल जटा और इसके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये कयर तथा कयर उत्पादों के विवरण इस प्रकार हैं :-

91-92	30959 मी.टन.	-74.12 करोड़ रुपये
92-93	32354 मी.टन.	-95.95 करोड़ रुपये
93-94	37951 मी.टन	-129.37 करोड़ रुपये

चालू वर्ष (94-95) के लिए 45.6 मिलियन अमरीकी डालर (142 करोड़ रु.) का लक्ष्य है।

(ख) जी, हां। उक्त लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है और आगे बढ़ गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) कयर तथा कयर उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बोर्ड द्वारा किये गये उपाय इस प्रकार हैं :-

(1) बोर्ड ने गुणवत्ता जागरूकता के महत्व पर बुनियादी स्तर पर कयर कामगारों को शिक्षित करने के लिए अक्तूबर, 1993 से सितंबर, 1994 तक गुणवत्ता वर्ष मनाया।

(2) डाइंग गुणवत्ता के में सुधार करने, कयर उत्पादों के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही कयर यार्न की ब्लीचिंग करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना।

(3) कयर उत्पादों के उत्पादन, आधारभूत सुविधाओं तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए करघा शेडों का विनिर्माण करने के लिए सहायता।

(4) कयर यार्न का उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मोटर से चलने वाले रैटों का विकास करना तथा उन्हें लोकप्रिय बनाना।

(5) कयर की चटाइयों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अर्ध-स्वचालित करघों का विकास करना और लोकप्रिय बनाना।

कैंसर

*240. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण और रासायनिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के कारण होने वाली फेफड़े की बीमारियों और कैंसर के मामलों के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) किन-किन शहरों में इस प्रकार का अध्ययन किया गया; और

(घ) इस संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव विषयक अध्ययन किया है। परिषद ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण और रासायनिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के कारण फेफड़े की बीमारी और कैंसर के मामले में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। अधिक वाहनों के बराबर आने-जाने वाले क्षेत्रों में जहां रूग्णता दरें भी अधिकतर पाई गईं, वहां अधिकतम प्रदूषक देखने को मिले।

(ग) अहमदाबाद, बेंगलूर तथा बंबई में अध्ययन/सर्वेक्षण किए गए।

(घ) पर्यावरणिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र द्वारा जन-जागरूकता पैदा करने के लिए फिल्में तैयार की गई हैं और इन्हें दूरदर्शन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के अंतर्गत दिखाया जाता है।

अल्प सूचना प्रश्न

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेजिडेंट डाक्टरों की हड़ताल

1. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेजिडेंट डाक्टरों की काम रोको हड़ताल अभी भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वार्ता द्वारा समझौता करने हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में मतदाता सूची

2274. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनके नाम मतदाता सूची से निकाल दिये गए हैं और जो अपने नागरिक-अधिकार का उपयोग नहीं कर पाये;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्यों में भी इस तरह के मामलों की जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पांच इलेक्ट्रॉनिकी परियोजनाएं

2275. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग ने ससंद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अतंर्गत पांच इलेक्ट्रानिकी परियोजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के साथ परामर्श से "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित पांच परियोजनाएं तैयार की है :—

1. शिक्षण परियोजना में कम्प्यूटर; प्रत्येक हाईस्कूल में कम्प्यूटर।
2. सूचना फुटपाथ।
3. प्रत्येक हाई स्कूल में हैम क्लब।
4. सिटिजन बैंड रेडियो।
5. डेटा बेस ग्रन्थ सूची परियोजना।

इन पांच परियोजनाओं के विस्तृत विवरण की पुस्तिका सभी संसद सदस्यों में परिचालित कर दी गई है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि यदि संसद सदस्यों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन्हें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए शामिल कर लिया जाएगा।

शांति बहाली मिशन्स

2276. डा. वसंत पवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली मिशन्स में कुल कितने भारतीय सैनिक शामिल किए गए;

(ख) गत दो वर्षों में कार्यवाही के दौरान उनमें से मिशन-वार कितने सैनिक मारे गए;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मिशन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय शान्ति स्थापना मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यों में कुल 882 कार्मिक तैनात हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान मोजाम्बिक में 2 कार्मिक तथा सोमालिया में 14 कार्मिक मारे गए।

(ग) और (घ). विवरण संलग्न है।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संक्रियाओं में तैनात किए गए स्टाफ अफसरों सहित सैनिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र विनियमों के अनुसार मृत्यु, सैन्य सेवा के कारण घायल होने अथवा बीमारी के मामलों में संयुक्त राष्ट्र, संबंधित सरकारों के राष्ट्रीय विधानों और/अथवा विनियमों के आधार पर प्रतिपूरक अदायगी करता है। सरकारी आदेशों के अनुसार सोमालिया में इन शांति स्थापना संक्रियाओं के दौरान सैनिकों की मृत्यु, घायल अथवा बीमार होने के मामलों को युद्ध में हताहत मामले माना जाएगा और इन्हें उदारीकृत पेंशन संबंधी लाभों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पेंशन संबंधी लाभों के साथ ही उक्त परिवार सेना समूह बीमा से मृत्यु संबंधी लाभ प्राप्त करने के भी हकदार होंगे बशर्ते कि दिवंगत सेना कार्मिक इस योजना के अंतर्गत आता हो। कभी-कभी मामले की प्राथमिकता को देखते हुए आर्मी वाइटज वेल्फेयर एसोसिएशन फंड, निशक्त सेना कार्मिक निधि, विधवा तथा अनाथ निधि और सेना अफसर दातव्य निधि से भी अनुदान दिए जाते हैं।

गोबर गैस संयंत्र

2277. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तथा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में गोबर गैस संयंत्र के प्रचार करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कोशिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसान गोबर गैस संयंत्र इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि बैंक से ऋण नहीं मिलता है या ऋण पाने में अनावश्यक देरी हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदम क्या हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार आंध्र प्रदेश सहित देशभर में रेडियो, दूरदर्शन, मुद्रण माध्यमों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से बायोगैस (गोबर गैस) संयंत्रों के प्रचार और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत् है। इसके अलावा राज्य सरकारों और नोडल एजेंसियों को, राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर निर्भर करते हुए, इस प्रयोजन हेतु 1.00 लाख रुपए से 5.00 लाख रुपए के बीच वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1994-95 में आंध्र प्रदेश राज्य को किया गया आवंटन 5.00 लाख रुपए है।

(ग) और (घ). बायोगैस संयंत्रों के लिए बैंकों से ऋण की उपलब्धता से संबंधित समस्याओं का समाधान सामान्यतया जिला स्तर की समन्वय समितियों और जिला स्तर की बैंकर समितियों की बैठकों में किया जाता है। अभी हाल ही में केन्द्रीय स्तर पर किए गए उपायों में रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दिया जाना शामिल है कि बायोगैस संयंत्रों को उस शर्त से अलग रखा जाये, जिसके अनुसार बैंकों को आर्थिक राजसहायता से जुड़े हुए केवल एक कार्यक्रम के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए सीमित किया गया है बशर्ते कि लाभार्थी बैंक का बाकीदार न हो। इस शर्त को हटा दिए जाने से किसानों को बायोगैस संयंत्रों के लिए बैंक वित्त की उपलब्धता बढ़ेगी और बायोगैस कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

2278. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में औद्योगिक विकास की गति में तेजी लाने हेतु राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). राज्य के औद्योगिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार विकास केन्द्र जैसी केन्द्रीय योजनाओं अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग जैसे संगठनों के जरिये औद्योगीकरण की प्रक्रिया में राज्य सरकारों की मदद करती है। ये उपाय निरंतर जारी रहने वाले और प्रेरणादायक हैं।

अपने-अपने राज्यों में उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी औद्योगीकरण नीतियां हैं।

योजना आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान बिहार में बड़े और मझौले उद्योगों, खनन, ग्राम्य और लघु उद्योगों के लिए 45,814 लाख रु. परिव्यय की स्वीकृति दी है जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 21,660 लाख रु. परिव्यय की स्वीकृति दी थी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य सेवाएं

2279. श्री शान्ताराम पोतदुखे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने हेतु कुछ सहायता अनुदान योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत प्रत्येक योजना में उपलब्ध अनुदान की सीमा के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). देश में ग्रामीण लोगों को चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निम्नलिखित सहायता-अनुदान योजनाएं आरम्भ की हैं :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना; और
2. चिकित्सा सेवाओं के सुधार की योजना।

स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता की है :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल/औषधालय खोलना, और

(ii) चिकित्सा सेवाओं में सुधार की योजना के अंतर्गत मौजूदा अस्पताली सुविधाओं का विस्तार तथा सुधार सहायता का पैटर्न संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 1.4.1992 से केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 12.00 लाख रुपये (8 लाख रु. निर्माण प्रयोजन के लिए तथा 4 लाख रु. अस्पताली उपकरण खरीदने के लिए) है। निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, जिनके लिए अधिकतम सीमा प्रत्येक के सामने दर्शायी गई राशि के अनुसार होगी। 1.4.1992 से चिकित्सा सेवाओं में सुधार की योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि 4.00 लाख रुपये है।

क्र. सं.	निम्नलिखित की खरीद के लिए सहायता	अधिकतम सीमा
1.	एम्बूलैंस वैन	1.50 लाख
2.	100 एस.ए.-एक्स-रे मशीन	2.00 लाख
3.	100-एम.ए. से अधिक शक्ति वाली एक्स-रे मशीन	2.50 लाख

(घ) सहायता अनुदान की इन योजनाओं के अंतर्गत 1992-93 और 1993-94 के दौरान जारी की गई राशि क्रमशः 29,13,249 रुपये और 18,70,000 रुपये है।

(ङ) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने संबंधी मानदण्ड संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना

वित्तीय सहायता का स्वरूप

(क) ज्यादा से ज्यादा 30 पलंगों वाले अस्पतालों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

(ख) भारत सरकार और राज्य सरकार, जिस अनावर्ती खर्च के लिए अंशदान देंगी उसमें जमीन खरीदना, अस्पताल के भवन, आपरेशन थियेटर, वार्डों और निवास एककों का निर्माण करना, जल तथा बिजली लगाना और अस्पताल के लिए अनिवार्य उपकरण खरीदना आदि शामिल है।

(ग) अस्पताल/औषधालय को चलाने का खर्च संस्था वहन करेगी। यदि संस्था ऐसा करने में असमर्थ होती है तो संबंधित राज्य सरकार घाटे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान देती है और यदि वह संस्था काफी समय तक यह ऋण नहीं चुकाती तो राज्य सरकार, इस योजना के अधीन उपलब्ध वित्तीय सहायता से चलाई गयी संस्था को चलाने का उत्तरदायित्व स्वयं लेगी।

(घ) योजनाओं की लागत निश्चित करते समय 30 पलंगों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण और उपकरणों की मानक लागत अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्शाई गई अनुमानित लागत को जो भी कम होगी, ध्यान में रखा जाएगा।

(ङ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संस्था निम्नलिखित अनुपात में अंशदान देगी :—

(i) **निर्माण कार्य (रिहायशी मकानों के अतिरिक्त) और उपकरण**

केन्द्रीय सरकार	40 प्रतिशत
राज्य सरकार	40 प्रतिशत
संस्था	20 प्रतिशत

(ii) **निर्माण-रिहायशी मकान**

केन्द्रीय सरकार	50 प्रतिशत
राज्य सरकार	35 प्रतिशत
संस्था	15 प्रतिशत

(च) लागत मूल्य में हुई वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार अनुदान समिति द्वारा प्रस्तुत अनुदान की राशि को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सक्षम होंगे।

(छ) विशेष मामलों में भारत सरकार वित्त मंत्रालय से परामर्श करके वित्तीय सहायता को निर्धारित सीमा से अधिक सहायता प्रदान कर सकती है।

चिकित्सा सेवाओं के सुधार के लिए योजना

सहायता का स्वरूप

(क) एक्सरे प्लान्ट, एम्बुलेंस, आपरेशन थियेटर-उपस्कर, विसंक्रामक यंत्र, अस्पताल के लिए खाटें, पलंग, के साथ लॉकर, शल्यक्रिया उपकरण, प्रयोगशाला उपस्कर इत्यादि जैसे कीमती आवश्यक उपस्कर की खरीद के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को यह निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकार होगा कि उपस्कर की मद अनिवार्य है या नहीं।

(ख) जरूरतमंद लोगों के लिए अस्पताली सुविधाओं के अतिरिक्त निर्माण और विस्तार के लिए, आपरेशन थियेटर, एक्सरे, प्रयोगशाला खंडों और गरीबों के लिए वार्ड निर्माण के लिए सहायता की सीमा निम्नलिखित होगी :—

(i) सिर्फ कुष्ठ रोग, नेत्र बीमारियों और दृष्टिहीनता के इलाज के लिए कार्य में लगी संस्था का शत-प्रतिशत।

(ii) अन्य के मामलों में 50 प्रतिशत।

(iii) जहां भारत सरकार से सहायता व्यय 50 प्रतिशत तक सीमित है, वहां बकाया 50 प्रतिशत संस्था द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ग) संस्था द्वारा पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई सहायता नहीं मिलेगी।

(घ) संस्था को उपस्कर और या/निर्माण के लिए एक वर्ष में दी जानेवाली कुल राशि 400 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ङ) लागत से हुई वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अनुदान समिति द्वारा संस्तुत अनुदान की रकम में 10 प्रतिशत तक वृद्धि करने के लिए सक्षम होंगे। बशर्ते यह रकम उपर्युक्त (घ) में उल्लिखित 400 लाख रुपये से अधिक न हो।

विवरण-II

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं

सहायता अनुदान की शर्तें

(क) अनुदान का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया है।

(ख)(i) संस्था द्वारा दो प्रतिभूतिओं से निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का बंध-पत्र भरा जाएगा कि वह अनुदान की सभी शर्तों का पालन करेगा।

(ii) प्रतिभूतिओं की आवश्यकता तब नहीं होगी जब संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी अन्य विधान के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा सरकारी समिति अथवा ख्याति प्राप्त संस्था हो।

(iii) जब बंध पत्र दो प्रतिभूतिओं द्वारा हस्ताक्षरित हो, तो उन दोनों की क्षमता ऋण चुकाने की होनी चाहिए और उन्हें बंध पत्र की राशि से कम पूंजी का स्वामी नहीं होना चाहिए जो कि अदालत की डिक्री से कुर्क अथवा बेची जा सके। यह बात जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य समकक्ष प्राधिकारी द्वारा बंध पत्र पर प्रमाणित होनी चाहिए।

(ग) संस्था किसी अनुसूचित बैंक या डाकखाने में संस्था के नाम, न कि किसी व्यक्ति के नाम अथवा पद नाम से एक खाता खोलेगी। खाते से लेन-देन दो कार्यालय पदधारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(घ) अनुदान की सम्पूर्ण राशि का इस्तेमाल निर्माण कार्य की स्थिति में अंतिम किश्त के डिमांड ड्राफ्ट/चैक के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर तथा उपस्करों के मामले में डिमांड ड्राफ्ट/चैक के जारी होने की तारीख से छह माह के अन्दर किया जएगा। यदि अनुदान के उपयोग में कोई विलम्ब होने की संभावना हो तो भारत सरकार द्वारा आपवादिक स्थितियों में अनुदान के उपयोग की अवधि एक साल तक बढ़ाई जा सकती है। यदि संस्था मूल अथवा बढ़ाई गई अवधि के अन्दर सम्पूर्ण अनुदान राशि का उपयोग करने में असफल रहती है तो वह खर्च न की गई राशि को ब्याज के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को वापस करेगी।

(ङ) विदेशी मुद्रा के खर्च से कोई वस्तु नहीं खरीदी जाएगी और भारत सरकार द्वारा किसी चीज के आयात के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

(च) निर्माण के लिए अनुदान की स्थिति में भवना के नक्शे और अनुमान एक बार स्वीकृत हो जाने पर और अनुदान निर्गत किए जाने पर, उनमें भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से काइ संशोधन नहीं किया जाएगा।

(छ) संस्था अंकेक्षित खातों के साथ लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत सत्यापित एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से इसी प्रयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ज) अनुदान का कोई भी अंश राजनैतिक आन्दोलन चलाने के लिए नहीं किया जाएगा।

(झ) संस्था भ्रष्टाचार के किसी मामलें में लिप्त नहीं होगी।

(ल) यदि अनुदान या उसका कोई अंश स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है तो भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी जो कि बहुत ही विशेष आधार पर आपवादिक स्थितियों में दी जाएगी।

(ट) संस्था अनुदान या उसका कोई हिस्सा अन्य खर्च में नहीं लगा, न ही वह अनुदान वाली योजना को किसी अन्य संस्था या संगठन को सौंपेगी। जब संस्था अनुदान प्राप्त कर लेने के बाद कार्य को करने अथवा पूरा करने में असमर्थ हो तो वह अनुदान को ब्याज के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को तुरन्त वापस करेगी।

(ठ) भवन अनुदान के मामले में स्वीकृत प्रयोजन के लिए भवन का उपयोग न किए जाने की स्थिति में सहायता अनुदान के रूप में दी गई राशि की वसूली हेतु भारत सरकार का पूर्व-धारण अधिकार होगा।

(ड) जब राज्य सरकार की भूमि पर निर्माण किया गया हो और राज्य सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती हो तो उसका स्वामित्व भारत सरकार और राज्य सरकार के पास उस सीमा तक होगा जिस सीमा तक उन्होंने लागत वहन की हो और ऐसे भवन के निपटान की स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकार का उस अनुपात में पूर्व-धारण अधिकार होगा जिस अनुपात में उन्होंने अंशदान किया हो।

(ढ) जब केन्द्र और राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि स्वीकृत धन का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के

लिए नहीं किया जा रहा है तो आगे अनुदान का भुगतान रोक दिया जाएगा और पहले दिया गया अनुदान ब्याज समेत वसूल किया जाएगा।

(ण) भारत सरकार योजना में निहित प्रत्येक कार्य पर किए गए व्यय की समय-समय पर रिपोर्टें मंगा सकेगी ताकि किसी असंगति अथवा निधियों के अप्राधिकृत उपयोग पर रोक लग सके।

(त) अनुदान का कोई भी भाग, जिसे स्वीकृत कार्य के लिए खर्च नहीं किया गया है, भारत सरकार और राज्य सरकार को ब्याज सहित वापस किया जाएगा।

(थ) संस्था भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार को निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान में से हुए वास्तविक खर्च को सूचित करेगी।

(द) संस्था के खातों का वित्तीय वर्ष के अंत में सनदी लेखाकार/सरकारी अंकेक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। अनुदान के खातों का समुचित रूप से तथा अपने सामान्य कार्यकलापों से अलग से रखा जाएगा और जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा गठित अनुदान समिति के किसी सदस्य अथवा भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया जाएगा। वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टेस्ट-चैक के लिए भी उपलब्ध होंगे। जब किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान की राशि उपर्युक्त अनुदान के साथ पिछले वित्तीय वर्ष से आगे लाई जाती है और वह पांच लाख रुपये से कम है तो संस्था के खातों की संबंधित महालेखाकार, (अर्थात वह महालेखाकार, जिसके क्षेत्राधिकार में संस्थान आता है) द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

(न) जब अनुदान की राशि पांच लाख रुपये से अधिक हो तो संस्था द्वारा अनुदानों का सहायक खाता रखा जाएगा और उसे निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को मंजूरी की संस्था और तारीख देते हुए प्रस्तुत किया जाएगा :—

(i) संस्था के प्राप्तियों और भुगतान खातों, आय-व्यय खातों तथा तुलन-पत्र की समग्र रूप से एक प्रति।

(ii) उनके विधान की एक प्रति।

(प) सहायता अनुदान से खरीदे गए उपकरणों अथवा निर्मित भवनों पर भारत सरकार का अधिकार होगा और संस्थान अनुदान में से संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से ली गई परिसम्पतियों, चाहे वह स्थायी हो अथवा अर्ध-स्थायी, के अंकेक्षित रिकार्ड संलग्न प्रोफार्मा में रखेगा। भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी परिसम्पत्तियों का, उस प्रयोजन से इतर, जिसके लिए वह अनुदान दिया गया हो, निपटान, भारित/ऋण ग्रस्त अथवा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। संस्थान किसी समय काम करना बंद कर दे तो ऐसी सभी परिसम्पतियां भारत सरकार को लौटा दी जाएंगी। प्रत्येक स्वीकृति के लिए अलग से रजिस्टर रखा जाएगा और वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंकेक्षित खातों सहित उनकी प्रतियां प्रतिवर्ष भारत सरकार को भेजी जाएगी। उपरोक्त संदर्भित शब्द परिसम्पत्तियां का अर्थ होगा :—

(i) अचल परिसम्पत्ति; और (ii) पूंजीगत प्रकृति की वह चल परिसम्पत्ति, जिसका मूल्य 1,000 रुपये से अधिक हो। पुस्तकालय की पुस्तकें तथा साज-सज्जा की वह मदें, जो परिसम्पतियों की शिक्षा में नहीं आती हैं।

(फ) किसी संस्थान द्वारा सही ढंग से रख-रखाव किए जाने के कारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा रख-रखाव के लिए किसी अस्पताल/औषधालय का अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में यह संस्थान अस्पताल/औषधालय की स्थापना की लागत के लिए प्रदत्त अंशदान के लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे आदि का दावा करने हेतु पात्र नहीं होगा। तथापि संस्थान समय-समय पर वह क्षतिपूर्ति करने का पात्र होगा जो उसके द्वारा योगदान की गई परिसम्पत्तियों के सतत उपयोग, उनकी उपयोगिकता के समय के दौरान से संबंधित होंगे।

(ब) अनुदान का उपयोग करने के पश्चात् संस्थान आवश्यक रूप से प्रदर्शित करेगा।

- सहायता की मात्रा
- उसका प्रयोजन और
- उपलब्ध निःशुल्क पलंगों की संख्या।

(भ) संस्थान अविलम्ब अथवा निर्माण के मामले में अंतिम किश्त जारी होने से 15 महने की अवधि में, और उपकरणों की खरीद के मामले में वर्ष की अवधि में, जो कोई भी पहले हो अथवा कोई अन्य अवधि, जिसकी भारत सरकार से सहमति प्राप्त हो चुकी हो, निम्नलिखित समुपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा :—

(क) किसी सनदी लेखाकार द्वारा यथा-प्रमाणित उपयोगिकता प्रमाण-पत्र।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित अर्हता प्राप्त वस्तुकार/अभियंता से पूर्व होने की रिपोर्ट।

(ग) किसी अभिकरण से उसी उद्देश्य के लिए अनुदान के प्राप्त न होने के बारे में सनदी लेखाकर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित प्रमाण-पत्र।

(घ) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित परिसम्पत्तियों का दो प्रतियों में वितरण।

(ङ) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित संगठन के लेखों का अंकेक्षित विवरण अर्थात आय एवं व्यय विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और तुलन-पत्र जो

भारत सरकार, राज्य सरकार और संस्थान के हिस्से तथा उसके विरूद्ध उपगत व्यय।

(व) उपलब्धि-सह-कार्यनिष्पादन रिपोर्ट जो यह दर्शाए :—

(i) उद्देश्य जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया;

(ii) अनुदान का उपयोग किस तरह किया गया है; और

(iii) अनुदान की सहायता से संस्थान के कार्यनिष्पादन के सुधार की प्रकृति तथा सीमा।

(म) संस्थान द्वारा मंजूरी पत्र में उल्लिखित सभी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद सहायतानुदान का भुगतान क्रास्ड बैंक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(य) संस्थान अनुदान से सृजित सभी परिसम्पत्तियों का रख-रखाव उचित रूप से करेगा।

चिकित्सा सेवाओं में सुधार की योजना

अनुदान की शर्तें

(क) अनुदान का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया है।

(ख) (i) संस्था द्वारा दो प्रतिभूतिओं से निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का एक बंध-पत्र भरा जाएगा कि वह अनुदान की सभी शर्तों का पालन करेगा।

(ii) प्रतिभूतिओं की आवश्यकता तब नहीं होगी जब संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी अन्य विधान के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा सरकारी समिति अथवा ख्याति प्राप्त संस्था हो।

(iii) जब बंध पत्र दो प्रतिभूतिओं द्वारा हस्ताक्षरित हो, तो उन दोनों की क्षमता ऋण चुकाने की होनी चाहिए और उन्हें बंध पत्र की राशि से कम पूंजी का स्वामी नहीं होना चाहिए, जो कि अदालत की डिक्री से कुर्क अथवा बेची जा सके। यह बात जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य समकक्ष प्राधिकारी द्वारा बंध पत्र पर प्रमाणित होनी चाहिए।

(ग) संस्था किसी अनुसूचित बैंक या डाकखाने में संस्था के नाम, न कि किसी व्यक्ति के नाम अथवा पद नाम से एक खाता खोलेगी। खाते से लेन-देन दो कार्यालय पदधारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(घ) अनुदान की सम्पूर्ण राशि का इस्तेमाल निर्माण कार्य की स्थिति में अंतिम किश्त के डिमांड ड्राफ्ट/चैक के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर तथा उपस्करों के मामले में डिमांड ड्राफ्ट/चैक के जारी होने की तारीख से छह माह के अन्दर किया जाएगा। यदि अनुदान के उपयोग में कोई विलम्ब होने की संभावना हो तो भारत सरकार द्वारा आपवादिक स्थितियों में अनुदान के उपयोग की अवधि एक साल तक बढ़ाई जा सकती है। यदि संस्था मूल अथवा बढ़ाई गई अवधि के अन्दर सम्पूर्ण अनुदान राशि का उपयोग करने में असफल रहती है, तो वह खर्च न की गई राशि को ब्याज के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को वापस करेगी।

(ङ) विदेशी मुद्रा के खर्च से कोई वस्तु नहीं खरीदी जाएगी और भारत सरकार द्वारा किसी चीज के आयात के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

(च) निर्माण के लिए अनुदान की स्थिति में भवनों के नक्शे और अनुमान एक बार स्वीकृत हो जाने पर और अनुदान रिलीज किए जान पर उनमें भारत सरकार के पूर्व-अनुमोदन से कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

(छ) संस्था अंकेक्षित खातों के साथ लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत सत्यापित एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से इसी प्रयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ज) अनुदान का कोई भी अंश राजनैतिक आन्दोलन चलाने के लिए नहीं किया जाएगा।

(झ) संस्था भ्रष्टाचार के किसी मामले में लिप्त नहीं होगी।

(ञ) यदि अनुदान या उसका कोई अंश स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है तो भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी जो कि बहुत ही विशेष आधार पर आपवादिक स्थितियों में दी जाएगी।

(ट) संस्था अनुदान या उसका कोई हिस्सा अन्य खर्च में नहीं लेगी न ही वह अनुदान वाली योजना को किसी अन्य संस्था या संगठन को सौंपेगी। जब संस्था अनुदान प्राप्त कर लेने के बाद कार्य को करने अथवा पूरा करने में असमर्थ हो तो वह अनुदान को ब्याज के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को तुरन्त वापस करेगी।

(ठ) भवन अनुदान के मामले में स्वीकृत प्रयोजन के लिए भवन का उपयोग न किए जाने की स्थिति में सहायता अनुदान के रूप में दी गई राशि की वसूली हेतु भारत सरकार का पूर्व-धारण अधिकार होगा।

(ड) जब राज्य सरकार की भूमि पर निर्माण किया गया हो और राज्य सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती हो तो उसका स्वामित्व भारत सरकार और राज्य सरकार के पास उस सीमा तक होगा जिस सीमा तक उन्होंने लागत वहन की हो और ऐसे भवन के निपटान की स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकार की उस अनुपात में पूर्व-धारण अधिकार होगा जिस अनुपात में उन्होंने अंशदान किया हो।

(ढ) जब केन्द्र और राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि स्वीकृत धन का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है तो आगे अनुदान का भुगतान रोक दिया जाएगा और पहले दिया गया अनुदान ब्याज समेत वसूल किया जाएगा।

(ण) भारत सरकार योजना में निहित प्रत्येक कार्य पर किए गए व्यय की समय-समय पर रिपोर्ट मंगा सकेगी ताकि किसी असंगति अथवा निधियों के अप्राधिकृत उपयोग पर रोक लग सके।

(त) अनुदान का कोई भी भाग, जिसे स्वीकृत कार्य के लिए खर्च नहीं किया गया है, भारत सरकार और राज्य सरकार को ब्याज सहित वापस किया जाएगा।

(थ) संस्था भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार को निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान में से हुए वास्तविक खर्च को सूचित करेगी।

(द) संस्था के खातों का वित्तीय वर्ष के अंत में सनदी लेखाकार/सरकारी अंकेक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। अनुदान के खातों का समुचित रूप से तथा अपने सामान्य कार्यकलापों से अलग से रखा जाएगा और जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा गठित अनुदान समिति के किसी सदस्य अथवा भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया जाएगा। वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टेस्ट-चैक के लिए भी उपलब्ध होंगे।

(ध) जब किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान की राशि अप्रयुक्त अनुदान के साथ पिछले वित्तीय वर्ष से आगे लाई जाती है और वह पांच लाख रुपये से कम है तो संस्था के खातों की संबंधित महालेखाकार (अर्थात वह महालेखाकार, जिसके क्षेत्राधिकार में संस्थान आता है) द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

(न) जब अनुदान की राशि पांच लाख रुपये से अधिक हो तो संस्था द्वारा अनुदानों का सहायक खाता रखा जाएगा और उसे निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को मंजूरी की संस्था और तारीख देते हुए प्रस्तुत किया जाएगा :—

(i) संस्था के प्राप्तियों और भुगतान खातों, आय-व्यय खातों तथा तुलन-पत्र की समग्र रूप में एक प्रति।

(ii) उनके विधान की एक प्रति।

(प) सहायता अनुदान से खरीदे गए उपकरणों अथवा निर्मित परिसम्पत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार होगा और संस्थान अनुदान में से संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से ली गई परिसम्पत्तियाँ, चाहे वह स्थायी हो अथवा अर्ध-स्थायी, के अंकेक्षित रिकार्ड संलग्न प्रोफार्मा में रखेगा। भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी परिसम्पत्तियों का, उस प्रयोजन से इतर, जिसके लिए वह अनुदान दिया गया हो, निपटान, भरित/ऋण ग्रस्त अथवा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। संस्थान किसी समय काम करना बंद कर दे तो ऐसी सभी परिसम्पत्तियां भारत सरकार को लौटा दी जाएंगी। प्रत्येक स्वीकृति के लिए अलग से रजिस्टर रखा जाएगा और वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंकेक्षित खातों सहित उनकी प्रतियां प्रतिवर्ष भारत सरकार को भेजी जाएंगी। उपरोक्त संदर्भित शब्द परिसम्पत्तियां का अर्थ होगा :—

(1) अचल परिसम्पत्ति; और (2) पूंजीगत प्रकृति की वह चल परिसम्पत्ति जिसका मूल्य 1,000 रूपये से अधिक हो। पुस्तकालय की पुस्तकें तथा साज-सज्जा की वह मदें, जो परिसम्पत्तियों की शिक्षा में नहीं आती हैं।

(फ) अनुदान का उपयोग करने के पश्चात् संस्थान आवश्यक रूप से प्रदर्शित करेगा।

- सहायता से मात्रा,
- उनका प्रयोजन, और
- उपलब्ध निःशुल्क पलंगों की संख्या।

(ब) संस्थान अविलम्ब अथवा निर्माण के मामले में अंतिम किश्त जारी होने से 15 महीने की अवधि में, और उपकरणों की खरीद के मामले में वर्ष की अवधि में, जो कोई भी पहले हो अथवा कोई अन्य अवधि, जिसकी भारत सरकार से सहमति प्राप्त हो चुकी हो, निम्नलिखित समप्रयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा :—

(क) किसी सनदी लेखाकार द्वारा यथा-प्रमाणित उपयोगिकता प्रमाण-पत्र।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित अर्हता प्राप्त वस्तुकार/अभियंता से पूर्व होने की रिपोर्ट।

(ग) किसी अभिकरण से उसी उद्देश्य के लिए अनुदान के प्राप्त न होने के बारे में सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित प्रमाण-पत्र।

(घ) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित परिसम्पत्तियों का दो प्रतियों में विवरण।

(ङ) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित संगठन के लेखों का अंकेक्षित विवरण अर्थात आय एवं व्यय विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और तुलन-पत्र जो भारत सरकार, राज्य सरकार और संस्थान के हिस्से तथा उसके विरूद्ध उपगत व्यय।

(च) उपलब्धि-सह कार्यनिष्पादन रिपोर्ट जो यह दर्शाए :—

(i) उद्देश्य जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया;

(ii) अनुदान का उपयोग किस तरह किया गया है; और

(iii) अनुदान की सहायता से संस्थान के कार्यनिष्पादन के सुधार की प्रकृति तथा सीमा।

(म) संस्थान द्वारा मंजूरी पत्र में उल्लिखित सभी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद सहायतानुदान का भुगतान क्रास्ड चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(रू) संस्थान अनुदान से सृजित सभी परिसम्पत्तियों का रख-रखाव उचित रूप से करेगा।

(र) ऐसे संस्थान, जो दो लाख रुपये अथवा उससे अधिक का अनुदान प्राप्त करते हैं, कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए निःशुल्क रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

आटोमोबाईल उद्योग

2280. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुविधा सम्पन्न कारों की तुलना में परिवार के लिए उपयुक्त सस्ते कारों की अधिक मांग है और आटोमोबाईल उद्योग अचानक सुविधा सम्पन्न कारों के बदल छोटे कारों के निर्माण में जुट गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में छोटे कारों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां। कम कीमत की कारों की बिक्री ऊंची कीमत की कारों की बिक्री से अपेक्षाकृत अधिक है।

1993-94 के दौरान विभिन्न मॉडल की कारों की बिक्री निम्न प्रकार रही है :—

मारुति 800 सी सी (ओमिनी वेन सहित)	1,35,537
मारुति 1000 सी सी और जेन	17,002
अम्बेसडर	22,581
कान्टेसा क्लासिक	3,533
प्रीमीयर पद्मिनी	9,148
एन ई-118	8,847
टाटा एस्टेट/सियरा	7,123

(ग) जी, नहीं।

(घ) कारों के विनिर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है अतः बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि के लिए अब क्षमता संबंधी कोई बाधा नहीं है।

कलकत्ता का विलियम संग्रहालय

2281. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ट विलियम संग्रहालय, जिसका रखरखाव पूर्वी कमान द्वारा किया जाता है, में "ब्लेक होल" का मॉडल प्रदर्शन हेतु रखा गया है;

(ख) क्या संबंधित अधिकारियों को भारतीय इतिहासकारों के इस विचार की जानकारी है कि "ब्लेक होल" त्रासदी का कोई आधार नहीं है और अंग्रेजी ने इसे प्रचार आदि कारणों से गढ़ा था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस विषय पर प्राधिकृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रख्यात इतिहासकारों का एक पैनल गठित करने का है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विधि पुस्तकों का हिन्दी संस्करण

2282. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विधि पुस्तकों के हिंदी संस्करण अब तक उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त पुस्तकों के हिंदी संस्करण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा हिंदी से प्रकाशित की गई उनतीस विधि पुस्तकों में से चौदह ऐसी पुस्तकें हैं, जो इस समय बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इन चौदह पुस्तकों में से सात पुस्तकें, संशोधित संस्करण निकाले जाने के लिए, संपादन के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। शेष सात पुस्तकों की मांग नहीं है अतः उनकों पुनर्मुद्रित न किए जाने का प्रस्ताव है। बिक्री के लिए इस समय अनुपलब्ध पुस्तकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्टाक में अनुपलब्ध पुस्तकों की सूची

1	2	3
1.	प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि (प्राइवेट इंटरनेशनल ला)	डा. पारस दीवान
2.	उत्तर प्रदेश भू-धृति विधि (ला आफ यू.पी. ब्लैड टैन्योर)	उमेश कुमार
3.	संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट, 1882)	विश्वामित्र शुक्ल
4.	आयकर विधि (ला आफ इनकम टैक्स)	नाथूलाल जैन
5.	मध्य प्रदेश भू विधि (मध्य प्रदेश लैड लाज)	शिवदयाल परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव
6.	दंड विधि (भारतीय दंड विधि के विनिर्दिष्ट अपराध) क्रिमिनल ला (स्पैसिफिक आफसेज अंडर : इंडियन पैनल कोड)	डा. रामचन्द्र निगम
7.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व (सेलियट फीचर्स आफ दि इंडियन कांस्टिट्यूशन)	डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी
8.	संविदा विधि (ला आफ कान्ट्रैक्ट)	राम गोपाल चतुर्वेदी
9.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (लीडिंग केसेज आन इंटरनेशनल ला)	डा. एस.सी. खरे
10.	अपकृत्य विधि के प्रमुख निर्णय (लीडिंग केसेज आन ला आफ टार्टस)	डा. परमानन्द सिंह
11.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विषय विज्ञान (मैडिकल ज्यूरिस पूडेस एंड टाक्सीकोलाजी)	डा. सी.के. पारीख (डा. एन.के. पटोरिया द्वारा अनुदित)
12.	कंपनी विधि (कंपनी ला)	सुरेन्द्र नाथ
13.	भारत का सांविधिक इतिहास (कांस्टिट्युशनल हिस्ट्री आफ इंडिया)	चंद्रशेखर मिश्र
14.	श्रम विधि (लेबर ला)	जी.के. अरोड़ा

[अनुवाद]

समेकित आधारभूत ढांचा विकास योजना

2283. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में समेकित आधारभूत ढांचा विकास योजना शुरू की गई है;

(ख) इन योजनाओं के मौलिक उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसी कोई योजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ङ) उड़ीसा में उक्त योजनाओं के अंतर्गत हुए आधारभूत विकास का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जिन राज्यों में एकीकृत बुनियादी विकास योजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, वे हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. जम्मू और कश्मीर
5. कर्नाटक
6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. उत्तर पदेश
12. दादर और नगर हवेली (यू.टी.)
13. दमन और द्वीप (यू.टी.)

(ख) पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और अत्यन्त छोटे उद्योगों के विकास के लिए (प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित) के बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और कृषि तथा उद्योग के दरम्यान उचित संपर्क स्थापित करके रोजगार के अवसरों का सृजन करना, एकीकृत बुनियादी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है।

(ग) से (ङ). उड़ीसा से अभी प्रस्ताव प्राप्त होने हैं।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

2284. श्री खेलन राम जांगडे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कितनी विद्युत पैदा होने का अनुमान है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 2215 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

(ख) मध्य प्रदेश में शुरू की गई अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आधारित विद्युत उत्पादन करने वाली विभिन्न प्रणालियों/परियोजनाओं की स्थिति और प्रति वर्ष संभावित विद्युत उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए सम्पूर्ण योजना अवधि हेतु अग्रिम रूप से ही राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। परियोजना/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए मामले-दर-मामले आधार पर धनराशि निर्मुक्त की जाती है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित की गई विद्युत उत्पादन करने वाली नई तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियों की स्थिति और इन प्रणालियों के द्वारा प्रति वर्ष संभावित विद्युत उत्पादन/समतुल्य विद्युत

क्र.सं.	प्रणालियों/परियोजनाओं के नाम	संख्या	प्रति वर्ष संभावित विद्युत उत्पादन/समतुल्य विद्युत (किवा. घं)
1.	जिला बेतुल, मध्य प्रदेश में खेड़ा में पवन फार्म परियोजना	1 (0.59 मेवा)	1.034 मिलियन
2.	सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियां	5427	0.57 मिलियन
3.	सौर लालटेन	849	12750
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी	100	5250
5.	सौर सामुदायिक टेलीविजन	46	13800
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	2 (9 किवा. पी)	13500
7.	बायोमास गैसीफायर	10 (100 किवा.)	0.24 मिलियन
8.	लघु पन बिजली परियोजनाएं	2	0.138 मिलियन
9.	सौर तापीय प्रणालियां	37035 वर्ग मी.	25 मिलियन

जनहित याचिकाएं

2285. श्री सुकदेव पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्तूबर, 1994 के हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में "जनहित याचिकाओं का प्रचार लोभियों से बचाएं अहमदी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नियमित अथवा औपचारिक ढंग से न्यायालय में जाने में असमर्थ लोगों हेतु जनहित की याचिकाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) विधिक सहायता कार्यान्वयन समिति के क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप लोक हित मुकदमेबाजी है। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में एक पृथक लोक हित मुकदमेबाजी प्रकोष्ठ कार्यरत है। न्यायालयों द्वारा, लोक हित मुकदमेबाजी के मामलों का विचारण या तो पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसा मामला, कुल मिलाकर जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

पीने का पानी

2286. श्री पी. कुमारासामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भूमिगत जल के समेकित विकास और इसके साथ-साथ पीने के लिए उपलब्ध भूतल जल के प्रभावी उपयोग हेतु राष्ट्रीय जल नीति के संबंध में नए मार्ग निर्देश तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग). जी नहीं। तथापि सम्पूर्ण समुदाय के न्याय संगत और आर्थिक आपूर्ति के लिए भू-जल के विकास को नियमित/एवं नियमित करने संबंधी एक मॉडल विधेयक राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के प्राथमिक चरण में है।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिक

2287. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने सैनिकों का पुनर्वास किया गया है तथा कितने सैनिकों का पुनर्वास किया जाना है; और

(ख) राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के लिए लाभकारी रोजगार सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इनमें 1993-94 के दौरान तथा 1994-95 के दौरान अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा की गई भूतपूर्व सैनिकों की जनगणना के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में 31 दिसम्बर, 1994 तक कुल मिलाकर 1,52,478 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे। इनमें से केवल 38,979 भूतपूर्व सैनिक पुनः रोजगार चाहते थे। भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एक सतत् प्रक्रिया है। 1990-94 की अवधि के दौरान 7891 भूतपूर्व सैनिकों को पंजाब में पुनः रोजगार उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 404 भूतपूर्व सैनिकों को स्वः राजगार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया था।

(ख) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के समूह "ग" और "घ" के पदों में आरक्षण और भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु तथा शैक्षणिक योग्यता में छूट दिया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार ने राज्य सेवाओं/पदों में भूतपूर्व सैनिकों ने पुनः रोजगार के लिए समूह "क", "ख", "ग" तथा "घ" पदों में 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उनकी रोजगार संबंधी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। भूतपूर्व सैनिकों को स्वः रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान पंजाब में क्रमशः 2,183 और 1,834 भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार दिया गया।

कृषि कार्य

2288. श्री पी.सी. चाको :
श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को अपारंपरिक ऊर्जा से कृषि-कार्य करने के लिए सहायता दी जाती है/दी जाएगी :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के किसानों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कृषि कार्य करने हेतु उपकरणों की सप्लाई भी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, ता इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ). सरकार कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए अपारंपरिक ऊर्जा आधारित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को, विभिन्न राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रोत्साहन दे रही है। इनमें, अन्य बातों के अलावा, पानी खींचने के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय पम्पों, पवन चक्कियों, और बायोमास गैसीफायरों, कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए सोलर ड्रायरों, परिवार एवं सामुदायिक आकार के बायोगैस संयंत्रों, जो बायोगैस के अलावा समृद्ध कार्बनिक खाद का भी उत्पादन करते हैं, के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

ये और अन्य कार्यक्रम समस्त देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों, सीधे ही उपयोगकर्त्ताओं एवं किसानों से सम्पर्क रखते हैं, के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	प्रणाली	आर्थिक राज सहायता	उदार ऋण (अधिकतम)
1.	सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प		
	(क) 700 वा.पा. तक	150 रु. 1,50,000 रु. तक सीमित	50,000 रु.
	(ख) 701 वा.पा. से 1400 वा.पा.	वही	80,000 रु.
	(ग) 1401 वा.पा. से 2250 वा.पा.	वही	1,01,000 रु.
2.	जल पम्पन पवन चक्की		
	(क) परिस्कृत 12 पीयू 500	12,500 रु.	शून्य
	(ख) गियर टाइप गहरे कुएं	22,500 रु.	शून्य
3.	बायोमास गैसीफायर पम्पन प्रणाली		
	(क) 5 हार्स पावर	9,000 रु.	शून्य
	(ख) 10 हार्स पावर	12,000 रु.	शून्य
4.	सौर पवन शुष्कक	800 रु./वर्ग मी. संग्राहक क्षेत्र	शून्य
5.	बायोगैस संयंत्र		
	(क) परिवार आकार के (1 घन मी.-4 घनमी.)	1500 रु.-3500 रु.	
	(ख) सामुदायिक प्रकार के (15 घन मी.-85 घन मी.)	44,000रु.-2,0 लाख रु.	

कम्पनी रजिस्ट्रार

2289. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कम्पनी रजिस्ट्रार को शेयर अन्तरण संबंधी आवेदनों के निपटान में तीन से चार माह लग जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इतना विलम्ब होने के कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). जी, नहीं। कम्पनी रजिस्ट्रार, आन्ध्र प्रदेश द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 108 (1घ) के अन्तर्गत आवेदनों का सामान्यतया 21 कार्य दिवसों के अन्दर निपटान कर दिया जाता है।

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रारों की कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए कम्पनी कार्य विभाग द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार ऐसे आवेदनों के निपटान के लिए उदारीकृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार रजिस्ट्रार आवेदनों की प्राप्ति के दिन ही अन्तरण विलेख पर ही रबर की मोहर द्वारा पुष्टि करेंगे और उनका निपटान उसी दिन तुरंत कर दिया जाएगा। इन आवेदनों का निपटान अब कम्पनी रजिस्ट्रार, आन्ध्र प्रदेश द्वारा उनकी प्राप्ति के दिन ही कर दिया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की यूनानी डिस्पेंसरी

2290. श्री अमर रायप्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और कलकत्ता के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की यूनानी चिकित्सालय में डाक्टरों/फार्मासिस्ट की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय अपनाए गए हैं;

(घ) क्या इन दो शहरों में और सी.जी.एच.एस. यूनानी डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) यूनानी डाक्टरों/फार्मासिस्टों के रिक्त पदों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

	डाक्टर	फार्मासिस्ट
बंगलौर	1	1
कलकत्ता	2	1

(ग) डाक्टरों के उपर्युक्त तीनों पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कलकत्ता में तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक डाक्टर की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई है जो सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के पद डाक्टरों के पदभार ग्रहण के बाद ही स्थानीय रूप से भरे जा सकते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मोरे समिति

2291. श्री नवल किशोर राय :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या संबंधी मोरे समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या प्रमुख सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) इस विषय पर इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

पेंशनभोगियों की बकाया राशि का विलम्ब से भुगतान

2292. श्री तारा सिंह :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा उन्हें पेंशन मंजूर/किए जाने तथा पेंशन नहीं दिए जाने के बारे में दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को पिछले छह महीनों के दौरान अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) गत छः महीनों के दौरान प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पेंशनभोगियों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या शीघ्र कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार की पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान की पद्धति विकेन्द्रीकृत आधार पर संचालित की जाती है। संबंधित मंत्रालय तथा विभाग, जहां से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, बिना किसी विलम्ब के ऐसे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति की तारीख तक पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जारी न होने से संबंधित शिकायतें पेंशनभोगी द्वारा अपने विभाग/कार्यालय तथा पेंशन और पेंशनभोगी/कल्याण विभाग को भी भेजी जाती है । ऐसी शिकायतें शीघ्र निपटान के लिए संबंधित विभाग/संगठन के साथ उठायी जाती हैं । लगभग कुल 15 लाख पेंशनभोगियों में से पेंशन भुगतान आदेश जारी न किए जाने से संबंधित, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग को पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित शिकायतें मिली हैं :

वर्ष	प्राप्त शिकायतें
1993-94	35
1994-95 (फरवरी, 1995 तक)	27

चुनाव

2293. श्री अंकुशराव टोपे :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए क्या-क्या प्रमुख सिफारिशें की हैं,

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ग) अब तक इसके कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). निर्वाचन सुधारों के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, प्रभावी बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994 और निर्वाचन आयोग (भारत की संचित निधि पर प्रभावित व्यय) विधेयक, 1994, लोक सभा में पुरःस्थापित कर दिए गए हैं। सरकार ने निर्वाचन व्ययों के संबंध में अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 को भी संशोधित किया है। राज्य सरकारें भी सभी निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने के लिए सैद्धान्तिक रूप में सहमत हो गई हैं और कुछ राज्य सरकारों ने तो इन पहचान पत्रों को जारी करना आरंभ भी कर दिया है।

विवरण

निर्वाचन सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

1. निर्वाचन, आयोग, एक-सदस्यीय निकाय होना चाहिए।
2. निर्वाचन आयोग का एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए और आयोग का व्यय "भारित" होना चाहिए न कि "अनुदत्त"।
3. निर्वाचक नामावलियों को प्रत्येक अनुकल्पी वर्ष में गहन रूप से पुनरीक्षित किया जाना चाहिए और अन्य वर्षों में उनका संक्षिप्त पुनरीक्षण जारी रहना चाहिए।
4. संबद्ध प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को बहु-उद्देश्यीय पहचान-पत्र जारी किए जाने चाहिए और निर्वाचनों सहित जहां कहीं भी पत्र-धारक की पहचान जानने के लिए अपेक्षित हो, वहां ऐसे पहचान पत्रों को प्रस्तुत किया जाना आबद्धकर कर दिया जाए।
5. संबद्ध जिला निर्वाचन आफिसर से कानूनी रूप से परामर्श करने की अपेक्षा की जानी चाहिए और उसे इस बात के लिए सशक्त किया जाना चाहिए कि निर्वाचनों के लिए पुलिस व्यवस्था में उसकी राय हो।
6. राजनीति के ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जो फरार उद्घोषित व्यक्तियों को संश्रय देते हैं और उनके साथ खुलेआम देखे जाते हैं। जब निर्वाचन सन्निकट हो या उसकी प्रक्रिया चल रही हो तब दोष सिद्ध अपराधियों को पैरोल मंजूर करने या उनके दंडदेय का परिहार करने का शक्ति का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए।
7. मतपेटियों या इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीन को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने और मतपत्रों को अप्राधिकृत रूप से मुद्रित किए जाने को संज्ञेय अपराध बना दिया जाना चाहिए।
8. प्रतिभूति निक्षेप की रकम में वृद्धि सभी अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए।
9. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कम से कम 10 प्रस्तावक होने चाहिए, जो विभिन्न मतदान क्षेत्रों से होने चाहिए।
10. किसी भी अभ्यर्थी को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।
11. निर्वाचन व्ययों तथा विधि और व्यवस्था को बनाए रखने पर प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए प्रचार की अवधि को 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी जानी चाहिए।
12. निर्वाचन आयोग को, रिटर्निंग आफिसर की सूचना के बिना भी बूथों के बलात् ग्रहण के कारण निर्वाचन प्रत्यादिष्ट करने के लिए सशक्त किया जाए।
13. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल प्रत्येक वर्ष अपने लेखाओं को प्रकाशित करें और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा उनकी लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए।
14. निर्वाचन व्ययों के सही लेखाओं का न रखा जाना या विहित समय के भीतर और रीति से इसकी सही प्रति को प्रस्तुत न किया जाना, कारावास तथा जुर्माने से दंडनीय होना चाहिए और दोषसिद्धि पर अभ्यर्थी को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए।
15. ऐसे अभ्यर्थी को, जो विहित समय के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, स्वतः ही पांच वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित समझा जाना चाहिए।
16. आदर्श आचार संहिता के अतिक्रमण का परिणाम यह होना चाहिए कि उस अभ्यर्थी का निर्वाचन जिसके पक्ष में या जिसकी सम्मति से या जिसके मौनानुकूलता से अतिक्रमण कारित हुआ था, शून्य घोषित किया जाना चाहिए और उस अभ्यर्थी (यों) को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए।
17. राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क में विद्यमान उपबंधों को हटाया नहीं जाना चाहिए और यदि कोई दल इस धारा के अधीन दिए गए वचनबंध का अतिक्रमण करता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के लिए एक विनिर्दिष्ट उपबंध होना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होगी।
18. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंधों का अतिक्रमण करते हैं और उसके प्रतिकूल हैं। अतः नियम बनाने का प्राधिकार पूर्णतया निर्वाचन आयोग को प्रदत्त किया जाना चाहिए। तथापि, निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा। इस प्रकार बनाए गए नियमों को सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।
19. मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नामनिर्दिष्ट या पदाभिहित किए गए अधिकारी को निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के सिवाय किसी अन्य कार्य को करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।
20. निर्वाचन व्यय के संबंध में 1974 से पूर्व की स्थिति को बनाए रखा जाए।
21. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में यथा अधिकथित निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए।
22. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम, 1991 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।
23. निर्वाचन आयोग को सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध, जब वे निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों, अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्तियां दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

न्यूजलाइन का प्रकाशन

2294. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपनी पत्रिका न्यूजलाइन का प्रकाशन बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री

2295. श्री रामपाल सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नकली विद्युत उपकरणों की बड़े पैमाने पर बिक्री के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नकली विद्युत उपकरणों की बिक्री रोकने के संबंध में कोई समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्य पिछड़े वर्गों को छूट

2296. श्री काशीराम राणा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को कम से कम पांच वर्षों की आयु छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). दिनांक 25.1.95 को जारी आदेशों के अनुसार भारत सरकार के अंतर्गत सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आयु में तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ऐसा, कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित सभी दलों की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी चिकित्सीय देखभाल निगम

2297. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पेंशन भोगी संघ केन्द्रीय सरकार कर्मचारी चिकित्सीय देख-भाल निगम की स्थापना की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सेवारत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी चिकित्सा सुविधाओं के लिए या तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 के अन्तर्गत कवर किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्ड जारी करने के लिए आदेश जारी किए हैं और जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में नहीं रहते, वे भी निर्धारित अंशदान के भुगतान पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ने उन पेंशनभोगियों, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं, के लिए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के मुद्दे पर पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

तम्बाकू उत्पाद

2298. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री शंकरसिंह वाघेला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी उद्यमी गुजरात में तम्बाकू क्षेत्र में 100 प्रतिशत निर्यात के योग्य तम्बाकू उत्पाद बनाने हेतु संयंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं;

(ख) क्या राज्य में कच्चे माल की उपलब्धता का सरकार ने अध्ययन कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में सेन्ट्रल टोबेको रिसर्च इन्स्टीच्यूट भी शामिल है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

कपड़ा बुनने की मशीनरी

2299. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्माण मशीनरी क्षेत्र ने सरकार से इस रुग्ण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वित्तपोषित तथा वित्तीय कदमों के उठाने संबंधी एक पैकेज तैयार करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान करघे के उत्पादन में काफी कमी आई है;

(ग) क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या एवरेजर तथा "शटललेस करघे" का उत्पादन इसी अवधि के दौरान क्रमशः 41 प्रतिशत और 62 प्रतिशत गिर गया तथा पिछले कुछ वर्षों से वस्त्र निर्माण मशीनरी के उत्पादन में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ). भारतीय वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग संघ ने सरकार को बजट पूर्व एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें विभिन्न सुझाव दिए गए थे—जैसे कि वस्त्र विनिर्माण मशीनरी और सहायक सामान के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टियों पर सीमाशुल्क में परिवर्तन, फैब्रिक्स के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सभी पूंजीगत सामान पर मोडवेट लागू करना आदि। इस ज्ञापन में संघ ने बताया था कि पिछले तीन वर्षों में करघों के उत्पादन सहित वस्त्र मशीनरी की प्रमुख मदों के उत्पादन में गिरावट आई है। संघ ने अपने ज्ञापन में यह सूचित किया था कि एयर जैट और शटल लैस करघों के उत्पादन में 1991-92 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान क्रमशः 41.8 प्रतिशत और 62.1 प्रतिशत गिरावट आई है। वर्ष 1993-94 के दौरान बुनाई और संबंद्ध मशीनों का उत्पादन 149.01 करोड़ रुपये मूल्य के होने की सूचना है जबकि 1991-92 के दौरान उत्पादन का मूल्य 159.41 करोड़ रुपये था।

बजट 1995-96 में इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) बजट से पूर्व, अभ्यावेदन में पाये गए कच्चे माल पर 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगता था जबकि तैयार घटकों पर 25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता था। इस बजट में कच्चे माल पर सीमा-शुल्क घटाकर 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के स्तर तक कर दिया गया है। जबकि तैयार घटकों पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत लगता रहेगा। अतः सामा शुल्क में अन्तर की सीमा में पर्याप्त कमी की गई है।

(2) इस बजट से पूर्व, अध्याय 84 और 85 में आने वाले कुछ हिस्से-पुर्जों पर 25 प्रतिशत से अधिक सीमा शुल्क लगता था, क्योंकि इन हिस्से-पुर्जों में इलैक्ट्रोनिक घटक भी थे। इस बजट में इस प्रकार के हिस्से-पुर्जों पर शुल्क समान रूप से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) इस बजट से पूर्व, बियरिंग पर 25 प्रतिशत से अधिक शुल्क लगता था। इस बजट में बियरिंग पर शुल्क को युक्तियुक्त बना दिया गया है जिससे अधिकांश मामलों में शुल्क में कमी आयेगी।

(4) इस बजट में मशीनी औजारों पर सीमा शुल्क 45 प्रतिशत/35 प्रतिशत से घटाकर समान रूप से 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) इस बजट में ई.पी.सी.जी. योजना के अधीन शुल्क की दर वही रहेगी।

पूंजी निवेश

2300. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डार और उपभोक्ता सहकारी समितियों में किए गए निवेश में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में निवेश में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केन्द्रीय भण्डार, जो कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के

संरक्षण में कार्यरत एकमात्र उपभोक्ता सहकारी समिति है, में कोई निवेश नहीं किया गया है।

तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग शेयरधारकों द्वारा शेयर पूंजी के माध्यम से किए गए निवेश की राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	किया गया निवेश
1991-92	21,370/-
1992-93	10,400/-
1993-94	12,330/-

(ग) और (घ). सरकार का चालू वर्ष में केन्द्रीय भण्डार में निवेश करने/ बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंजर भूमि का विकास

2301. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य उद्योग मंडल ने बंजर भूमि विकास हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि भूमि का आबंटन दीर्घावधि पट्टे पर किया जाये जिसे बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कृषि योग्य बनाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य उद्योग मंडल ने कितने सुझाव दिये हैं;

(घ) सरकार इन सुझावों को लागू करने के लिये कहां तक सहमत हुई है;

(ङ) अब तक लागू किये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) अन्य सुझावों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य उद्योग (पी.एच.डी.सी.सी.आई.) ने जून, 1993 में, दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की थी। इसके पश्चात् अगस्त, 1994 में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य उद्योग द्वारा चलाया जा रहा एक स्वायत्त निकाय पी.एच.डी. ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (पी.एच.डी.आर.डी.एफ.) ने एक कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें बंजर भूमि विकास विभाग ने निगमित क्षेत्र को बनेतर बंजर भूमि के विकास में भागीदारी करने को कहा।

(ख) इस कार्यशाला में निगामित क्षेत्र से कहा गया कि भूमि का विषय राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है और यह विषय संबंधित राज्य सरकारों की नीति और नियमों से संबंधित हैं। बंजर भूमि विकास विभाग के लिए निगमित क्षेत्रों को किसी भी तरह की भूमि मुहैया कराने की स्थिति में नहीं होगा। तथापि कार्यशाला में यह मामला ध्यान में लाया गया कि मध्य प्रदेश गुजरात और कर्नाटक की सरकारों ने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसमें निगमित क्षेत्रों को दीर्घावधि पट्टे पर बनेतर बंजर भूमि दी जायेगी।

(ग) बंजर भूमि विकास विभाग को बनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए पी.एच.डी. ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान सहित निगमित क्षेत्र से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं।

(घ) और (ङ). निगमित क्षेत्र के साथ विचार विमर्श में सुझाव दिया गया कि अपवर्तक प्रवृति की मृदा, खराब वनस्पति आवरण और इस बंजर भूमि को विकसित करने के अधिक अवधि लगने के कारणों से, धनराशि रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी प्रकार बंजर भूमि विकास विभाग ने निगमित क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और अन्य सरकारी विभागों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् चालू वर्ष के दौरान "निवेश संवर्धन योजना" नामक एक योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये जो भी कम हो, निगमित क्षेत्र को दिया जाता है, बशर्ते कि वह बनेतर बंजरभूमि का विकास करें। विभाग ने पहले चरण में केन्द्र स्तर पर समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है। जैसे ही निगमित क्षेत्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि होगी, एक समन्वय प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर भी स्थापित किया जायेगा। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास विभाग ने प्रत्येक राज्य सरकार में एक नोड़ल विभाग बनाया है जो निगमित क्षेत्र की बंजर भूमि की उपलब्धता के संबंध में सूचना मुहैया करायेगा।

(च) राज्य सरकार द्वारा निगमित क्षेत्र की भूमि की अधिकतम सीमा, भूमि के आबंटन/पट्टे पर दिये जाने से संबंधित सुझाव बंजर भूमि विकास विभाग के प्रयोजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। निगमित क्षेत्र को विशेष राज्य या राज्य सरकार के साथ वर्तमान भूमि नियम के अंतर्गत अलग-अलग किसानों के साथ भूमि के लिए बातचीत करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जल और बिजली की सुविधाओं का प्रावधान, स्थानीय स्थितियों, वर्तमान जल वैज्ञानिक कारणों और बिजली के आधार पर निर्भर है। यह विषय भी राज्य सरकार द्वारा देखा जाता है निगमित क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन और टैक्स लाभ के सुझाव, टैक्स छूट की दर के संबंध में जानकारी न होने के कारण नहीं दिये जा सकते। विभिन्न श्रेणियों के उपकरण/मशीनरी और विशेष निवेश की आवश्यकता पी.एच.डी. ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान से प्रतीक्षित है।

भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम

2302. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने फर्मों को कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिए छूट देने हेतु भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात के लिए कृषि पैदावार को बढ़ाने के इच्छुक किसानों को भी यह छूट प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) किसी भी राज्य सरकार ने कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिए फर्मों को छूट देते हुए अपनी विद्यमान भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियमों में कोई संशोधन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). निर्यात के लिए कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए विद्यमान भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों से किसानों को मुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत उत्पादन हेतु वार्ता

2303. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की एक फर्म तथा गुजरात स्थित एक फर्म कोयला और विद्युत के उत्पादन हेतु भूमि और कूड़ा-करकट के अर्जन के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे क्या प्रगति हुई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज

2304. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने मेडिकल कालेज हैं;

(ख) 1993-94 के शैक्षिक वर्ष में कुल दाखिलों/इनसे पास करके निकले विद्यार्थियों की क्या संख्या है;

(ग) क्या ये सभी कालेज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उन कालेजों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मान्यता नहीं दी गयी है तथा जिनके प्रार्थना पत्र काउंसिल के पास लंबित हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि देश में 146 चिकित्सा कालेज हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित सभी चिकित्सा कालेजों की कुल प्रवेश क्षमता 14210 है।

(ग) और (घ). भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में चिकित्सा कालेजों की मान्यता का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा कालेजों का मूल्यांकन करती है कि वे इस परिषद द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप हों। ऐसे 20 मामले हैं जो मूल्यांकन की विभिन्न आवस्थाओं में हैं और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पास अभी भी विचाराधीन हैं।

विवरण

देश में चिकित्सा कालेजों की राज्यवार संख्या

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	असम	3
3.	बिहार	10
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	6
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू और कश्मीर	3
9.	कर्नाटक	18
10.	केरल	5
11.	मध्य प्रदेश	6
12.	महाराष्ट्र	31
13.	मणिपुर	1
14.	उड़ीसा	3
15.	पंजाब	5
16.	राजस्थान	6
17.	तमिलनाडु	14
18.	उत्तर प्रदेश	9
19.	पश्चिम बंगाल	7
20.	चण्डीगढ़	1
21.	दिल्ली	4
22.	पॉडिचेरी	1
		146

औषधों पर प्रतिबंध

2305. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरुदास कामत :
श्री मोहन रावले :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
डा. असीम बाला :
डा. राम चन्द्र डोम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषध नियंत्रक ने हाल ही में कतिपय डायरिया-रोधी और अन्य औषधों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के औषध नियंत्रक द्वारा अब तक कुल कितने औषधों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) भारत के औषध नियंत्रक द्वारा प्रतिबंधित की गई सभी औषधों को बाजार से तत्काल हटाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). विशेषज्ञों और औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड जो औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत सांविधिक तकनीकी सलाहकार निकाय है, की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित छः अतिसाररोधी औषधियों के निर्माण और उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है :—

1. के. ओलिन अथवा पैक्टिन अथवा अट्टापुलजाइट अथवा एक्टिवेटेड चारकोल वाले अतिसार रोधी औषधि-योग
2. फिथालिल सल्फाथियाजोल अथवा सल्फाक्वेनिडाइन अथवा सक्सीनाइल सल्फाथ्लाजोल वाले अतिसार-रोधी औषध-योग
3. न्योमाइसिन अथवा स्ट्रैप्टोमाइसिन अथवा डिहाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसिन, जिनमें उनके संबंधित लवण अथवा ऐस्टर्स शामिल हैं, वाले अतिसार-रोधी औषध-योग।
4. बाल चिकित्सा उपयोग के लिए तरल मुख सेव्य अतिसार-रोधी औषध अथवा कोई अन्य खुराक जिनमें डाइफीनोक्सीलेट अथवा लोपेरामाइड अथवा एटरोपाइन अथवा बेलाडोन्ना, जिनमें उनके लवण अथवा ऐस्टर्स अथवा मेटाबोलाइटिस हायोसियामाइन अथवा उनके तत्व अथवा उनके क्षारोद शामिल हों।
5. हालोजिनेटेड हाइड्रोक्वीनोलाइन्स वाले बाल चिकित्सा उपयोग के लिए तरल मुख सेव्य अतिसार-रोधी औषधों अथवा कोई अन्य प्रकार।
6. इलैक्ट्रोलाईट्स के साथ अतिसार-रोधी औषधों के मिश्रण की निश्चित खुराक।

(ग) औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा अब तक प्रतिबंधित 51 औषधों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत औषधियों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों में भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें प्रतिबंधित औषधों के नाम और विवरण अधिसूचित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले औषध नियंत्रकों, औषध निर्माताओं के प्रमुख संघों तथा कैमिस्टों की आवश्यक कार्रवाई हेतु तुरन्त उपलब्ध कराना शामिल है।

विवरण

औषधों, जिन्हें निर्मित अथवा उनकी बिक्री करने पर औषध नियंत्रक, भारत द्वारा रोक लगा दी गई है, के नामों को दर्शाने वाला विवरण

1. एमिडोपाइरिन।
2. प्रवाहक-रोधी कारकों और प्रशान्तकों सहित विटामिनों का निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
3. पीड़ा नाशकों और ज्वर रोधकों में एट्रोपाइन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
4. शक्तिवर्धकों में स्ट्रिचनाइन और कैफीन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
5. टेस्टोस्टेरोन और विटामेनों सहित योहिम्बाइन और स्ट्री ओहनाइन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
6. स्ट्रिचनाइन आर्सेनिक और योहिम्बाइन सहित आयरन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
7. अन्य औषधों सहित सोडियम ब्रोमाइड/क्लोरल हाइड्रेट के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
8. फेनेसेटिन
9. अतिसारीय रोधी सहित एण्टी-हीस्टामिनिक्स के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
10. सल्फोनेमाइड्स सहित पेन्सिलिन।
11. पीड़ानाशकों सहित पेन्सिलिन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
12. विटामिन सी सहित कोई अन्य टेट्रासाइक्लिन्स के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
13. अतिसार और पेचश के उपचार के प्रयोग तथा केवल बाह्य प्रयोग के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाले सम्पाकों को छोड़कर हाइड्रोजिगिनोल्माइन ग्रुप की औषधों के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

14. आन्तरिक प्रयोग के लिए किसी अन्य औषध के साथ कोर्टिको स्टेरायड्स के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

15. आन्तरिक प्रयोग के लिए किसी अन्य औषध के साथ क्लोरेम्फेनिकोल के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

16. माइग्रेन, सिर दर्द के उपचार के लिए एर्गोटिमाइन, कैफीन, पीड़ानाशक, एंथिस्टेमाइन्स युक्त वाले सम्पाकों को छोड़कर अशोधित एर्गोट सम्पाकों निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

17. क्षयरोधी सहित विटामिनों के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

18. पेन्सिलिन त्वचा/नेत्र मरहम।

19. टेट्रासाइक्लिन द्रव्य मुखसेव्य सम्पाक।

20. निलेमाइड

21. प्रेक्टोकोल

22. मेथापिरिलेने, इसके लवण

23. मैथाक्वेलोन

24. आक्सीटेट्रासाइक्लिन द्रव्य मुखसेव्य सम्पाक।

25. डेमेक्लोसाइक्लिन द्रव्य मुखसेव्य सम्पाक।

26. अन्य औषधों सहित एनेकोलिक स्टेरायड्स का सम्मिश्रण।

27. ओएस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टिन (मुखसेव्य गर्भ निरोधक को छोड़कर) के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण जिसमें प्रति गोली ऐस्ट्रोजेन तत्व 50 मि.ग्रा. (इथिनिल ऐस्ट्राडियोल के समतुल्य) से अधिक और प्रोजेस्टिन तत्व 3 मि.ग्रा. (नोरेथिस्टेरोन एसिटेट के समतुल्य) से अधिक हो तथा सभी निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण इन्जेक्टेकल सम्पाक जिसमें सिन्थेटिक ओएस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टोसेन हो।

28. पीड़ानाशक ज्वर नाशकों सहित सिडेटिव्ज/हिप्नोटिक्स/एक्सियोलिटिक्स के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

29. नीचे दी गई अनुमोदित दैनिक खुराक के अनुसार रिफेम्पिसिन और आई.एन.एच. सहित पिरेजिने माइड के सम्मिश्रण को छोड़कर अन्य क्षयरोधी औषधों सहित पिरेजिनेमाइड के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण :

आषधें	न्यूनतम	अधिकतम
रिफेम्पिसिन	450 मि.ग्रा.	600 मि.ग्रा.
आई.एन.एच.	300 मि.ग्रा.	400 मि.ग्रा.
पिरेजिनेमेडे	1000 मि.ग्रा.	1500 मि.ग्रा.

30. औषध नियंत्रक, भारत द्वारा अनुमोदित उन सम्मिश्रणों को छोड़कर एंटेसिड्स सहित हिस्टामाइन एच.2-रिसेप्टर एंटोगोनिस्ट्स के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

31. भारतीय भेषज संहिता में दिए गए सम्पकों को छोड़कर 20 प्रतिशत प्रमाण से अधिक प्रतिशतता वाले एल्कोहल सहित अनिवार्य तेलों के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रणों की पेटेन्ट और स्वामित्व औषधें।

32. सभी भेषजीय सम्पाक, जिसमें 0.5 प्रतिशत डब्ल्यू/डब्ल्यू अथवा वी./वी, जो भी उपयुक्त हो, से अधिक क्लोरोफार्म हो।

33. निम्नलिखित को छोड़कर आई.एन.एच. सहित इथेम्बुटोल के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण :

आई.एन.एच.	इथेम्बुटोल
200 मि.ग्रा.	600 मि.ग्रा.
300 मि.ग्रा.	800 मि.ग्रा.

34. निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण जिसमें एक ऐंटीहिस्टामाइन से अधिक हो।

35. पिपराजाइन/सेंटोनिन को छोड़कर के थार्टिक/पुरगेटिव सहित किसी एंथेल्यिांटिक का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।

36. केन्द्रीय एक्टिंग एंटी-ट्युसिव और/अथवा एंटीहिस्टामाइन सहित सल्बुटामोल अथवा किसी अन्य ओरोक्नोडिलेटर का निश्चित खुराक वाला सम्मिश्रण।

37. ऐन्जाइम सम्पाकों में लेक्सेटिव्ज और/अथवा एंटीस्पेमोडिक औषधों का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।

38. सम्पाकों जिनमें मेटोक्लोप्रेमाइड और एस्पिरिन/पेरासिटामोल हो, के सिवाय अन्य औषधों सहित मेटोक्लोप्रेमाइड का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।

39. निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण अथवा एक्सपेक्टोरेंट्स में क्रियाशीलता जैसे उच्च एट्रोपाइन युक्त एंटीहिस्टामाइन सहित केन्द्रीय एक्टिंग एंटीट्यूसिव।

40. दमे से जुड़ी हुई खांसी की रोकथाम का दावा करने वाले सम्पाक जिसमें सेन्ट्रल्ली एक्टिंग एंटीट्यूसिन और/अथवा एक एंटीहिस्टामाइन हों।

41. द्रव्य मुखसेव्य शक्तिवर्धक सम्पाक जिसमें ग्लाइसेरो-फासफेट्स और/अथवा अन्य फासफेट्स और/अथवा केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली उद्दीपक हों और ऐसे सम्पाक जिनमें 20 प्रूफ से अधिक ऐल्कोहल हो।

42. औषधों, जो प्रणालीबद्ध रूप से मिलाई न गई हों, सहित पेक्टिन और/अथवा केयोलिन के सम्पाकों के सिवाय किसी औषध, जो जी.आई. ट्रेक्ट से प्रणालीबद्ध रूप से मिलाई गई हों, सहित पेक्टिन और/अथवा केयोलिन युक्त निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।

43. एक औषध के रूप में क्लोरल हाइड्रेट तम्बाकू युक्त टूथ पेस्टें/टूथ पाऊडर (प्रसाधन-सामग्री)

44. डोवर का पाऊडर आई.पी.

45. डोवर का पाऊडर, गोलियां आई.पी.

46. केओलिन अथवा पैक्टीन अथवा अट्टामूलजाइट अथवा एक्टीवेटिड चारकोल वाली अतिसार रोधी मिश्रण।

47. फथालाईसल्फाथिंजजोल अथवा सल्फापेडिंग अथवा सुक्कीसल्फाथिंजजोल के मिश्रण वाला अतिसार रोधी मिश्रण।

48. न्योमाइसीन अथवा स्ट्रेपटीमाइसीन अथवा डीहाड्रो स्पेक्टोमाइसीन जिनमें उनके इस्टर-धार मिलें हों वाली अतिसार रोधी मिश्रण।

49. बाल चिकित्सा के उपयोग में आने वाली मुखसेवी अतिसार रोधी द्रव्य/अथवा अन्य कोई खुराक जिसमें डिफेनोक्साइलेट अथवा लोपरामाइड अथवा एट्रोपिन हाइसायमिन अथवा उनके निष्कर्षण अथवा उनके अल्कालायड हो।

50. बाल चिकित्सा के उपयोग में आने वाली मुखसेवी अतिसार रोधी द्रव्य अथवा अन्य कोई खुराक जिसमें हेलोजेनेटिड हाइड्रोक्सीक्लीनोलिन सम्मिश्रण हो।

51. इलेक्ट्रोलाइटिस सहित अतिसार रोधी के मिश्रण के निर्धारित खुराक।

लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद

2306. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् को मंजूरी हेतु कितनी योजनाओं के प्रस्ताव मिले हैं तथा 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) 1993-94 और 1994-95 (फरवरी, 1995 तक) हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् की देखरेख में चल रही प्रत्येक योजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् द्वारा गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग प्राप्त करने हेतु अपने कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) कापार्ट को, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए 1993-94 के दौरान 11,169 और 1994-95 (27.3.95 तक) 6637 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कापार्ट को जारी की गई निधियां एवं कापार्ट द्वारा 1993-94 और 1994-95 (28.2.95 तक) के दौरान स्वैच्छिक एजेन्सियों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) कापार्ट के कार्यकरण की समय-समय पर, कार्यकारिणी समिति और जैनरल बाडी की बैठकों में समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, इसे सुदृढ़ करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। यह प्रक्रिया जारी रहती है।

हाल ही में कापार्ट को जनता के करीब लाने और इसके तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों के परस्पर सम्पर्क में निकटता सुनिश्चित करने के लिए 6 क्षेत्रीय समितियां स्थापित करके कापार्ट के कार्यकरण को विकेन्द्रित किया गया है। क्षेत्रीय समितियां 5 लाख रुपए तक के परिव्यय के परियोजना प्रस्तावों पर विचार करेंगी। आशा की जाती है कि कापार्ट के विकेन्द्रीकरण से न केवल इसकी कार्यक्षमता और प्रभावोत्पादकता बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों की वृद्धि होगी, प्रसार होगा और इनमें सुदृढ़ता आएगी।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

योजना	1993-94		1994-95 (26.2.95 तक)	
	मंत्रालय द्वारा कापार्ट को रिलीज की गई धनराशि	कापार्ट द्वारा स्वैच्छिक एजेंन्सियों को रिलीज की गई धनराशि	मंत्रालय द्वारा कापार्ट को जारी की गई धनराशि	कापार्ट द्वारा स्वैच्छिक एजेन्सियों को जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	16.99	12.58	15.00	13.06
जवाहर रोजगार योजना	10.00	10.76	6.00	6.96
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	8.59	9.54	9.00	5.94

1	2	3	4	5
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों का संगठन	2.50	2.44	2.50	1.66
ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों का संवर्धन	9.50	11.32	9.50	7.04
ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम	4.50	4.32	3.00	2.11
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1.43	1.22	1.50	1.54
ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना	8.50	10.36	12.00	7.61
कुल	62.01	62.54	58.50	45.92*

* इसके अतिरिक्त 3 करोड़ रुपये कापार्ट की क्षेत्रीय समितियों को अन्तरित किए गए हैं।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

2307. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास सहित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के लिए अमरीका के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच रक्षा संबंधों के बारे में जनवरी, 1995 में एक "सहमत कार्यवृत्त" पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें दोनों देशों के सिविलियनों के बीच पारस्परिक सम्पर्क, सेनाओं में सहयोग और अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था की गई है। सेनाओं के पारस्परिक सहयोग में अन्य बातों के साथ-साथ दक्षता और अत्याधुनिकता के अधिकाधिक उच्चतर स्तरों पर संयुक्त अभ्यास भी शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या

2308. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के 16 उद्यम थे। उन उद्यमों के नाम तथा उनमें कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	कॉलम 2 में से अनुसूचित जनजाति की संख्या
1.	फैरो स्क्रेप निगम लि.	140	152
2.	नेपा लि.	3098	85
3.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	22286	415
4.	नार्दर्न कोल फील्ड्स लि.	16165	800
5.	साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि.	97523	21925
6.	मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि.	*63	उपलब्ध नहीं

(*31.3.1991 की स्थिति के अनुसार)

[हिन्दी]

"भेल" और एच.ई.सी.

2309. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम ऐसी मशीनें जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा निर्मित की जा रही हैं, निजी क्षेत्रों से खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नीति निर्दिष्ट की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदारियों हेतु सरकार ने निम्नलिखित खरीद-नीति विनिर्दिष्ट की है;

"जहां बताई गई दर न्यूनतम मूल्य के 10 प्रतिशत के भीतर है, वहां अन्य बातें समान होने पर, सम्बन्धित सरकारी उपक्रम को, न्यूनतम वैध मूल्य बोली पर खरीद अधिमान दिया जा सकता है"।

[अनुवाद]

केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

2310. श्री ए. चार्ल्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार ने केन्द्र सरकार से त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). केरल सरकार से, केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने के लिए 1971 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचार 1972 में मांगे गए थे। राज्य सरकार ने तारीख 2.4.1985 के अपने पत्र में कथन किया कि इस मामले में उसने अंतिम रूप से कोई राय व्यक्त नहीं की है। केरल उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने मई, 1993 में सूचना दी थी कि उच्च न्यायालय राज्य में अपने प्रधान स्थान से अन्यथा कोई न्यायपीठ स्थापित किए जाने के पक्ष में नहीं है। न तो राज्य सरकार और न ही उच्च न्यायालय से कोई संसूचना प्राप्त हुई है। इसे दृष्टि से रखते हुए, केन्द्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति

2311. श्री सत्पदेव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसके उपग्रह प्रक्षेपणयान के लिए क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो रूस ने कितने क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है और उसके मूल्य क्या होंगे तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को पहला क्रायोजेनिक इंजन कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है;

(ग) क्या रूस द्वारा भारत को कोई क्रायोजेनिक इंजन मुफ्त दिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे इंजनों का देश में ही निर्माण करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो इसकी लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). इंजिनों सहित क्रायोजेनिक चरणों की आपूर्ति के संबंध में रूस के साथ संशोधित ठेके के अन्तर्गत रूस 335 करोड़ रुपयों की राशि के लिए 4 उड़ान चरणों और एक प्रौद्योगिकी मॉडल और एक प्रणोदक भरण मॉडल की आपूर्ति करेगा। प्रथम क्रायोजेनिक चरण के 1996 की अन्तिम तिमाही तक प्राप्त होने की आशा है। इसके अलावा, मूल करार में दिए गए प्रावधान का उपयोग करते हुए, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3 मिलियन अमरीकी डालर के प्रति यूनिट मूल्य पर अन्य 3 क्रायोजेनिक चरणों को प्राप्त करने के लिए विकल्प का उपयोग किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार ने अप्रैल 1994 में 335.89 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (सी.यू.एस.) के विकास संबंधी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना में आवश्यक अवसंरचना की स्थापना तथा दो उड़ान-उपयुक्त क्रायोजेनिक चरणों, जिसमें क्रायोजेनिक इंजिन शामिल हैं, का विकास, अर्हता और आपूर्ति की संकल्पना की गई है। इंजिन सहित प्रथम उड़ान-उपयुक्त चरण के 1998-99 तक विकास किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत का उपयोग करना

2312. डा. मुमताज अंसारी :
श्री राजेश कुमार :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को चालू वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा द्वारा ताप विद्युत तथा फोटोवोल्टिक प्रणाली का अधिकतम उपयोग

करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके उपयोग के क्या तरीके हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). सरकार द्वारा सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत, समाजोन्मुख और बाजारोन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत सड़क रोशनी प्रणालियां, घरेलू रोशनी प्रणालियां, सौर लालटेन और छोटे ग्राम स्तर के सौर विद्युत संयंत्र जैसी विभिन्न सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की विद्युत उत्पादन के लिए स्थापना की गई है। सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन ऐजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूर की गई विभिन्न सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर जिले के मैघानियां गांव में 35 मेवा के एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र को हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और इस परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाने के ब्यौरे को तैयार किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान मंजूर की गई सौर लालटेन की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	सौर लालटेन (संख्या)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1198
2.	अरुणाचल प्रदेश	800
3.	गुजरात	700
4.	हरियाणा	1400
5.	हिमाचल प्रदेश	4000
6.	जम्मू एवं कश्मीर	1500
7.	केरल	5500
8.	मध्य प्रदेश	5000
9.	मेघालय	600
10.	उड़ीसा	1100
11.	तमिलनाडु	4000
12.	उत्तर प्रदेश	10000
13.	दिल्ली	2000

इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में 400 सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियों, राजस्थान में 90 किवा समग्र क्षमता के, और पश्चिम बंगाल में 25 किवा क्षमता के सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों के लिए परियोजनाएं, मंजूर की गई हैं।

[अनुवाद]

तट रक्षक संगठन

2313. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तट रक्षक संगठन को और सशक्त बनाने हेतु इसके संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तट रक्षक संगठन की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जायेंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). तटरक्षक संगठन के कार्य और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए इसके संगठनात्मक ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) तटरक्षक को तटरक्षक संदर्श योजना 1985-2000 और पंचवर्षीय तटरक्षक विकास योजनाओं जिनमें तटरक्षक के संतुलित विकास की व्यवस्था की गई है, के अनुसार उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप धनराशि उपलब्ध होने पर सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जा रहा है।

गुजरात को सहायता अनुदान

2314. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 और 1994-95 के दौरान आज तक गुजरात राज्य हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को कोई सहायता-अनुदान प्रदान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत सभी अनुदानों का उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों के लिए भारत जनसंख्या परियोजना VII परियोजना के अंतर्गत परिवार कल्याण विभाग तथा राज्य के माध्यम से गुजरात राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है :

	परिवार कल्याण विभाग	भारत जनसंख्या परियोजना VII परियोजना
1993-94	22,59,200	12,50,000
1994-95	31,00,000	10,00,000

(ग) और (घ). स्वैच्छिक संगठनों ने वर्ष 1994-95 के दौरान हाल ही में दी गई धनराशि को छोड़कर सभी अनुदानों का उपयोग किया है। राज्य सरकार की ओर से उपयोग रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक दवाइयां

2315. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में बेची जा रही आयुर्वेदिक दवाइयां घटिया स्तर की और नकली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले पकड़े गए; और

(ग) इन कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर, घटिया स्तर की और नकली आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री/विनिर्माण का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा

2316. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के पहाड़ी जिलों में सशक्त स्थलों पर विद्युत उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा को काम में लाने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी परियोजनाओं हेतु उपयुक्त स्थानों का चयन करने के लिए एक दल नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पवन संसाधन आंकलन कार्यक्रम के अंतर्गत केरल में उसके पहाड़ी क्षेत्रों सहित, पवन विद्युत उत्पादन के लिए संभाव्य स्थलों का पता लगाने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। अब तक राज्य में निम्नलिखित स्थलों का पता लगाया गया है जिन्हें पवन विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त समझा गया है :

क्र.सं.	स्थल	जिला
1.	काजीकोड	पालाकाड
2.	कोटामाला	पालाकाड
3.	कोटाथारा	पालाकाड
4.	पोडमुडी	तिरूअनन्तपुरम
5.	पुल्लीकारम	इडुकी
6.	रामकालमेड	इडुकी
7.	पेचालमुडी	इडुकी

(ग) और (घ). भारतीय कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की क्षेत्र अनुसंधान यूनिट, बंगलौर और अपारंपरिक ऊर्जा एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी एजेंसी (ए एन ई आर टी), त्रिवेन्द्रम के माध्यम से केरल में पवन संसाधन आंकलन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

मोतियाबिन्द

2317. श्री एन. डेनिस :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोतियाबिन्द के कारण नेत्रहीनता के मामलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में गत वर्ष के दौरान मोतियाबिन्द के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में मोतियाबिन्द के कितने आपरेशन किए गये; और

(घ) सरकार ने मोतियाबिन्द पर नियंत्रण पाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) 1989 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में नेत्रहीनता की व्याप्तता दर 1.49 प्रतिशत है। मोतियाबिन्द के कारण नेत्रहीनता लगभग 80 प्रतिशत है और मोतियाबिन्द से होने वाली नेत्रहीनता की वार्षिक घटना-दर 2 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग). पिछले वर्ष अर्थात् 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में नेत्रहीन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या और किए गए मोतियाबिन्द के आपरेशनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) मोतियाबिन्द समेत विभिन्न कारणों के कारण नेत्रहीनता की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

i. नेत्र परिचर्या संबंधी बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण,
ii. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या संबंधी कवरेज का विस्तार,
iii. नेत्र परिचर्या संबंधी कार्मिक शक्ति का प्रशिक्षण,
iv. जिला नेत्रहीनता नियंत्रण सोसायटी की स्थापना,
v. जन-साधारण में नेत्र परिचर्या,
vi. केन्द्रीय प्रायोजित नेत्र हीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वित्तीय परिव्ययों में वृद्धि करना।

विवरण

अनुमानित दृष्टिविहीन व्यक्ति और 1993-94 में किए गए मोतियाबिन्द के आपरेशन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुमानित दृष्टिविहीन व्यक्ति	किए गए आपरेशन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,88,000	1,67,825
2.	अरुणाचल प्रदेश	13,000	177
3.	असम	3,00,000	16,590
4.	बिहार	10,66,000	66,820
5.	दिल्ली	62,000	27,847
6.	गोवा	25,000	3,271
7.	गुजरात	5,83,000	1,53,255
8.	हरियाणा	1,83,000	61,665
9.	हिमाचल प्रदेश	45,000	8,969
10.	जम्मू व कश्मीर	2,11,000	3,013
11.	कर्नाटक	5,59,000	93,359
12.	केरल	3,67,000	30,091
13.	मध्य प्रदेश	13,22,000	1,61,656
14.	महाराष्ट्र	12,52,000	2,50,299
15.	मणिपुर	11,000	592
16.	मेघालय	3,000	1,308
17.	मिजोरम	—	269
18.	नागालैंड	4,000	134
19.	उड़ीसा	5,38,000	27,258
20.	पंजाब	1,40,000	1,18,207
21.	राजस्थान	9,38,000	86,430
22.	सिक्किम	3,000	592
23.	तमिलनाडु	9,22,000	2,08,712
24.	त्रिपुरा	34,000	3,259
25.	उत्तर प्रदेश	20,98,000	2,81,360
26.	पश्चिम बंगाल	6,54,000	1,29,834
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1,900	243
28.	चण्डीगढ़	11,400	3,480
29.	दादरा व नगर हवेली		85
30.	दमण व द्वीव	..	204
31.	लक्षद्वीप	400	39
32.	पांडिचेरी	..	4,333
योग		12435200	19,12,989

* स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन/भारत सरकार राष्ट्रीय सर्वेक्षण (1986-89), जनगणना जनसंख्या, 1991 के लिए अनुमानित दृष्टिविहीन व्यक्ति

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2318. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम सहित प्रमुख विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग राज्य-वार किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने कार्य किए जायेंगे?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग). ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम आदि मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से VIII पर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार शुरू किए जाने वाले कार्यों की मात्रा अभी अंतिम रूप से निश्चित नहीं की गई है।

विवरण-I

1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अ.जा./अ.ज.जा. को लाभान्वित करने वाले कार्यों की संख्या	लघु सिंचाई एवं बाढ़ रोकथाम कार्य (हे.)	भूमि संरक्षण कार्य (हे.)	ग्राम टैंकों का निर्माण (संख्या)	भूमि विकास कार्य (संख्या)	पेयजल कुओं तालाबों आदि की संख्या	ग्रामीण सड़कें (कि.मी.)	विद्यालय भवन (संख्या)	आवास स्थलों का विकास (संख्या)	मकानों का निर्माण (संख्या)	पंचायत घर	महिला मंडल	स्वच्छता शौचालय	दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत निर्मित कुएं	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण	अन्य कार्य
आन्ध्र प्रदेश	15198	15.00	0.00	163	67.00	3077	6422.55	3667	72	696	1165	214	3041	12755	10876	25014
अरुणाचल प्रदेश	513	34.00	8.26	0	13.00	0	551.00	109	0	99	10	6	35	0	232	248
असम	4433	3726.71	106.58	300	439.21	1327	1657.88	532	151	385	13	65	422	629	1231	1191
बिहार	98388	388.21	1517.46	288	622.00	15130	7834.82	3711	1622	1184	2321	126	2843	50836	22541	49406
गोवा	59	असूचित	0.00	39	0.00	217	105.80	3	0	0	0	0	0	0	52	201
गुजरात	17252	1429.00	2463.00	836	481.00	1466	3566.43	1512	97	150	832	16	1249	6364	4939	8688
हरियाणा	4312	58.23	0.00	278	174.30	128	480.58	551	79	0	157	16	65	394	968	1294
हिमाचल प्रदेश	2313	829.00	0.00	349	225.00	726	397.60	323	0	59	131	64	414	48	362	4564
जम्मू व कश्मीर	18989	11290.00	10459.00	115	707.00	1119	1678.00	39	0	7975	326	2	228	1440	495	2543
कर्नाटक	16289	192.00	15075.00	280	262.00	572	11730.00	3038	118	4629	168	175	564	1817	6092	16342
केरल	19517	166.00	5.00	13	8.00	433	1873.38	53	0	6326	0	0	6112	1742	5172	2259
मध्य प्रदेश	118418	22.00	58.87	18	3.00	2225	6641.30	1630	4642	23097	235	411	140	30729	40644	24056
महाराष्ट्र	33592	912.00	1981.00	256	1360.00	2152	4517.00	3539	622	3342	1446	102	2237	7997	9927	29368
मणिपुर	288	33.00	2.00	7	75.00	6	96.00	17	1	27	7	8	13	108	140	128
मेघालय	863	1.00	0.00	0	203.83	5	62.50	131	6	8	63	6	4	413	388	248
मिजोरम	1085	0.00	0.00	10	4.00	88	531.00	50	12	28	0	4	40	329	256	268
नागालैंड	2066	0.00	0.00	0	0.00	1223	132.41	76	0	0	25	0	0	0	1581	742
उड़ीसा	49797	232.41	330.15	2607	2164.49	2891	19704.75	6027	211	3168	449	128	89	21394	17028	9298
पंजाब	5450	0.00	254.00	139	122.00	81	5.00	628	0	0	664	39	519	0	1191	5246
राजस्थान	32922	7.00	36.00	789	6.00	651	1490.75	2403	138	1565	138	225	375	11500	13174	14711
सिक्किम	633	4.00	90.00	213	92.00	81	747.69	29	113	7	10	0	14	0	166	260
तमिलनाडु	43640	8.00	0.00	757	0.00	205	2639.55	641	0	0	894	0	81	2872	40768	14104
त्रिपुरा	2113	66.00	94.00	517	110.75	80	881.72	53	16	666	68	0	96	354	472	1430
उत्तर प्रदेश	86100	30425.00	28616.00	516	5384.00	22384	26763.00	816	405	32632	450	12	3279	8780	20262	19369
पश्चिम बंगाल	25849	6611.00	609.00	2009	366.00	30376	11114.00	1716	1674	601	376	332	6433	11792	8223	8950
अ.व.नि. द्वीप समूह	89	0.00	0.00	0	0.00	41	24.14	1	1	0	9	0	0	5	17	62
दादर व नगर हवेली	152	0.00	0.00	7	0.00	52	40.95	6	0	0	0	0	1	20	53	20
दमन व दीव	19	0.00	0.00	0	0.00	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	26	15
लक्षद्वीप	57	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	50	0	0	57
पांडिचेरी	43	0.00	2.35	13	0.00	0	16.41	102	3	0	0	00	0	10	22	21
योग :	584394	56369.56	61708.07	10519	12889.58	86796	111706.26	31403	9983	86654	9957	1951	28344	172328	207299	240103

विवरण–II

1992–93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आ.जा./अ.ज.जा. को लाभान्वित करने वाले कार्यों की संख्या	लघु सिंचाई एवं बाढ़ रोकथाम कार्य (हे.)	भूमि संरक्षण कार्य (हे.)	ग्राम टैंकों का निर्माण (संख्या)	भूमि विकास कार्य (संख्या)	पेयजल कूओं तालाबों आदि की संख्या	ग्रामीण सड़के (कि.मी.)	विद्यालय भवन (संख्या)	आवास स्थलों का विकास (संख्या)	मकानों का निर्माण (संख्या)	पंचायत घर (संख्या)	महिला मंडल (संख्या)	स्वच्छता शौचालय (संख्या)	दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कूओं का निर्माण (संख्या)	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण (संख्या)	अन्य कार्य (संख्या)
आन्ध्र प्रदेश	31206	1950.00	395.00	467	72.00	1762	7456.93	2578	136	610	1040	157	1782	11457	10961	14780
अरुणाचल प्रदेश	486	28.00	6.00	.	3.66	2	544.00	54	.	14	73	33	.	0	218	92
असम	2971	367.89	68.17	109	1612.72	274	2411.95	303	44	116	553	38	9	1162	1037	1105
बिहार	125209	209.40	685.00	309	580.00	17992	15483.80	2843	4291	400	1513	239	1783	50689	28189	18327
गोवा	38	.	.	79	.	465	173.80	10	.	.	56	9	.	12	55	419
गुजरात	14545	1490.50	408.50	864	352.007	1710	3287.72	1021	105	217	661	84	877	4874	4889	7602
हरियाणा	2521	असूचित	.	78	125.00	158	154.02	746	76	.	172	15	23	963	1002	776
हिमाचल प्रदेश	1828	6.00	.	145	23.58	571	511.98	179	.	31	229	27	.	34	351	2028
जम्मू व कश्मीर	2274	798.00	162.00	437	780.00	306	1184.00	8	11	.	.	.	47	725	425	3258
कर्नाटक	26160	457.00	4000.00	521	1702.00	1600	9615.00	2911	187	6613	251	467	1299	3803	7197	18746
केरल	12883	असूचित	असूचित	.	.	309	1767.19	47	.	5613	.	.	4516	3893	4100	3054
मध्य प्रदेश	126690	14.00	18.00	872	114.00	1175	7887.45	1303	308	3146	547	196	105	43396	47156	42627
महाराष्ट्र	43142	403.00	1241.00	319	675.00	2954	5250.00	3718	447	3852	1111	99	1911	6739	8778	33284
मणिपुर	1303	44.00	.	8	असूचित	22	455.783	24	10	11	4	.	12	189	213	996
मेघालय	1702	.	24.30	9	147.00	28	351.78	138	1	19	88	71	.	788	432	123
मिजोरम	379	शून्य	शून्य	28	असूचित	22	275.50	55	1	40	शून्य	शून्य	21	322	224	234
नागालैंड	71	..	.	.	.	.	208.11	72	.	.	.	.	134	774	1603	506
उड़ीसा	9943	212.90	313.02	3202	875.25	5084	16484.69	4668	231	2464	383	213	59	21126	11305	7413
पंजाब	1421	.	26.00	24	120.00	.	.	25	.	.	131	2	290	0	3359	1134
राजस्थान	11241	19.00	58.32	363	77.00	761	1653.33	2276	214	2414	326	206	475	9973	10541	15480
सिक्किम	387	9.00	0.00	27	53.00	71	646.15	1	5	1	6	.	6	0	140	297
तमिलनाडु	21571	असूचित	.	975	.	158	2679.00	1432	.	.	241	.	.	7162	14409	13653
त्रिपुरा	1773	92.75	90.05	299	94.22	582	831.92	8	8	227	45	8	61	716	343	284
उत्तर प्रदेश	83384	5453.00	4904.00	450	560.00	26974	26726.00	415	2799	48399	1054	.	370	5437	22218	16822
पश्चिम बंगाल	8198	9185.00	1555.00	1130	534.00	17285	17100.00	3675	1350	820	836	55	1485	6718	13380	5692
अंडमान निकोबार	.	.		.	.	30	13.00	1	.	.	.	.	.	0	20	1
दादर व नगर हवेली	142	.				41	33.60	2		.			.	30	52	17
दमन व दीव														0	21	
लक्षद्वीप	21	.	असूचित	.		17	असूचित	.	.	.		4	.	0	0	2
पांडिचेरी	69	असूचित	असूचित	असूचित	.	असूचित	9.63	1	असूचित	1	.	.	.	13	47	11
योग	531558	30739.44	13955.36	10715	8500.43	80351	123196.38	28514	10224	75009	9320	1923	15265	190995	192585	208763

विवरण-III

1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आ.जा./अ.ज.जा. को लाभांवित करने वाले कार्यों की (संख्या)	लघु सिंचाई एवं बाढ़ रोकथाम कार्य (हे.)	भूमि संरक्षण कार्य (हे.)	ग्रामीण टैंकों का निर्माण (संख्या)	भूमि विकास कार्य (संख्या)	पेयजल कुओं तालाबों आदि का निर्माण (संख्या)	ग्रामीण सड़कें (कि.मी.)	विद्यालय भवन (संख्या)	आवास स्थलों का विकास (संख्या)	मकानों का निर्माण (संख्या)	पंचायत घर (संख्या)	महिला मंडल (संख्या)	स्वच्छता शौचालय (संख्या)	दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण (संख्या)	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण (संख्या)	अन्य कार्य संख्या
आन्ध्र प्रदेश	34023	16.12	28.00	377	230.00	2250	4676.07	1801	107	162	584	55	1164	15581	44897	7437
अरुणाचल प्रदेश	418	20.00	25.00	0	31.00	4	36.00	28	66	34	21	16	8	77	120	26
असम	1897	472.20	113.00	39	139.50	106	1401.47	229	19	31	286	16	24	1129	4304	287
बिहार	228345	1409.00	712.00	267267	371.00	14656	14546.08	3059	3119	2928	1042	304	1463	41203	88960	21880
गोवा	80	0.00	0.00	5	0.00	16	10.00	1	0	0	14	0	0	0	84	45
गुजरात	8143	1929.04	85.00	465	615.00	1701	3717.49	1359	158	257	624	1	1679	5602	6692	8724
हरियाणा	5644	63.00	155.00	33	0.00	39	273.41	363	5	0	97	5	84	1446	1552	1446
हिमाचल प्रदेश	2709	असूचित	असूचित	118	12.00	681	577.60	495	0	30	253	11	403	26	629	2761
जम्मू व कश्मीर	1995	928.00	506.00	365	44.00	774	1160.00	12	0	10	13	0	35	1563	390	2014
कर्नाटक	7146	474.00	3663.00	452	638.00	733	9511.00	3780	138	6940	445	671	845	4081	8820	5271
केरल	24581	0.00	0.00	0	0.00	359	1587.14	70	0	6671	0	0	9447	3064	4827	3299
मध्य प्रदेश	22991	58.71	0.00	450	0.00	1105	6691.09	1404	716	2936	239	415	237	29763	48108	21670
महाराष्ट्र	13518	338.00	545.00	277	241.93	1951	4634.00	4492	157	3183	1185	309	1937	5284	18870	22739
मणिपुर	1513	32.00	6.35	54	61.00	55	1588.00	755	11	24	48	38	28	476	94	194
मेघालय	600	0.00	0.00	28	273.50	18	399.00	118	6	31	68	0	0	727	318	276
मिजोरम	1170	0.00	0.00	0	0.00	49	503.00	41	74	46	293	0	0	774	240	667
नागालैंड	2870	86.00	0.00	0	0.00	0	182.35	94	0	0	0	0	0	1334	1536	463
उड़ीसा	44111	25906.72	158.50	3512	499.50	3178	18923.49	5148	178	3820	681	57	74	23301	10581	8034
पंजाब														0	2739	
राजस्थान	5778	1.00	4.00	52	1.00	185	728.24	1251	84	445	148	162	317	4844	19958	6144
सिक्किम	930	12.00	14.00	14	32.00	117	720.00	39	0	26	17	0	9	66	142	251
तमिलनाडु	5933	0.00	0.00	0	0.00	0	4430.92	1462	0	0	2513	0	0	4078	33758	24870
त्रिपुरा	6210	889.30	0.00	286	76.30	1207	908.98	77	45	138	25	0	358	2548	636	3200
उत्तर प्रदेश	62448	1309.00	6019.00	181	642.00	37254	21864.00	5136	10	42607	499	6	1001	1753	47722	22418
पश्चिम बंगाल	13293	8501.00	4420.00	791	1055.00	22234	13862.00	4682	210	2440	199	510	2906	2579	13389	7958
अंड. व निको. द्वीप समूह	44	0.00	0.00	0	0.00	1	21.50	1		0	0	0	0	8	21	45
दादर व नगर हवेली	69	0.00	0	0	00.0	38	33.50	6	0	0	0	0	0	21	60	16
दमन व दीव	12	0.00	0.00	0	0.00	0	4.00	6	0	0	0	3	1	0	13	2
लक्षद्वीप	22	0.00	10.00	0	0.00	8	1.20	0	0	0	0	1	2	0	0	1
पांडिचेरी	24	असूचित	असूचित	3	0.00	0	4.11	0	0	0	0	0	0	5	48	1
योग	496520	42445.09	16463.85	274769	4962.73	88719	109995.64	35909	5103	72760	10293	2580	22022	149328	359508	172139

विवरण–IV

(घ) मार्च, 1991–92 की क्षेत्रवार भौतिक कवरेज

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक क्षेत्र (संख्या)				गौण क्षेत्र (संख्या)				तृतीयक क्षेत्र (संख्या)				कुल योग
	सिंचाई	भूमि विकास	दुधारू पशु	अन्य	ग्राम उद्योग	हस्त-शिल्प	हथकरघा	अन्य	सिलाई/ बुनाई	दुकानें आदि	बैल/ ऊंटगाड़ी	अन्य	
आंध्र प्रदेश	31274	29393	5034	57945	13241	1198	3571	11584	9893	27582	1948	32265	222848
अरुणाचल प्रदेश	732	80	106	6701	39	8	2132	425	364	16	46	239	10888
असम	363	1111	6968	11991	2133	568	2182	2468	2948	7994	2217	5473	46416
बिहार	32617	21817	51204	41469	22606	8413	14223	25663	14357	40367	16189	48091	337016
गोवा	84	143	329	129	34				777		260	1233	2989
गुजरात	6243	429	37893	7694	2889	287	682	1155	1854	5191	1385	9175	74877
हरियाणा		3	8550	3270	1134	726	368	1565	834	2797	3853	1656	24756
हिमाचल प्रदेश	126	198	4163	1249	502	272	371	604	741	1117	952	1524	11819
जम्मू व कश्मीर	65	358	2839	3398	419	347	72	125	354	2493	1850	1263	13583
कर्नाटक	1406	466	39622	18855	5230	3163	1027	4263	3245	15997	8715	6852	108841
केरल	195	370	17144	9077	4602	623	322	7460	1843	8282	435	10923	61276
मध्य प्रदेश	20402	16125	65530	92566	27572	4352	1126	8766	5723	36066	4199	12383	294810
महाराष्ट्र	11543	2540	51518	53379	9849	1798	319	10066	5984	18047	8911	24013	197967
मणिपुर	216	276	18	2348		176	309	121	398	354	66	626	4908
मेघालय	1551		464	164	88	4	43	7	369	96	3	85	2874
मिजोरम	72	44	13	1475	43		48	115	551	158		300	2811
नागालैंड		685	1593	852	434	369		586	342	203	378		5442
उड़ीसा	15154	2752	9081	32447	24888	2736	1759	1410	2347	29724	4014	6626	132938
पंजाब			7572	585	5720	488	1395	125	2226	4893	4427	18	27449
राजस्थान	590	500	40751	18960	5219	2307	1130	4020	3364	12937	33731	8471	131986
सिक्किम			89	1437			13	43	13	6		9	1610
तमिलनाडु	782	1871	44510	32138	8043	4253	3064	13508	3168	18454	11038	20774	161603
त्रिपुरा	48	1670	3310	3050	865	114	216	2139	119	4639	313	2572	19055
उत्तर प्रदेश	86170	11766	117114	34751	35914	7864	11465	15709	12620	59212	33812	35862	462259
पश्चिम बंगाल	4648	3015	26175	37137	96452	15071	6163	8356	9042	35040	13894	34775	289768
अंडमान व निकोबार			273	370			22	8	205	170		454	1502
चंडीगढ़													0
दादर व नगर हवेली	54		2	65	4	63		1	11	18	7	88	313
दिल्ली													0
दमन व दीव	18		29	243					74	17		101	482
लक्षद्वीप				72	1			14	2	4	1	40	124
पांडिचेरी			694	97				138	42	86	40	246	1343
अखिल भारत	214353	95612	542594	473914	267921	55200	52014	120444	81810	351880	152684	260127	2664553

विवरण-V

(घ) मार्च, 1992-93 को क्षेत्रवार भौतिक कवरेज

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक क्षेत्र (संख्या)				गौण क्षेत्र (संख्या)				तृतीयक क्षेत्र (संख्या)				कुल योग
	सिंचाई	भूमि विकास	दुधारू पशु	अन्य	ग्राम उद्योग	हस्त-शिल्प	हथकरघा	अन्य	सिलाई/ बुनाई	दुकानें आदि	बैल/ ऊंटगाड़ी	अन्य	
आंध्र प्रदेश	26333	26521	2347	46878	9430	676	1848	12806	6322	16601	2377	26899	179038
अरुणाचल प्रदेश	.	3931	506	6798	129	84	885	265	649	21	89	285	13642
असम	767	904	6553	8850	1853	815	3250	2343	2401	6526	2005	3937	40204
बिहार	28623	12348	41879	41699	15853	6487	2051	23692	10916	29419	11767	39518	264252
गोवा	50	54	165	100	10	.	.	.	745	.	108	1224	2456
गुजरात	7718	77	30155	4843	2759	142	438	1418	2154	4767	1136	8745	64352
हरियाणा	.	26	7741	2262	1539	335	161	1775	1337	3530	3145	1500	23349
हिमाचल प्रदेश	208	110	1827	520	2885	231	2981	4400	3550	864	588	1231	6956
जम्मू व कश्मीर	45	.	1631	1846	162	80	58	173	151	1222	71	1872	7311
कर्नाटक	1981	419	37846	17829	5037	3098	1419	3596	2948	15601	7341	6741	103856
केरल	175	287	13479	8201	4006	676	372	6703	1839	6953	282	9324	52297
मध्य प्रदेश	26234	10216	41465	54606	11723	1333	832	6641	3065	17607	2799	7562	184083
महाराष्ट्र	10355	2527	48734	46921	9344	1619	562	7681	6238	17563	6192	19915	177651
मणिपुर	101	114	24	1329	7	85	210	268	242	241	89	448	3158
मेघालय	1125		732	514	28	16	126	4	266	128	2	69	3010
मिजोरम	14	.	23	2448	52	5	33	78	442	149	.	230	3474
नगालैंड	.	570	1096	1021	207	128	244	330	127	87	58	128	3996
उड़ीसा	15549	2752	9108	21811	18033	1859	1271	1302	1755	23607	3144	4892	105083
पंजाब	.	.	7826	385	4931	6	1408	187	1090	4781	3796	838	25248
राजस्थान	982	1371	24730	17966	3345	1783	998	5078	1909	10143	20423	12638	101366
सिक्किम	.	.	30	1007	.	.	18	50	3	8	.	26	1142
तमिलनाडु	675	2	31916	31588	10081	2928	3077	13403	3417	17817	11995	18086	144987
त्रिपुरा	198	889	1143	4039	610	356	241	1461	92	2374	267	2237	13907
उत्तर प्रदेश	71416	10932	105045	30634	30071	8315	7372	9805	8452	46989	30437	28493	387961
पश्चिम बंगाल	3306	1879	22392	31509	83724	13666	6191	7611	8221	29093	10331	32299	250222
अंडमान निकोबार	1	35	103	141		.	.	19	95	148	15	196	753
चण्डीगढ़	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
दादर व नगर हवेली	40		28	72	.	25		.	9	29	6	91	300
दिल्ली	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.
दमन व दीव	8		46	205	.				96	23	6	128	512
लक्षद्वीप													
पांडिचेरी	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
अखिल भारत	195904	75964	438570	386022	213226	44748	33355	107127	65336	256291	118469	229554	2164566

विवरण–VI

(घ) मार्च, 1993–94 की क्षेत्रवार भौतिक कवरेज

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक क्षेत्र (संख्या)				गौण क्षेत्र (संख्या)				तृतीय क्षेत्र (संख्या)				कुल योग
	सिंचाई	भूमि विकास	दुधारू पशु	अन्य	ग्राम उद्योग	हस्त-शिल्प	हथकरघा	अन्य	सिलाई/ बुनाई	दुकानें आदि	बैल/ ऊंटगाड़ी	अन्य	
आन्ध्र प्रदेश	50926	22616	7230	59218	23844	569	2113	16052	5661	24179	2269	45020	259697
अरुणाचल प्रदेश	.	8817	2951	570	71	140	1504	175	626	105	104	144	15207
असम	757	1026	9030	13918	2182	1216	6099	3961	4432	10977	3671	6112	63381
बिहार	33600	19106	64152	48128	23635	7277	4057	25282	10216	33964	21890	44501	335908
गोवा	44	58	187	89	.	.	.	21	1680	.	114	1259	3452
गुजरात	8063	9	39806	6169	3197	429	652	1964	3985	6701	1144	10633	82752
हरियाणा	.	.	10814	3499	1925	541	517	3502	1344	4574	5571	1739	34026
हिमाचल प्रदेश	139	680	2783	462	334	326	290	580	422	960	709	1443	9128
जम्मू व कश्मीर	7	70	2192	1759	276	117	70	110	34	1773	122	869	7399
कर्नाटक	4619	1869	46821	21832	4807	3418	2760	4032	3820	18169	11735	8979	132861
केरल	188	254	14441	8569	3874	733	470	7705	3031	6754	255	10564	55838
मध्य प्रदेश	36863	13530	63383	68096	15830	1772	894	8642	6463	17271	1600	8329	242673
महाराष्ट्र	10467	2326	62206	59608	11624	1438	610	11008	6178	19648	9004	23554	217671
मणिपुर	131	76	.	3567	.	159	576	175	558	290	135	666	6333
मेघालय	837	25	1063	13	102	13	139	11	283	119		30	2635
मिजोरम	36	2	74	3119	16	.	106	257	580	253	.	241	4684
नागालैंड	.	675	746	1903	321	230	214	535	306	146	18	395	5489
उड़ीसा	24949	5195	15550	36882	25767	3084	1812	1867	2655	42206	5625	7307	172899
पंजाब	527	.	9656	1277	6637	.	1981	262	395	7037	5100	864	33736
राजस्थान	1023	1506	35741	14256	4608	1398	1028	8058	4483	10416	24128	10122	116767
सिक्किम	.	.	76	1100	.	.	7	23	2	5	.	5	1218
तमिलनाडु	2548	1067	58284	39677	13421	5192	4702	17590	6006	26238	15123	25040	214888
त्रिपुरा	194	625	2360	5714	3070	478	314	1418	181	3866	518	1857	20595
उत्तर प्रदेश	78427	11950	119557	38095	38514	8191	8161	14737	9198	52095	32007	34471	445403
पश्चिम बंगाल	2028	2424	10575	11113	27686	6127	3487	4095	4232	11944	4945	17034	105690
अंडमान व निकोबार	.	.	99	401	3	.		21	75	199	.	323	1121
दादर व नगर हवेली	71	32	32	101	.	22			37	26	8	75	372
दमन व दीव	10	79	79	192	2	3		.	72	16	6	126	507
लक्षद्वीप				38				1	14	3		25	81
पांडिचेरी	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
अखिल भारत	256454	93906	579888	449366	211746	42873	42563	132184	75969	299934	145801	261727	2592411

विवरण–VII

(करोड़ रुपये में) (लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991–92 खर्च	1992–93 खर्च	1993–94 खर्च	लाभान्वित जनसंख्या 1991–92	1992–93	1993–94
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.450	25.470	41.240	12.587	9.959	1.978
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.990	5.820	5.176	0.174	0.240	0.220
3.	असम	17.620	7.000	18.120	6.231	2.624	2.945
4.	बिहार	26.450	33.780	22.217	11.350	19.720	2.780
5.	गोवा	0.790	0.520	0.837	0.358	0.416	0.289
6.	गुजरात	15.144	17.970	18.584	8.738	2.731	3.051
7.	हरियाणा	8.240	11.660	15.817	1.929	6.735	15.155
8.	हिमाचल प्रदेश	5.380	6.420	8.041	0.413	0.610	5.287
9.	जम्मू व कश्मीर	19.900	9.970	28.686	0.759	0.718	0.601
10.	कर्नाटक	20.390	28.130	36.791	20.888	10.316	10.255
11.	केरल	13.680	10.710	13.165	5.987	4.998	0.769
12.	मध्य प्रदेश	32.870	25.540	49.730	22.400	21.760	25.550
13.	महाराष्ट्र	23.763	32.158	43.741	21.470	17.760	15.640
14.	मणिपुर	2.360	2.180	2.962	0.970	0.662	0.180
15.	मेघालय	3.340	2.750	5.787	1.075	0.826	0.001
16.	मिजोरम	1.750	1.280	2.100	1.386	0.353	0.336
17.	नागालैंड	2.300	1.380	0.909	0.372	0.273	0.215
18.	उड़ीसा	11.650	14.940	21.625	4.046	5.114	1.167
19.	पंजाब	4.240	4.240	11.306	4.953	6.912	2.391
20.	राजस्थान	41.830	41.170	64.738	4.283	2.803	1.981
21.	सिक्किम	4.200	3.820	3.720	0.151	0.071	0.395
22.	तमिलनाडु	24.410	23.940	30.908	28.955	24.510	24.566
23.	त्रिपुरा	2.900	3.120	3.944	0.000	0.700	0.253
24.	उत्तर प्रदेश	42.190	40.020	69.652	9.152	25.157	36.996
25.	पश्चिम बंगाल	13.900	13.500	22.344	10.717	6.388	9.941
26.	अडंमान व निकोबार	0.000	0.000	0.000	0.106	0.000	0.000
27.	चण्डीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.	दादर व नगर हवेली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	दिल्ली	0.012	0.006	0.117	0.000	0.000	0.000
30.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	0.000
31.	पांडिचेरी	0.100	0.260	0.260	0.275	0.032	0.237
32.	दमन व द्वीव	2.820	1.830	1.093	0.000	0.000	0.000
	कुल	373.669	377.584	543.960	179.725	172.388	163.179

विवरण-VIII

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार, क्षेत्रवार भौतिक उपलब्धियां

राज्य	1991-92			1992-93			1993-94		
	भूमि संसाधन विकास	जल संसाधन विकास	वनरोपण एवं चरागाह विकास	भूमि संसाधन विकास	जल संसाधन विकास	वनरोपण एवं चरागाह विकास	भूमि संसाधन विकास	जल संसाधन विकास	वनरोपण एवं चरागाह विकास
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम									
1. आंध्र प्रदेश	275.56	49.20	129.15	318.09	59.67	118.61	246.46	60.46	163.53
2. बिहार	5.29	3.61	19.70	20.11	11.49	23.62	31.12	28.52	25.95
3. गुजरात	45.94	20.86	31.25	48.27	20.53	18.99	102.47	25.30	30.56
4. हरियाणा	15.39	11.23	6.09	13.92	10.19	9.49	20.16	14.08	3.84
5. जम्मू व कश्मीर	20.11	6.88	3.03	30.30	8.80	4.30	19.86	2.23	11.34
6. कर्नाटक	122.50	3.73	32.06	256.75	10.65	95.98	233.96	9.85	80.47
7. मध्य प्रदेश	53.80	0.61	66.99	30.39	6.70	59.95	26.35	9.68	54.07
8. महाराष्ट्र	65.41	47.54	210.35	65.91	16.74	193.54	70.47	22.60	188.31
9. उड़ीसा	1.37	2.40	49.74	1.16	0.00	57.23	25.97	31.51	81.16
10. राजस्थान	39.62	7.78	39.66	51.23	7.72	2.80	85.21	11.94	23.30
11. तमिलनाडु	148.75	4.50	44.48	142.50	3.82	43.52	169.65	5.88	74.44
12. उत्तर प्रदेश	190.86	32.28	87.46	155.79	32.68	42.96	287.89	35.55	38.99
13. पश्चिम बंगाल	71.77	3.00	49.30	62.42	2.25	35.75	51.52	5.40	157.76
योग	1056.37	193.62	769.25	1196.84	191.24	706.74	1371.12	263.00	933.70
मरूभूमि विकास कार्यक्रम									
1. गुजरात	17.59	3.42	16.25	5.48	4.55	13.55	18.87	7.05	13.05
2. हरियाणा	19.06	13.71	13.98	0.00	21.03	17.84	0.00	31.88	18.22
3. हिमाचल प्रदेश	3.95	1.01	12.94	5.63	1.91	14.47	10.02	1.81	15.90
4. जम्मू व कश्मीर	4.29	7.90	8.88	2.87	9.54	3.35	4.72	8.61	2.95
5. राजस्थान	50.33	61.85	182.76	79.87	23.00	81.10	122.83	15.97	106.60
योग	95.16	87.89	234.81	93.85	60.03	130.31	156.44	65.32	156.72

[अनुवाद]

औद्योगिक उत्पादन

2319. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने उद्योगों पर कुल कितना खर्च किया है;

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में कुल कितना औद्योगिक उत्पादन हुआ;

(ग) इनमें से भारी मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग द्वारा कितना-कितना उत्पादन किया गया; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष बड़े एवं लघु उद्योगों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत विनिर्माण में सरकारी क्षेत्र का समग्र पूंजी निवेश इस प्रकार है :-

वर्ष	रुपये (करोड़ में)
1990-91	7145
1991-92	8468
1992-93	8367

(ख) उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण, 1991 के अनुसार, 1990-91 में किये गये उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में शामिल पंजीकृत कारखानों के समग्र उत्पादन का कुल मूल्य 270564 करोड़ रुपये था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, समग्र औद्योगिक उत्पादन में 1991-92 में 0.6%, 1992-93 में 2.3%, 1993-94 में 4.4% और अप्रैल-नवंबर, 1994 में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई है।

(ग) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1990-91 के अनुसार, 50 लाख रु. से अधिक समग्र मूल्य के संयंत्रों व मशीनरी वाले कारखानों का समग्र उत्पादन का कुल मूल्य 212341 करोड़ रुपया था। ऐसे कारखानों, जिनका संयंत्र व मशीनरी के रूप में समग्र मूल्य 50 लाख रुपये से कम है, का समग्र उत्पादन का मूल्य 58223 करोड़ रुपया था।

(घ) पिछले तीन वर्षों में समग्र उद्योग तथा खनिज क्षेत्र के लिए तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए आवंटित केन्द्रीय क्षेत्र का योजनागत कुल परिव्यय इस प्रकार है :-

वर्ष	रुपये (करोड़ में) उद्योग तथा खनिजों के लिए कुल	ग्रामीण तथा लघु उद्योग
1992-93 (वास्तविक)	6090	437
1993-94 (सं. अ.)	9247	563
1994-95 (ब. अ.)	10394	720

सकल राष्ट्रीय उत्पाद

2320. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की तुलना में देश में अनुसंधान और विकास पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कितनी प्रतिशत धनराशि खर्च की गयी है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : सूचना नीचे दी गई है :—

देश	वर्ष	अनुसंधान और विकास पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत व्यय
भारत	1992	0.83
सं.रा. अमेरिका	1988	2.9
जापान	1988	2.8
जर्मनी		
(क) पूर्ववर्त्ती जीडीआर	1989	4.3
(ख) पूर्ववर्त्ती एफआरजी	1987	2.9
फ्रांस	1988	2.3
कोरिया गणराज्य	1988	1.9
इजरायल	1985	3.1
ब्राजील	1985	0.4
मैक्सिको	1989	0.2
पाकिस्तान	1987	1.0
सिंगापुर	1987	0.9
थाईलैण्ड	1987	0.2
इण्डोनेशिया	1988	0.2
मलेशिया	1989	0.1

स्रोत : यूनेस्को सांख्यिकीय इयर बुक 1992

कुष्ठ रोगी

2321. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार कुष्ठ रोगियों की कितनी संख्या है;

(ख) राजस्थान में कुष्ठ रोग निवारण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा इन केन्द्रों को किस तरह की सहायता प्रदान की गई; और

(घ) 1994-95 के दौरान इन्हें कितनी सहायता प्रदान की जायेगी?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जनवरी, 1995 तक राजस्थान में दर्ज किए गए कुष्ठ रोगियों की संख्या 7533 थी।

(ख) राजस्थान राज्य में 156 कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य में 35 चल कुष्ठ उपचार दलों की भी मंजूरी दी है।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य को प्रदत्त नकद और वस्तुगत सहायता और 1994-95 में दी जाने वाली संभावित सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	सहायता		
	नकद	वस्तुगत	योग
1991-92	25.0	3.80	28.30
1992-93	29.0	28.96	57.96
1993-94	29.0	6.40	35.40
1994-95	29.0	17.0	46.0

(संशो. अनुमान अवस्था)

रेडियल-टायरों का उत्पादन/आयात

2322. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायर उत्पादक कम्पनियों की रेडियल-टायर उत्पादन क्षमता क्या है तथा इस समय इनका कितना वास्तविक उत्पादन हो रहा है;

(ख) गत दो वर्षों में रेडियल-टायरों की मांग में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है तथा इसके उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने रेडियल-टायरों के आयात की अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) आटोमोटिव टायर विनिर्माता संघ (ए.टी.एम. ए.) के अनसार, 1994-95 के दौरान पैसेंजर कार रेडियल टायरों की उत्पादन क्षमता 12.96 लाख नग और अन्य प्रकार के रेडियल टायरों की उत्पादन क्षमता 5.5 लाख नग है। विभिन्न प्रकार के रेडियल टायरों के उत्पादन के ब्यौरे अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) आटोमोटिव टायर विनिर्माता संघ (ए.टी.एम.ए.) का यह भी अनुमान है कि वर्ष 1995-96 में पैसेंजर कार रेडियल 16.20 लाख टायरों की अनुमानित अत्पादन क्षमता की तुलना में इनकी मांग 14.4 लाख टायर होगी और अन्य प्रकार के टायरों की 8.50 लाख अनुमानित अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में अनुमानित मांग 7.50 लाख टायर होगी ।

(ग) और (घ). मैसर्स मारूति उद्योग लि. ने अपने जेन और एस्टीम माडलों के लिए 11.69 करोड़ रुपये के सी.आई.एफ. मूल्य पर रेडियल टायरों का इस आधार पर आयात करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है कि रेडियल टायरों के स्वदेशी निर्माताओं से होने वाली आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि. ने आयात के लिए अब तक कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

एड्स रिपोर्ट

2323. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा एच. आई.वी. के फैलने के संबंध में कोई नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती-कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अभिन्न अंग है और उसके द्वारा एकत्र की गई रिपोर्टों के अनुसार 28 फरवरी, 1995 तक देश में 17830 एच.आई.वी. लक्षण-युक्त रोगियों की सूचना मिली है।

(ग) अभी तक एच.आई.वी./एड्स के इलाज के लिए कोई उपचार अथवा वैक्सीन नहीं है। इसलिए एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण

कार्यक्रम में खतरे के आचरण वाले समूहों और एच.आई.वी./एड्स के प्रति अति संवेदनशील वर्गों में जागरूकता पैदा करने और व्यवहार परिवर्तन लाने, यौन संचारित रोग नियंत्रण, रक्त निरापदता और रक्त तथा रक्त उत्पादों का युक्तिसंगत उपयोग और एच.आई.वी./एड्स रोगियों का बेहतर निदान और चिकित्सीय उपचार करने पर बल दिया जाता है।

शिशु और मातृत्व संबंधी नारे

2324. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों और इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों से शिशु उत्तरजीविता और मातृत्व संबंधी नारे और संदेश देने बन्द कर दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 1993 में चिकित्सा विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी जिसकी सिफारिशों पर ये नारे देने बन्द कर दिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने शिशुओं की मौतों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवार) : (क) से (ग). जी, नहीं।

(घ) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशुओं और बच्चों की मृत्यु को कम करने के लिए टोकाकरण, विटामिन-ए की कमी के लिए रोग निरोधक, बच्चों में अतिसार रोगों और न्यूमोनिया का उपचार तथा अनिवार्य नवजात परिचर्या प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी वैज्ञानिक

2325. श्री राम सिंह कस्वां : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में भारतीय प्रयोगशाला में कितने विदेशी वैज्ञानिक कार्यरत हैं;

(ख) ये वैज्ञानिक किन-किन देशों के हैं;

(ग) इनके लिए भारतीय प्रयोगशालाओं में कार्य करने की क्या शर्तें हैं; और

(घ) ये वैज्ञानिक भारतीय प्रयोगशालाओं में कब से कार्य कर रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अलग-अलग अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत भारतीय प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे हैं। उनकी संख्या, उनके कामकाज की शर्तें तथा अवधि संबंधित परियोजनाओं पर और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

2326. श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा : क्या प्रधान मंत्री 21 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2191 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने विभिन्न विज्ञापनों की प्रतियां सरकार को प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुचित व्यापार व्यवहार संबंधी एम.आर.टी.पी. एक्ट, 1969 के प्रावधानों के अन्तर्गत इन विज्ञापनों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अपने जी.एन. आई.आई.टी. कोर्सों के बारे में विज्ञापन देना जारी रखे हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). जी, हां। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा उक्त स्पष्टीकरण की प्राप्ति होने पर प्रत्यक्षतः विचार किया जायेगा।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के विरूद्ध पहले ही जांच का नोटिस जारी कर दिया गया है तथा मामला एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास निर्णयाधीन है।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम

2327. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "स्टेट्समैन" में "स्पेस प्रोग्राम इग्नोरिंग सोशल गोल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अन्तरिक्ष कार्यक्रम को बनाते समय निर्धारित किए गये सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन्सैट और आई.आर.एस. उपग्रह प्रणाली की स्थापना तथा पी.एस.एल.वी. और जी.एस.एल.वी. के माध्यम से समानुपाती प्रमोचन क्षमता के निर्माण के माध्यम से आत्म-निर्भरता पर बल देते हुए राष्ट्र के सामाजार्थिक विकास के प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने की वचनबद्धता प्रारंभ से ही भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का प्रमाण-चिन्ह रही है। स्वदेशी रूप में निर्मित उपग्रह, इन्सैट-2ए और इन्सैट-2बी सहित भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सैट) आज दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, ग्रामीण टेलीग्राफी, कृषि आयोजना के लिए मौसम के बेहतर पूर्वानुमान, प्रभावित लोगों को समय पर निकालने के लिए आपदा चेतावनी और ग्रामीण जनसंख्या,औद्योगिक कामगारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उपग्रह-आधारित अन्योन्य क्रियाशील शिक्षा, इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) प्रणाली सूखे की स्थितियों पर अग्रिम चेतावनी प्रदान करने, फसलों के स्वास्थ्य पर आंकड़े प्रदान करने, भूमि जल के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने, खेती के लिए कृषि योग्य परती भूमि का पता लगाने, जीवन और सम्पत्ति के जोखिम को कम करने के लिए बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों पर आंकड़े प्रदान करने, जलाशयों में जल स्तरों के मानीटरन करने और पावर तथा सिंचाई के लिए इष्टतमी जल उपयोग के लिए हिम-आवरण का अनुमान लगाने इत्यादि कार्य कर रही है। मत्स्य पकड़ने के लिए संभावित क्षेत्रों पर पूर्वानुमानों से मछली पकड़ने में वृद्धि करने के लिए तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को सहायता मिल रही है। आई.आर.एस. आंकड़ों का मुख्य रूप में उपयोग करते हुए 1992 में शुरू किये गए दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन का उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए भूमि और जल संसाधनों के इष्टतमी उपयोग के लिए स्थानिक-विशिष्ट उपायों का निर्माण करना है।

परिवर्तनशील विश्व परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम सामाजार्थिक आवश्यकताओं की मांग को पूरा करने के साथ-साथ वाणिज्यिक क्षेत्र में भी प्रयास कर रहा है - भारत के इन्सैट उपग्रह पर प्रेषानुकरों की लीज के लिए इन्टेलसैट संगठन के साथ तथा भारत के आई.आर.एस. उपग्रह आंकड़ों के अभिग्रहण, संसाधन और विपणन के लिए संयुक्त अमरीका की इयोसैट कम्पनी के साथ करार इसके दो उदाहरण हैं।

[हिन्दी]

ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र

2328. श्री छीतूभाई गामीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र के दोनों एककों में उत्पादन कब से शुरू हुआ है;

(ख) इन एककों द्वारा अब तक कितने रुपये मूल्य की बिजली का उत्पादन किया गया है;

(ग) ये एकक उत्पादन शुरू होने की तिथि से 10 फरवरी, 1995 तक कितने दिन बन्द रहे;

(घ) इसके परिणमास्वरूप कुल कितनी हानि हुई;

(ङ) इनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) ककरापार परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट ने मई, 1993 से वाणिज्यिक स्तर पर बिजली का उत्पादन करना शुरू किया था। इस बिजली घर के दूसरे यूनिट में वाणिज्यिक स्तर पर बिजली का उत्पादन जुलाई, 1995 से शुरू होने की आशा है।

(ख) ककरापार परमाणु बिजलीघर-I द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर बिजली का उत्पादन शुरू करने से लेकर फरवरी, 1995 के अंत तक उत्पादित की गई निवल वैद्युत ऊर्जा का मूल्य 134.87 करोड़ रुपए है। इस यूनिट द्वारा इसी अवधि के दौरान उत्पादित सकल बिजली 871 मिलियन यूनिट थी।

(ग) ककरापार परमाणु बिजलीघर-I, वाणिज्यिक स्तर पर बिजली का उत्पादन शुरू करने से लेकर 10 फरवरी, 1995 तक, लगभग 438 दिनों के लिए बन्द रहा।

(घ) ककरापार परमाणु बिजलीघर-I ने वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 2.42 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। इस यूनिट को वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान फरवरी, 1995 के अंत तक लगभग 137 करोड़ रुपए की अनन्तिम हानि हुई।

(ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान जब ककरापार परमाणु बिजलीघर-I की प्रणालियां स्थिरता की स्थिति में आ रही थीं, तब इस बिजलीघर को कुछ एक बार मुख्यतः तकनीकी समायोजनों और संशोधनों के लिए बन्द करना पड़ा। इस यूनिट को फरवरी, 1994 में परिचालन की प्रारम्भिक अवधि के बाद टरबाइन का निरीक्षण करने के लिए और नरोरा में टरबाइन में खराबी आ जाने की घटना से प्राप्त अनुभव के आधार पर संशोधन करने के लिए बन्द करना पड़ा। यह एक बहुत बड़ा काम था जिसे पूरा करने में लगभग नौ माह का समय लगा।

(च) ककरापार परमाणु बिजलीघर-I के परिचालन के पहले कुछ महीनों के दौरान प्राप्त परिचालन संबंधी अनुभव के परिणामस्वरूप किए गए संशोधनों और सुधार कार्यों की वजह से इस यूनिट के कार्यनिष्पादन में अब से लेकर आगे और सुधार होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, इस यूनिट के कार्यनिष्पादन में और सुधार लाना सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे उपायों में, वहां की परिस्थितियों का मानीटरन करना, निवारक और प्रागुक्तिपरक अनुरक्षण तथा परिचालन और अनुरक्षणकार्मिकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण शामिल है।

[अनुवाद]

इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड

2329. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को चलाने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु किन-किन उपायों पर विचार किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सरकार ने इंस्ट्रूमेंटेशन लि. को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने अथवा निजी क्षेत्र द्वारा इसका अधिग्रहण करने संबंधी सिद्धान्त रूप में, अपने करार से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ. आर.) को अवगत कराने का निर्णय लिया है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा, जो एक न्यायिककल्प प्राधिकरण है, अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

गुजरात तथा मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2330. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों हेतु स्वीकृति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में नियमों के अनुसार कितने केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है तथा 1981-90 के दशक में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों के परिचालन व्यय में वृद्धि करने की भी मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जनसंख्या संबंधी मानदंडों, संसाधनों और जनशक्ति की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों के लिए लक्ष्य नियत करता है।

(ख) योजना आयोग द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना और 1994-95 के दौरान नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र खोलने के लिए नियत किए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	8वी योजना के लिए लक्ष्य		1994-95 के लिए लक्ष्य	
	प्रा.स्वा.के.	उपकेन्द्र	प्रा.स्वा.के.	उपकेन्द्र
गुजरात	82	0	15	-
मध्य प्रदेश	620	1277	365	-

(ग) और (घ). राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रख-रखाव किया जाता है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग द्वारा निर्यात

2331. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग द्वारा 1993-94 के दौरान निर्यात किए गए उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उत्पादों की मात्रा कितनी थी और मूल्य कितना था?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). पंजीकृत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संस्थानों और विभागीय संस्थानों के जरिये 1993-94 के दौरान उद्योगवार निर्यात नीचे दिये गये हैं :—

क्र. सं.	मद	(अनंतिम आंकड़े) (मूल्य करोड़ रुपये में)
1.	पामगुड़	7.24
2.	अनाज और दाल उद्योग का प्रसंस्करण (पी.सी.पी.आई.)	4.47
3.	हस्त निर्मित कागज उद्योग (एच.एम.पी.)	5.91
4.	कुटीर चमड़ा	0.01
	योग	17.63

व्यापारी निर्यातकों द्वारा खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का निर्यात भी किया जा रहा है।

सभी के लिए स्वास्थ्य

2332. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सन् 2000 तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" और गत दो वर्षों के दौरान परिवार कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित और हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य को कितनी राशि प्रदान की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती प्रदान करने हेतु कुछ कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) सन् 2000 ईसवी तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" के अंतर्गत विभिन्न पैरामीटरों के लक्ष्य और राजस्थान राज्य से मिली सूचना के अनुसार उस राज्य में उपलब्धियों का वर्तमान स्तर संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ). विभिन्न संचारी और असंचारी रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों की केन्द्रीय प्रोयोजित स्कीमों को लागू करने के लिए परिव्यय में वृद्धि करने आर पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं में प्रत्येक कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए सतत् प्रयास किए गए हैं। कुष्ठ/क्षय रोग, दृष्टिहीनता, एड्स, मलेरिया आदि जैसे कार्यक्रमों के नियंत्रण/उन्मूलन में विश्व बैंक सहित बाह्य एजेंसियों की सहायता का उपयोग किया जा रहा है अथवा उनसे सहायता मांगी जा रही है।

राजस्थान राज्य को प्रमुख केन्द्रीय प्रोयाजित स्कीमों के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय सरकार की सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्य तथा राजस्थान राज्य में उपलब्धियों का वर्तमान स्तर

क्र.सं.	सूचक		सन् 2000 ई. तक लक्ष्य	वर्तमान स्तर (उपलब्धियां)
1	2		3	4
1.	शिशु मृत्यु दर (प्रति एक हजार जनसंख्या)			
		ग्रमीण		87
		शहरी		56
		कुल	60 से नीचे	82
		प्रसवकालीन मृत्यु दर	30-35	
2.	अशोधित मृत्यु दर		9.0	9.0
3.	स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों (1-5 वर्ष) की मृत्यु दर		10	30.9
4.	मातृ मृत्यु दर		2 से कम	6.0
5.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा			
	(वर्ष)	पुरूष	64	60.50
		महिलाएं	64	61.7
6.	2500 ग्राम से कम वजन के जन्मे बच्चे (प्रतिशत)		10	
7.	अशोधित जन्म दर (प्रति एक हजार आबादी)		21.0	33.6
8.	कारगर दम्पती सुरक्षा दर (प्रतिशत)		60.0	30.7
9.	कुल प्रजनन दर		1.00	4.6
10.	वृद्धि दर (वार्षिक)		1.20	2.54
11.	परिवार का आकार		2.3	4.5
12.	प्रसवपूर्व परिचर्या प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाएं (प्रतिशत)		100 टी.टी. (गर्भवती महिलाएं)	84 प्रतिशत
			आई.एफ.ए. (गर्भवती महिलाएं)	55 प्रतिशत

1	2	3	4
13.	प्रशिक्षित दाईयों द्वारा प्रसव (प्रतिशत)	100	20 प्रतिशत
14.	टीकाकरण स्तर (प्रतिशत कवरेज)		
	(गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके)	100	57.69
	स्कूली बच्चों को टी.टी. के टीके 10 वर्ष	100	23.37
	16 वर्ष	100	17.84
	डी.पी.टी. (तीन वर्ष से कम आयु से बच्चे)		62.42
	पोलियो (शिशु)	100	62.68
	बी.सी.जी. (शिशु)	100	63.04
	डी.टी. (5-6 वर्ष के स्कूल जाने वाले नए बच्चे)	100	
15.	कुष्ठ-पता लगाए गए रोगियों में से, जिनके रोग पर काबू पाया गया	80	67.40
16.	क्षय रोगियों के रोग पर काबू पाए जाने की प्रतिशतता	90	89.60
17.	दृष्टिहीनता की घटनाएं (प्रतिशत)	0.3	2.24

पिछले दो वर्षों में परिवार कल्याण की प्रगति दर्शाने वाला विवरण

तरीका	1992-93		1993-94	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
नसबंदी	225000	198152	275000	203017
आई.यू.डी.	250000	178744	250000	169577
मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोली उपयोगकर्ता	98000	47491	110000	90353
पारम्परिक गर्भनिरोधकों के उपयोगकर्ता	450000	390887	573000	512237

विवरण-II

प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान रिलीज की गई धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.स.	कार्यक्रम का नाम	1992-93	1993-94
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	519.43	766.18
2.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	91.47	87.52
3.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	50.00	50.00
4.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	51.96	35.40
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	(1992 में आरंभ)	47.64
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	5619.50	6549.94

पिछले दो वर्षों के दौरान टीकाकरण प्रगति

एंटीजन	1992-93		1993-94	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
टी.टी. (गर्भवती महिला)	1562741	1253393	1602302	1343974
डी.पी.टी-3	1401853	1315817	1437341	1302743
ओ.पी.वी.-3	1401853	1289568	1437341	1307959
बी.सी.जी.	1401853	1303260	1437341	1319410
खसरा	1401853	1252779	1437341	1255808

चिकित्सा सुविधाएं

2333. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशभर में शिथिल जनसंख्या मानकों पर ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना के एक विशाल नेटवर्क की स्थापना की गई है जिसमें अनेक उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक एलोपैथिक औषधालयों/अस्पतालों/चल क्लीनिक/आयुर्वेदिक अस्पताल/औषधालय, होमियोपैथिक अस्पताल/औषधालय और यूनानी/सिद्ध औषधालय भी कार्य कर रहे हैं।

मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ रोग, दृष्टिहीनता, एड्स और कैंसर जैसे संचारी और असंचारी रोगों पर नियंत्रण/उन्मूलन करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोग प्रतिरक्षण सहित शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व पर बल दिया गया है। देश की बदलती हुई आवश्कताओं के अनुसार चिकित्सा तथा कार्मिक शक्ति के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। लोगों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों आदि की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाता है।

[अनुवाद]

जेट विमानों की सर्विसिंग केन्द्र की स्थापना

2334. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में बोईंग शृंखला के सभी विमानों सहित जेट विमानों एवं मिराज-2000 विमानों की सर्विसिंग के लिए क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त उद्यम कम्पनी में भागीदारी के लिए चुने गए निजी सहभागियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को स्वीकृति के लिए परियोजना रिपोर्ट सौंप दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसे स्वीकृति दी गई है; और

(च) यह कब से कार्य करना शुरू करेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च). हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड लंबे समय से सिविल और सैन्य वायुयानों की सेवाई और ओवरहालिंग करता आ रहा है। यह कंपनी प्राइवेट एयरलाइनों/ऑपरेटरों के लिए बोइंग-737 वायुयानों की चैक "बी" और चैक "सी" से संबंधित कार्य करती आ रही है। इस कंपनी ने रख-रखाव एवं सेवाई संबंधी सुविधाएं और व्यापक रूप से स्थापित करने के लिए विभिन्न पक्षकारों के साथ समझौता किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी की रूपरेखा तैयार किए जाने की संभावना है परंतु उसका मूर्त रूप तैयार नहीं किया गया है। मिराज-2000 वायुयानों की ओवरहालिंग के लिए हिन्दुस्तान एयारोनॉटिक्स लिमिटेड में सुविधाएं पहले से स्थापित कर ली गई हैं।

मछुआरों को संरक्षण

2335. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान अब तक श्रीलंका के लोगों द्वारा कितने भारतीय मछुआरों की हत्या की गई है;

(ख) भारतीय मछुआरों को संरक्षण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या श्रीलंका के लोगों द्वारा लक्षद्वीप समूह का दुरूपयोग किया जा रहा है, जिससे हमारे देश के लिए खतरा पैदा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) श्रीलंका की नौसेना द्वारा वर्ष 1994 के दौरान 25 भारतीय मछुआरों तथा वर्ष 1995 के दौरान अब तक 3 भारतीय मछुआरों के मारे जाने की सूचना है।

(ख) भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक के पोत किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर लगातार गश्त लगाते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भारतीय क्षेत्र में भारतीय मछुआरों पर गोली चलाए जाने का कोई प्रमाण नहीं है। मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पार न करने के संबंध में भी नियमित रूप से चेतावनी दी जाती रहती है। मछुआरों पर हमले की घटनाओं को भारत सरकार द्वारा श्रीलंका की सरकार के साथ दृढ़तापूर्वक उठाया जाता है। मछुआरों से संबंधित समस्याओं पर श्रीलंका के साथ आवधिक रूप से द्विपक्षीय वार्ताएं की जाती हैं।

(ग) और (घ). श्रीलंकाइयों द्वारा लक्षद्वीप के दुरूपयोग के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

आयुध कारखानों का नवीकरण

2336. श्री शरत पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुध कारखानों का नवीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आयुध निर्माणियों का जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण करना सशस्त्र सेनाओं की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर चलने वाला कार्य है।

(ख) इस दिशा में उठाए गए कदमों में पुराने संयंत्र और मशीनरी को बदलना और उसका नवीकरण करना, प्रक्रियाओं को चयनात्मक आधार पर उन्नत बनाया जाना और उन्नत प्रौद्योगिकी को शुरू करना शामिल है। वर्ष 1994-95 में 200 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होने की सम्भावना है।

भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन में एकमुश्त वृद्धि (ओ.टी.आई.)

2337. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में घोषित भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन में एक मुश्त वृद्धि (ओ.टी.आई.) को संतोषजनक तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिकों को पुनः नियोजित सेवा के 10 वर्षों तक एक मुश्त वृद्धि (ओ.टी.आई.) की केवल आनुपातिक राशि दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र सेना पेंशनरों को यह बात ध्यान में रखकर पेंशन में एक बार में वृद्धि का लाभ दिया गया है कि उनका सेवाकाल कम अवधि का था और वे सिविल सेवाओं में सेवारत साथियों की तुलना में काफी जल्दी सेवानिवृत्त हुए थे। यह स्थिति उन सशस्त्र सेना पेंशनरों के मामलें में लागू नहीं होती जोकि सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और सिविल क्षेत्र में सेवानिवृत्त की सामान्य तारीख तक सेवा में बने रहते हैं इसलिए उन्हें पेंशन में एक बार की वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। जिन भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियोजित सेवा 10 वर्ष से कम है उन्हें ग्रेड के आधार पर पेंशन में एक बार की वृद्धि स्वीकृत की गई है।

मिग (एस.आई.जी.)-29 की खरीद

2338. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिग-29 विमानों की नई खेप खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों से उपरोक्त विमान खरीदने का प्रस्ताव है; और

(घ) ये विमान कब तक खरीदे जायेंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). जी, हां। मिग-29 वायुयानों की नई खेप की खरीद के लिए रूसियों के साथ एक संविदा की गई है।

(घ) सुपुर्दगी 1995 के उत्तरार्द्ध में किए जाने का कार्यक्रम है।

चिकित्सा महाविद्यालय

2339. डा. साक्षीजी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी और गैर-सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में और अधिक चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार/गैर-सरकारी संस्थाओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सात सरकारी और दो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज हैं।

(ख) से (घ). सरकार को उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन अपूर्ण होने के कारण इसे आवेदकों को वापस किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सालय

2340. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सालय दिल्ली के दिलशाद गार्डन में खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस उद्देश्य के लिए एक निजी भवन किराए पर लिया गया है।

तम्बाकू पर प्रतिबंध

2341. डा. आर. मल्लू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेडियो टेलीविजन और अन्य मीडिया से तम्बाकू के प्रचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई प्रारूप विधान तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रतिबंध कब तक लागू हो जाएगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विधान तैयार किया जा रहा है।

तारापुर रिएक्टर के लिए यूरेनियम

2342. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तारापुर रिएक्टर के लिए परिष्कृत यूरेनियम की आपूर्ति हेतु चीन के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में चीन द्वारा निर्धारित शर्तें क्या क्या हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). तारापुर परमाणु बिजलीघर (टी.ए.पी.एस.) के लिए कम समृद्ध यूरेनियम (एल.ई.यू.) सप्लाई करने के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग और चीन के न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री कारपोरेशन के बीच एक वाणिज्यक अनुबंध किया गया था। कम समृद्ध यूरेनियम की एक खेप चीन से 5.1.95 को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में प्राप्त हुई थी, जहां इस कम समृद्ध यूरेनियम को तारापुर परमाणु बिजलीघर में उपयोग में लाने के लिए ईंधन समुच्चयों में परिवर्तित किया जाएगा।

दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि चीन द्वारा सप्लाई किया गया न्यूक्लियर पदार्थ और उससे तैयार किए गए उत्पाद और सामग्री का उपयोग केवल शांतिमय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा तथा वे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सुरक्षोपायों के अधीन होंगे।

[हिन्दी]

विमान की खरीद

2343. श्री दत्ता मेघे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटेन से "सी-हाक" विमान खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हेल्थ-के ओ, ड्रग

2344. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के बीड़ जिले में प्लेग के रोगाणुओं को नष्ट करने हेतु "हेल्थ-के ओ, ड्रग" खरीदी गई थी;

(ख) यदि हां, तो खरीदी गई औषधि की मात्रा और मूल्य कितना था;

(ग) वास्तव में औषधि की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया; और

(घ) औषधि की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). के ओ, औषधि, जो एक कीटनाशक है और प्लेग, अर्थात चूहा पिस्सू के वेक्टर की रोकथाम के काम आती है, न कि प्लेग के रोगाणुओं के लिए, का प्रयोग किया गया। यह औषधि 3 मी.टन खरीदी गई, जिसकी लागत 22.46 लाख रुपये थी।

(ग) सम्पूर्ण भंडार का उपयोग कर लिया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मल्टी-ड्रग ब्लिस्टर पैक

2345. श्रीमती सरोज दुबे :
डा. एस.पी. यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी-ड्रग ब्लिस्टर पैक खरीदने के लिए सितम्बर, 1994 में अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें जारी की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई भारतीय कंपनियों ने भी अपनी निविदायें भेजी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अन्तर्राष्ट्रीय निविदा में भाग लेने वाली 15 में से 13 भारतीय फर्में थीं।

(घ) इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2346. श्री रामनिहोर राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा लेखों में वास्तविक लाभ से अधिक लाभ के आंकड़े दिखाये जाने के कोई मामले सामने आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपक्रम-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लेखों का लेखा परीक्षण कम्पनी विधि के प्रावधानों के अनुसार सनदी लेखापालों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में किया जाता है। भारत के महालेखा परीक्षक व नियंत्रक भी इनकी जांच करते हैं और रिपोर्ट देते हैं। वार्षिक लेखे से सम्बन्धित विवरण आम सभा की वार्षिक बैठक में पास किए जाते हैं तथा इन्हें प्रकाशित वार्षिक लेखे में भी दर्शाया जाता है। इसलिए लेखा प्रमाणित सत्य और उचित है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की उपलब्धियां

2347. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वर्तमान एककों का विवरण क्या है तथा इसे किन-किन विभिन्न रक्षा एवं गैर-रक्षा क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है;

(ख) क्या इसके विस्तार तथा विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ और एककों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विभिन्न एककों ने चौमुखी प्रगति करके तथा इसे बनाए रखकर देश तथा देश के बाहर से क्रयादेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके उत्पादों के लिए दूसरे देशों से प्राप्त क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(च) विद्युत क्षेत्र आदि जैसे गैर-रक्षा क्षेत्रों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किए गए वायदे का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी आय होने का अनुमान है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 9 इकाइयां हैं जो बेंगलूर, गाजियाबाद, पुणे, मछलीपत्तनम, पंचकुला, कोटद्वार, तलोजा, मद्रास और हैदराबाद में हैं। यह कंपनी रक्षा सेनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रेडारों व एन्टेनाओं, संचार उपस्करों, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों, रात्रिदर्शी यंत्रों, सोनार प्रणालियों, पोत पर लगाने के इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों आदि का उत्पादन करती है। यह कंपनी गैर-रक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के दूर संचार उपस्करों, प्रसारण-उपस्करों, स्विचिंग व एक्सचेंजों, श्याम-श्वेत टी.वी. ट्यूबों, डिसप्ले यूनिटों आदि का भी उत्पादन करती है।

(ख) और (ग). इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ). जी, हां। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की आर्डर बुक होने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 1993-94 में जहां 536 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त हुए थे वहां चालू वर्ष में ये लगभग 1,000 करोड़ रुपये के हो जाएंगे। कंपनी को वर्ष 1992-93 में निर्यात से 12.88 करोड़ रुपये की आय हुई थी जबकि वर्ष 1993-94 में वह बढ़कर 44.82 करोड़ रुपये हो गई। इस समय कंपनी के पास चालू वर्ष और अगले वर्ष में निष्पादन के लिए लगभग 65 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात आर्डर हैं।

(च) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा गैर-रक्षा क्षेत्र के लिए तैयार किए गए उपस्करों का उल्लेख भाग "क" के उत्तर में किया गया है। कंपनी का अनुमान है कि अगले दो वर्षों में इसके सामानों की लगभग 40 प्रतिशत बिक्री गैर-रक्षा क्षेत्र को की जाएगी।

साक्ष्य अधिनियम में संशोधन

2348. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री साक्ष्य अधिनियम 1872 के बारे में दिसम्बर, 1991 तथा 24 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3598 तथा 2572 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस बीच फैसले का अध्ययन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ख). जी, हां। सरकार ने, राजकोट जिला में, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 के अधीन नियुक्त किए गए विशेष न्यायाधीश द्वारा, सेशन न्यायालय के मामला सं. 23/89-राज्य बनाम अनिरूद्धसिंह महीपतसिंह जडेजा और एक अन्य में, तारीख 28 अक्तूबर, 1991 को दिए गए निर्णय का अध्ययन किया है, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया है कि विधान सभा और माननीय संसद द्वारा विविध प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए जाने का अब समय आ गया है, और ऐसी परिस्थितियों में, जबतक संसद द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में आवश्यक संशोधन नहीं किया जाता तब तक विद्यमान स्थिति में न्यायालय द्वारा यह आशा नहीं की जा सकती है कि विधिक रूप से विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आ पाएंगे। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के विद्यमान उपबंधों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ

2349. श्री शिव शरण वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को क्या लाभ दिए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रतिवर्ष कितने ग्रामीण लोग लाभान्वित हुए?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चुने हुए ग्रामीण गरीब परिवारों को सरकारी सबसिडी और बैंक ऋण की मार्फत आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां और निवेश मुहैया कराया जाता है ताकि पारिवारिक आय को अनुपूरित किया जा सके तथा वे गरीबी की रेखा के ऊपर उठ सकें। पिछले वित्तीय वर्ष (1993-94) के दौरान सबसिडी की उपयोगिता 800.82 करोड़ रुपये थी और कार्यक्रम के लिये 1408.44 करोड़ रुपये का ऋण संग्रहित किया गया था।

(ख) राज्यवार पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्रदान किये गये परिवारों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान किये गये परिवार

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	222848	179038	259697
2.	अरुणाचल प्रदेश	10888	13642	15207
3.	असम	46416	40204	63381
4.	बिहार	336972	264252	335908
5.	गोवा	2989	2456	3452
6.	गुजरात	72326	61842	79725
7.	हरियाणा	24756	23349	34026

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	11819	6956	9128
9.	जम्मू व कश्मीर	13581	7331	7408
10.	कर्नाटक	108841	103856	132861
11.	केरल	57562	50517	53698
12.	मध्य प्रदेश	294810	184083	242673
13.	महाराष्ट्र	197967	177651	217671
14.	मणिपुर	4908	3158	6333
15.	मेघालय	2874	3011	2635
16.	मिजोरम	2811	3474	4684
17.	नागालैंड	5442	3996	5489
18.	उड़ीसा	111712	93226	160000
19.	पंजाब	27453	25248	33736
20.	राजस्थान	131986	101366	116567
21.	सिक्किम	1610	1142	1218
22.	तमिलनाडु	161603	144987	214888
23.	त्रिपुरा	16343	11414	16297
24.	उत्तर प्रदेश	462259	387961	445403
25.	पश्चिम बंगाल	201476	171695	73818
26.	अंड. व निकोबार द्वीप समूह	1502	895	1171
27.	दादर व नगर हवेली	313	300	372
28.	दिल्ली	550	कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया गया	
29.	दमन व दीव	482	524	507
30.	लक्षद्वीप	124	156	81
31.	पांडिचेरी	1343	1043	1407
	अखिल भारत योग	2536566	2068773	2539441

अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष संचार संगठन (इन्टरस्पूतनिक)

2350. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इन्टरस्पूतनिक (अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष संचार संगठन) का सदस्य बनने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस "इन्टरस्पूतनिक" में शामिल होने से भारत को क्या लाभ मिलेंगे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) इन्टरस्पूतनिक के साथ फिलहाल कोई सम्पर्क स्थापित करने की योजना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

घेंघा रोग

2351. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घेंघा रोग के प्रकोप के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं और किन-किन क्षेत्रों में इस रोग का अत्यधिक प्रकोप है;

(ग) क्या सरकार के पास घेंघा रोग के नियंत्रण और उपचार के लिए आयोडीनयुक्त नमक की सप्लाई के अतिरिक्त कोई और योजना भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना पर 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी और 1994-95 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण से देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 242 स्थानिक मारी वाले जिलों में से 200 स्थानिक मारी वाले जिलों का पता लगाया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और तराई क्षेत्र उच्च व्याप्तता वाले स्थान हैं।

(ग) और (घ). आयोडीयुक्त नमक का नियमित उपभोग घेंघा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक सिद्ध उपाय है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान 213.84 लाख रुपये का व्यय उपगत किया गया। वर्ष 1994-95 के लिए बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

[हिन्दी]

खोई से विद्युत उत्पादन

2352. श्री एन.चे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की अनेक गन्ना मिलों ने अपनी खोई से विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मिलों ने अपनी अतिरिक्त विद्युत रियायती दरों पर राज्य सरकर को देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

महिला वादियों हेतु कानूनी सहायता

2353. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कोई पृथक योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). विधिक सहायता स्कीम के अधीन, महिलाओं को एक विशेष प्रवर्ग माना जाता है। वे, उनकी आय पर विचार किए बिना, निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

लघु क्षेत्र के उद्योग

2354. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई नया नीति पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इन पैकेजों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) अगस्त, 1991 में लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् औद्योगिक नीति संकल्प के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई नये उपाय किए गए हैं।

(ख) और (ग). 1991 की लघु औद्योगिक नीति के अनुरूप सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) इस उद्देश्य के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप लघु उद्योगों के लिए ऋण नीतियां तैयार की गई हैं।

(2) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 1994 में एक एकीकृत बुनियादी विकास योजना शुरू की गई है।

(3) अक्तूबर, 1993 से प्रधान मंत्री रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि स्व-रोजगार परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकें।

(4) गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लघु एककों को सहायता देने की एक नई योजना कार्यान्वित की गई है।

(5) उत्पाद छूट योजना कारोबार सीमा, जो 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(6) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में एक प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण कोष स्थापित करने का निर्णय किया गया है ताकि गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों में निर्यात क्षमता को सुदृढ़ बनाना है।

अंतरिक्ष केन्द्र

2355. डा. वसंत पवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार भारत में एक अंतरिक्ष केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु किसी स्थल का चयन किया गया है; और

(ग) ऐसे अंतिरिक्ष केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है और इस केन्द्र से भारत को क्या लाभ मिलेंगे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) यह केन्द्र मुख्य रूप से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की अवसंरचना के आस-पास देहरादून में स्थापित किया जायेगा। विशिष्ट कार्यक्रम अवयवों के लिए इस केन्द्र की एक यूनिट अहमदाबाद में स्थापित की जायेगी।

(ग) एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अन्तरिक्ष केन्द्र ने कृषि, जल-संसाधन, वानिकी, पर्यावरण, शहरी आयोजना, मौसम के पूर्वानुमान इत्यादि जैसे क्षेत्रों में इस क्षेत्र के विकासशील देशों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और उपयोगों से संबद्ध पहलुओं के क्षेत्र में गहन शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

इस केन्द्र के क्रियाकलापों से अन्तरिक्ष उपयोगों के लाभों के बारे में तथा इस संबंध में भारतीय क्षमताओं के बारे में भी व्यापक जागरूकता पैदा होगी।

कश्मीरी आतंकवादी

2356. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान अनेक कश्मीरी आतंकवादियों को बिना शर्त जेल से रिहा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने आतंकवादियों को रिहा किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1994 के दौरान 2588 व्यक्तियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत सक्षम न्यायालयों द्वारा जमानत पर, पैरोल पर, निरूद्ध रखे जाने के आदेश की समय सीमा समाप्त/निरस्त होने पर और राज्य सरकारों द्वारा गठित की गई संवीक्षा समिति की पुनरीक्षा और सिफारिशों के आधार पर अन्तर्ग्रस्तता की मात्रा और प्रकृति, पहले से भोगी गई नजरबंदी की अवधि, मानवीय आधारों, उम्र आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया गया है।

पायलट रहित लक्ष्य-भेदी विमान

2357. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किए गए "लक्ष्य" नामक पायलट रहित लक्ष्य-भेदी विमानों का एक बेड़ा खरीदने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इन्हें प्राप्त करने हेतु किए गए प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) विमानभेदी गन फायर का प्रशिक्षण दिए जाने और हवा से हवा में तथा जमीन से हवा में मार करने की शस्त्र प्रणाली के रूप में शत्रु के वायुयान की ट्रैकिंग/वास्तविक सिमुलेशन किए जाने के लिए पायलट रहित लक्ष्य-भेदी वायुयान अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलूर को "लक्ष्य" के लिए उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तथापि, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होने तक, जिसके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला अर्थात् वैमानिकी विकास स्थापना, बेंगलूर में सीमित संख्या में उत्पादन किए जाने की योजना बनाई गई है।

त्वरित जल आपूर्ति योजना

2358. श्री पी. कुमारास्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा त्वरित जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की त्वरित जल आपूर्ति योजना को 1995-96 के दौरान राज्य-वार क्रियान्वित करने की योजना क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1995-96 के दौरान त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 821.80 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किए जाने की संभावना है। तथापि, भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के राज्यवार ब्यौरे अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(करोड़ रुपयों में) (1991-92) जारी	व्यय	(1992-93) जारी	व्यय	(1993-94) जारी	व्यय	(लाख में) लाभान्वित की गई जनसंख्या 1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.470	28.450	25.470	25.470	46.240	41.240	12.587	9.959	1.978
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.940	2.990	4.620	5.820	7.460	5.176	0.174	0.240	0.220
3.	असम	17.120	17.620	13.700	7.000	13.700	18.120	6.231	2.624	2.945
4.	बिहार	28.530	26.450	18.474	33.780	48.560	22.217	11.350	19.720	2.780
5.	गोवा	0.550	0.790	0.550	0.520	1.340	0.837	0.358	0.416	0.289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	19.990	15.144	16.330	17.970	29.560	18.584	8.738	2.731	3.051
7.	हरियाणा	11.080	8.240	8.328	11.660	18.310	15.817	1.929	6.735	15.155
8.	हिमाचल प्रदेश	6.410	5.380	6.420	6.420	10.330	8.041	0.413	0.610	5.287
9.	जम्मू एवं कश्मीर	20.030	19.900	19.000	9.970	18.888	28.686	0.759	0.718	0.601
10.	कर्नाटक	23.030	20.390	23.420	28.130	37.120	36.791	20.888	10.316	10.255
11.	केरल	12.450	13.680	11.910	10.710	21.270	13.165	5.987	4.998	0.769
12.	मध्य प्रदेश	35.830	32.870	27.021	25.540	48.000	49.730	22.400	21.760	25.550
13.	महाराष्ट्र	34.380	23.763	24.237	32.158	54.880	43.741	21.470	17.760	15.640
14.	मणिपुर	3.080	2.360	3.080	2.180	3.080	2.962	0.970	0.662	0.180
15.	मेघालय	4.200	3.340	4.200	2.750	4.200	5.787	1.075	0.826	0.001
16.	मिजोरम	1.290	1.750	1.290	1.280	2.100	2.100	1.386	0.353	0.336
17.	नागालैंड	3.870	2.300	2.281	1.380	3.890	0.909	0.372	0.273	0.215
18.	उड़ीसा	11.730	11.650	13.350	14.940	23.600	21.625	4.046	5.114	1.167
19.	पंजाब	4.240	4.240	4.240	4.240	8.880	11.306	4.953	6.912	2.391
20.	राजस्थान	41.830	41.830	41.830	41.170	71.290	64.730	4.283	2.803	1.981
21.	सिक्किम	4.200	4.200	3.677	3.820	3.720	3.720	0.151	0.071	0.395
22.	तमिलनाडु	20.190	24.410	20.190	23.940	34.700	30.908	28.955	24.510	24.566
23.	त्रिपुरा	4.480	2.900	3.040	3.120	3.500	3.944	0.000	0.700	0.253
24.	उत्तर प्रदेश	55.780	42.190	47.240	48.020	76.472	69.652	9.152	25.157	36.996
25.	पश्चिम बंगाल	16.180	13.900	18.240	13.500	29.520	22.344	10.717	6.388	9.941
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.106	0.000	0.000
27.	चण्डीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	दिल्ली	0.070	0.012	0.072	0.006	0.197	0.117	0.000	0.000	0.000
30.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.350	0.000	0.000	0.000
31.	पांडिचेरी	0.100	0.100	0.130	0.260	0.260	0.260	0.275	0.032	0.237
32.	दमन एवं दीव	2.400	2.820	0.220	1.830	0.965	1.093	0.000	0.000	0.200
	कुल	411.970	373.669	362.560	377.584	622.732	543.960	179.725	172.388	163.179

सौर विद्युत

2359. श्री पी.सी. चाको : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सौर विद्युत को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम शुरू किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). सरकार देश में सौर विद्युत उत्पादन के लिए स्टैंड-एलोन (गैर ग्रिड-इंटर एक्टिव) सौर प्रकाश-वोल्टीय (एस पी वी) युक्तियों/प्रणालियों

के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए समाजोन्मुख और बाजारोन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सरायसादी गांव में और अलीगढ़ जिले के कल्याणपुर गांव में दो सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों, प्रत्येक 100 किवा. क्षमता के, अंशतः ग्रिड इन्अर एक्टिव संघटकों के साथ, की स्थापना की गई है । कयाथार तमिलनाडु में 15 कि.वा. के ग्रिड एक्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना राजस्थान में जोधपुर के निकट 35 मे.वा. की एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र प्रदर्शन परियोजना की स्थापना का भी प्रस्ताव है। देश में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की राज्यवार संस्थापना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ). सरकार सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, जिनका देश में विनिर्माण किया जा रहा है, के माध्यम से सौर विद्युत को लोकप्रिय बना रही है। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इनमें समाजोन्मुख योजना के अंतर्गत विशिष्ट श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, द्वीप समूहों, मरूस्थली क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और सम्पूर्ण देश में कुछ विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों को रोशनी और ग्राम स्तर के विद्युत संयंत्रों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की बाहरी लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक राजसहायता शामिल है। सौर लालटेनों के लिए आर्थिक राजसहायता 2000/-रु. प्रति लालटेन निर्धारित की गई है। सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियों की खरीद के लिए आर्थिक राजसहायता और उदार ऋणों का एक पैकेज भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके अलावा बाजारोन्मुख योजना के अन्तर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों/प्रणालियों की खरीद के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के माध्यम से लाभार्थियों को उदार ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देश में सौर प्रकाशवोल्टीय बाजार विकास की विश्व बैंक से 55 मिलियन अमरीकी डालर सहायता प्राप्त एक परियोजना का भी इरेडा के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

उपयोगकर्ताओं को उक्त प्रोत्साहनों के अलावा सौर सैलों, सौर प्रकाशवोल्टीय माड्यूलों एवं प्रणालियों पर रियायती सीमा शुल्क, रियायती उत्पाद शुल्क, 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास तथा उदार ऋण सुविधाएं भी सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों एवं प्रणालियों के विनिर्माताओं को उपलब्ध हैं।

विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न सौर प्रकाशवोल्टीय राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

देश में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की राज्यवार संस्थापना को दर्शाने वाला विवरण (28.2.95 को)

क्रमसं.	राज्य/संघ राज्य	एस एल एस	डी एल एस	एस एल	सी एल एस	टी वी एस	पी पी/ के डब्ल्यू
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2897	165	1279	0	4	2/12
2.	अरुणाचल प्रदेश	720	52	1518	10	4	3/799
3.	असम	98	386	105	27	14	1/1
4.	बिहार	619	6	895	25	8	0
5.	गोआ	30	31	0	2	2	2/1.7
6.	गुजरात	1564	370	400	0	51	3/14
7.	हरियाणा	534	6	434	0	68	5/24.2
8.	हिमाचल प्रदेश	254	728	2520	9	2	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	889	836	1025	0	1	0
10.	कर्नाटक	274	0	0	11	3	0
11.	केरल	328	325	4310	7	23	4/4.7
12.	मध्य प्रदेश	5427	100	849	30	16	2/9
13.	महाराष्ट्र	2941	72	3517	0	64	3/6.4
14.	मणिपुर	340	0	224	0	0	5/5
15.	मेघालय	588	230	900	0	0	9/20
16.	मिजोरम	198	1772	151	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	271	8	0	3	0	1/6
18.	उड़ीसा	1938	203	237	51	35	5/34
19.	पंजाब	60	0	182	0	4	2/2
20.	राजस्थान	5440	0	222	0	115	11/85.2
21.	सिक्किम	93	31	196	0	6	0
22.	तमिलनाडु	1940	50	267	0	38	3/26
23.	त्रिपुरा	230	568	70	83	102	9/25
24	उत्तर प्रदेश	470	18562	6825	0	5	34/350
25.	पश्चिम बंगाल	800	93	643	2	3	3/16.5
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप	314	378	46	2	0	20/104
27.	दिल्ली	300	0	1595	0	0	1/5
28.	लक्षद्वीप	258	0	60	1	0	1/25
	कुल	29815	24972	28470	264	613	129/784.6

एस एल एस : सड़क रोशनी प्रणालियां
एस एल सफरी और लालटेन
टी वी एस सौर प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक टी वी प्रणालियां
डी एल एस घरेलू रोशनी प्रणालियां
सी एल एस सामुदायिक रोशनी प्रणालियां
पी पी सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र, संख्या के डब्ल्यू पी

[हिन्दी]

मेडिकल कालेजों में सीटों का आरक्षण

2360. श्री मंजय लाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार म्यांमार से निष्कासित भारतीयों के लिए कुछ मेडिकल सीटें आरक्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बर्मा और श्रीलंका से देश लौटने वाले व्यक्तियों के लिए गृह मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) को कुछ एम बी एस सीटें आवंटित की जाती थीं। ऐसी निर्धारित की गई सीटों का उपयोग 1985-86, 1986-87, 1989-90 और 1990-91 के शैक्षणिक सत्रों में नहीं किया गया था। इस श्रेणी के लिए मेडिकल सीटों का उपयोग न किए जाने को ध्यान में रखते हुए 1991-92 के शैक्षणिक सत्र से इस श्रेणी के लिए कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग

2361. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) क्या किसी अन्य देश या फार्म ने अपशिष्ट पदार्थों का ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग करने के लिए अपनी विशेषज्ञता देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) महानगरीय शहरों में शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा ठोस अपशिष्ट लगभग 21420.00 मीट्रिक टन प्रतिदिन और तरल अपशिष्ट 6132.00 मिलियन लिटर प्रतिदिन है।

(ख) अपशिष्टों से ऊर्जा प्रति प्राप्ति हेतु 4 विदेशी कंपनियों ने अपनी विशेषज्ञता देने की पेशकश की है। एक कंपनी ने दो प्रस्ताव, एक महाराष्ट्र राज्य को तथा एक तमिलनाडु को प्रस्तुत किए हैं, दो भारतीय एजेंसियों तथा उनके विदेशी सहयोगियों ने दिल्ली के समीप एक परियोजना तथा एक अन्य परियोजना बंगलौर में स्थापित करने की पेशकश की है। एक अन्य विदेशी कंपनी ने दिल्ली एंव कलकत्ता में खत्ते गैस आधारित बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की पेशकश की है।

(ग) और (घ). प्रमोटरों द्वारा परियोजनाओं के पूरे ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

सी.बी.आई. मामलों के लिए न्यायालय

2362. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में विशेषतः सी.बी.आई. के मामले निपटाने हेतु विशेष न्यायालय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम रूप से क्या निर्णय लिया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). सरकार ने लम्बित मामलों की संख्या को देखते हुये, तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति से राज्यों में सी.बी.आई. मामलों के विचारण के लिये पृथक से विशेष न्यायालय गठित करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। अब तक विशेष न्यायालयों का गठन आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तथा उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है।

कागज उद्योग

2363. श्री वी. कृष्णा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कागज उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख). कागज उद्योग को जुलाई, 1991 से आंशिक रूप में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। खोई तथा अन्य कृषि अवशिष्टों और गैर परंपरागत कच्चे मालों, जिसमें रद्दी कागज भी शामिल है, से बनी कुल 75 प्रतिशत लुगदी का इस्तेमाल करने वाली कागज की इकाइयां स्थापना स्थल संबंधी मानदंडों की संतुष्टि के अधीन औद्योगिक लाइसेंसीकरण से मुक्त है। उद्यमियों को नये उपक्रमों की स्थापना करने तथा पर्याप्त विस्तार करने के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करना होता है। वे कागज इकाइयां, जो मुख्य रूप से काष्ठ-आधारित इकाइयां हैं, को औद्योगिक लाइसेंस लेने की जरूरत होती है।

[हिन्दी]

स्थायी मध्यस्थता तन्त्र

2364. श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों के बीच विवाद निपटाने के लिए कोई स्थायी मध्यस्थता तन्त्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तन्त्र द्वारा नवम्बर, 1994 तक कितना कार्य निष्पादित किया गया?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां। जब पारस्परिक सहमति से विवादों के निपटान के सभी प्रयत्न असफल हो जाते हैं तो उनके लिए सरकारी उद्यम विभाग में परस्पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यम तथा केन्द्रीय सरकार के विभाग के बीच (आयकर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित विवादों को छोड़कर) वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए स्थायी मध्यस्थता तन्त्र की स्थापना की गई है। यह तन्त्र 30-3-1989 से कार्य कर रहा है।

(ग) नवम्बर, 1994 तक इस तन्त्र ने 10 वाणिज्यिक विवादों का निपटान किया है।

[अनुवाद]

मोटर वाहन

2365. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चार पहियोंवाली, दुपहिया, भारी उपयोग वाले ट्रक तथा सभी मोटर वाहनों के उत्पादन संबंधी नीतियों की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) विदेशी कम्पनियों के पास से मोटर वाहन क्षेत्र में उत्पादन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) कितने आवेदन लंबित हैं तथा उन्हें कब तक मंजूरी दे दी जाएगी; और

(घ) सभी आवेदकों के लिए एक समान नीति विकसित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। सभी प्रकार के मोटर वाहनों का विनिर्माण लाइसेंसमुक्त है।

(ख) और (ग). नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद, सरकार ने कारों के विनिर्माण के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम के लिए भारतीय पार्टियों से पांच आवेदन प्राप्त किए हैं। इन सभी प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है।

(घ) विकसित नीति एक समान है। फिर भी, प्रत्येक प्रस्ताव पर नीति के मानदंडों के अधीन गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

बच्चों में रोगों की रोकथाम

2366. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों में रोगों की रोकथाम के संबंध में कोई योजना मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में बच्चों की चिकित्सा के लिए पर्याप्त मात्रा में शीघ्र दवाएं उपलब्ध करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). जी, हां। शिशु उत्तर जीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत रोग प्रतिरक्षण, विटामिन-ए की कमी के कारण रोग निरोधन, बच्चों में अतिसार रोगों तथा न्युमोनिया के उपचार तथा नवजात शिशु की आवश्यक परिचर्या बचपन के सामान्य रोगों के कारण रूग्णता दर तथा मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रदान की जा रही है।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकेन्द्रों की वर्ष में दो बार औषध किटें प्रदान की जा रही हैं जिनमें आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां, विटामिन-ए का घोल, न्युमोनिया के उपचार के लिए ओ. आर.एस. के पैकेट तथा प्रतिजैविकी शामिल हैं। यह औषधियों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रतिवर्ष प्रति उपकेन्द्र 2000 रुपये के अतिरिक्त हैं।

[अनुवाद]

समुद्री जल का खारापन दूर करना

2367. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल साल्ट एण्ड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भावनगर गुजरात ने समुद्री जल का खारापन दूर करने संबंधी थिन फिल्म कम्पोजिट मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी विकसित करने में विश्व में तीसरा स्थान बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) समुद्री जल के खारापन को दूर करने के लिए इस तकनीक को और विकसित करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम प्रस्तावित हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) सीएसआईआर का एक घटक यूनिट केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई), भावनगर विश्व में यह क्षमता हासिल करने वाले कुछ संस्थानों में से एक है।

(ख) थिन फिल्म कम्पोजिट (टीएफसी) मेम्ब्रेन्स को दो भिन्न पॉलीमर्रों के प्रयोग से दो चरणों में बनाया जाता है। प्रथम चरण में, एक प्रबलित सूक्ष्मरंध्री मेम्ब्रेन बनाया जाता है। तत्पश्चात् अन्तरापृष्ठीय बहुलकीकरण तकनीक के द्वारा दूसरे पॉलीमर की एक पतली पर्त (500-2000ए) चढ़ाई जाती है। थिन फिल्म कम्पोजिट का प्रयोग सिंगल पास समुद्री जल विलवणीकरण के लिए किया जाता है, इनमें उच्च पृथकन और उच्च जल प्रवाहकता होती है।

जल के विलवणीकरण के अतिरिक्त टीएफसी मेम्ब्रेन्स का प्रयोग अनेक पृथकन और सान्द्रण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इनका प्रयोग रसायन, फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकीय उद्योगों में किया जा सकता है। इन मेम्ब्रेन्स का प्रयाग औद्योगिक निस्सारी उपचार के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी किया जा सकता है।

(ग) समुद्री जल के नमक-सांद्रण के अनुरूप नमक के सांद्रण से समुद्री जल के विलवणीकरण द्वारा प्रयोगशाला स्तर पर ताजा पानी प्राप्त करने के लिए टीएफसी मेम्ब्रेन्स का सफल परीक्षण किया गया है। अधिक क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्रों के लिए सर्पिल विन्यास में टीएफसी मेम्ब्रेन्स की आवश्यकता होगी जिनका दीर्घकालिक निष्पादन के लिए परीक्षण किया जा रहा है। 35000 पीपीएम सोडियम क्लोराइड घोल से 500-600 भाग प्रति मिलियन की रेंज में घुले ठोसों वाला पेयजल प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक स्तर के संयंत्रों हेतु 30 सेमी (लम्बाई) ×6.6 सेमी (व्यास) से 100 सेमी (लम्बाई)× 10 सेमी (व्यास) के आकार में सर्पिल अवयवों को बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला में मूलभूत अवसंरचना तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

आयोडीन युक्त नमक

2368. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नमक में आयोडीन की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने संबंधी सुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या आयोडीन के अधिक उपयोग से गम्भीर रोग हो सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). आयोडीनकृत नमक का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 100-150 यू.जी. आयोडीन की न्यूनतम खुराक निर्धारित की गई है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान

2369. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम्प्यूटर उद्योग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में नाम मात्र के शुल्क पर लोगों को कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करेगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं। देश में कम्प्यूटर उद्योग सॉफ्टवेयर व्यावसायिकों की कमी का सामना नहीं कर रहा है। विश्व बैंक की सहायता से हाल ही के अध्ययन में विशेषत:, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कम्प्यूटर श्रमशक्ति की जरूरतों का पुनर्विलोकन किया गया था। अध्ययन में विशेषकर नई तकनीकों के संदर्भ में जैसे ग्राहक/परिवेषक स्थापत्यकला, सी.ए.एस.ई. उपकरण, विषयोन्मुखी प्रौद्योगिकी और संबंधात्मक "डाटा बेस प्रौद्योगिकी" कम्प्यूटर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता का जिक्र किया गया है।

(ख) जी, नहीं। सरकार देश में नाम मात्र की फीस पर कम्प्यूटर साक्षरता उपलब्ध करने हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं कर रही है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन योजना के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र में संस्थानों/संगठनों को विनिर्दिष्ट स्तर के पाठ्यक्रम, अर्थात "ओ" (बुनियादी) "ए" (अग्रवर्ती डिप्लोमा), "बी" (स्नातक) और "सी" (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट प्रतिमानों और आधारभूत सुविधाओं, उपकरणों, संकाय इत्यादि के संबंध में कसौटियों को पूरा किये जाने पर चलाने के लिए अंतरिम प्रत्यायन दे दिया है।

महिला और बाल विकास विभाग की "नार्विजियन एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट स्कीम" के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, महिला और बाल विकास विभाग की देश में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़ी प्रशिक्षण योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर संचालन के क्षेत्र में हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को वजीफा और प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

कानूनी सहायता कार्यक्रम

2370. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक गुजरात में कितने लोग कानूनी सहायता कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना में निर्दिष्ट सिद्धान्तों में परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि में इस योजना के लिए आवंटित की गई राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) गुजरात में 213,841 व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया गया है।

(ख) और (ग). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93, और 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य के लिए दिए गए 5,10,398 रुपए के सहायता अनुदान में से 3,75,398 रुपए के उपयोग किए जाने की बाबत हिसाब दिया गया है।

(ङ) उपयोग न किए जाने के कारण, साधारणतया, विधि और व्यवस्था, बाढ़ और किसी अन्य कारण से, जिसके अंतर्गत मन:स्थिति संबंधी दशाएं भी हैं, हुए उपद्रवों से उत्पन्न स्थितियां हैं।

जादूगुड़ा में यूरेनियम की खानें

2371. श्री अंकुशराव टोपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जादूगुड़ा यूरेनियम खानों में काम करने वाले लोग तथा आस-पास रहने वाले लोग रेडियोधर्मी संदूषण से प्रभावित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संदूषण को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सा कॉलेज

2372. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने देश भर के चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु अमरीकी पैटर्न के अनुरूप आवश्यकता-आधारित-पाठ्यक्रम आरम्भ करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र

2373. श्री छीतूभाई गामीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन-चार वर्ष पहले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की धमनभट्टी में आग लग गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा इसके कारण कितनी हानि हुई?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) यूनिट-I में स्थानीय तौर पर आग लगने की घटना, जो परियोजना की किसी भी न्यूक्लियर प्रणाली से सम्बद्ध नहीं थी, 13.9.91 को घटित हुई थी। 6.6 किलोवोल्ट के स्विचगियर में आग लगने का पता चला था।

(ख) आग लगने की यह घटना 220 वोल्ट की दिष्टधारा की सप्लाई में रूकावट आ जाने की वजह से घटित हुई थी। इस आग के लगने से लगभग 118 लाख रुपये की हानि हुई।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

2374. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष कारपोरेशन द्वारा अंतरिक्ष-संबंधी सेवाओं की आपूर्ति के लिए विदेशी सरकारों तथा संगठनों के साथ कोई वाणिज्यिक समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी और समझौते पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) गत एक वर्ष के दौरान अन्तरिक्ष से संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी संगठनों के साथ दो महत्वपूर्ण करार किए गए हैं।

(ख) 1. एन्ट्रिक्स कापोरेशन लिमिटेड ने भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रह के आंकड़ों के विश्व-व्यापी विपणन के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की भू-पर्यवेक्षण कम्पनी के साथ एक करार किया है।

2. अन्तरिक्ष विभाग ने प्रस्तावित इन्सैट-2ई. अन्तरिक्ष यान पर ग्यारह 36 मेगाहर्ट्स की सी-बैण्ड संचार प्रेषानुकर यूनिटों को 10 वर्षीय अवधि के लिए लीज़ पर देने हेतु इन्टेलसैट नामक वाशिंगटन स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्तर-सरकारी संगठन के साथ एक करार किया है।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र में अग्रणी कम्पनियों/संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विमान निर्माण

2375. श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रूस के सहयोग से मिग विमानों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या नई विकसित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूस की भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय वायुसेना के लिए वांछित नए विकसित विमानों के निर्माण हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने पूर्व सोवियत संघ/रूस से लाइसेंस के अंतर्गत मिग-21 श्रृंखला के वायुयानों का निर्माण किया है और इस समय मिग-27 एम वायुयानों का निर्माण कर रहा है।

(ख) और (ग). आवश्यकता होने पर रूस तथा अन्य देशों के साथ नये क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी रक्षा सेनाओं और उद्योगों के पास वर्तमान उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक परियोजनाएं

2376. डा. खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कुल कितनी इलेक्ट्रॉनिक परियोजनाएं स्थापित की गईं तथा इलेक्ट्रॉनिक परियोजनाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) राज्य में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) योजना आयोग राज्यों को इलेक्ट्रॉनिकी के लिए विशिष्ट उप-क्षेत्रीय आबंटन नहीं करता है। पिछले तीन वर्षों और आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के लिए दी गई कुल बजटीय सहायता नीचे दिए अनुसार है :-

अवधि	कुल बजटीय सहायता
1992-93	75.00 करोड़ रुपये
1993-94	110.18 करोड़ रुपये
1994-95	140.10 करोड़ रुपये
आठवीं योजना	611.00 करोड़ रुपये

इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में राज्यवार विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस केन्द्रीय परिव्यय से विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का आबंटन करता है, जिनका निर्धारण विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों/समितियों द्वारा किया जाता है। ऐसी परियोजनाएं और कार्यक्रम विशिष्ट प्रौद्योगिकी अथवा जनशक्ति विकास की प्रायोजित परियोजनाओं के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने की प्रवृत्ति के हैं।

(ख) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सहायता से चल रही विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सहायता से चल रही परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना/कार्यक्रम
	मूल संरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित
1.	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
2.	इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र
	प्रायोजित प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं
3.	कम कीमत वाली डॉपलर वीएचएफ ओम्नी रेंज (डीवीओआर) तथा परम्परागत वीओआर प्रणाली का विकास
4.	कृषक सूचना प्रणाली
5.	इलेक्ट्रॉनिकी में ग्रामीण और सामाजिक अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन योग्य विजन के लिए ग्रामीण आवश्यकताओं का सर्वेक्षण
6.	डिजिटल प्रतिबिम्ब संसाधन तकनीकी के माध्यम से सूती तन्तु जाल विश्लेषक का विकास
	जनशक्ति विकास से संबंधित
7.	कम्प्यूटर शिक्षण, जिसमें बी.टेक. एम.टेक., एमसीए, पीजीडीसीए, पीसीडीसीए, और डेटा प्रविष्टी प्रचालक/प्रोग्रामर
8.	एमएससी इलेक्ट्रॉनिकी के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम।
9.	जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए विश्व बैंक की सहायता से "इम्पैक्ट" परियोजना।
10.	विवेक दर्पण।

प्लेग नियंत्रण

2377. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ दल ने अन्य देशों से भारत के साथ व्यापार और आवागमन पर प्रतिबन्ध हटाने के लिए आग्रह किया है चूंकि भारत सरकार ने प्लेग पर तेजी से और कारगर रूप से नियंत्रण पा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है और इस पर विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन दल ने देश में अनेक स्थानों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी प्रैस एडवाइजरी में सूचित किया कि भारत का भ्रमण करने वाले यात्रियों अथवा भारत में हवाई अड्डों पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए कोई रोक नहीं है।

व्यापार और यात्रा पर लगी रोक को धीरे-धीरे हटा लिया गया।

(ग) से (ङ). दल ने अपनी जांच के दौरान बम्बई, दिल्ली और महाराष्ट्र में बीड जिले, और सूरत का दौरा किया।

यह दल प्लेग के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों से संतुष्ट था। उन्होंने महसूस किया कि संदिग्ध मामलों की तत्काल और पर्याप्त जांच तथा उपचार किया जाये।

टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च

2378. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च के भारतीय भौतिकशास्त्रियों ने "टॉप क्वार्क" का आविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आविष्कार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस क्षेत्र में और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन अविष्कारों से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) टॉप क्वार्क के आविष्कार के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की फर्मी नेशनल एक्सिलरेटर लेबोरेट्री, में किए गए डीजीरो परीक्षण में पूरे विश्व से भाग लेने वाले 42 संस्थानों के एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा घोषणा की गई थी। इस संगठन में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बम्बई के और दिल्ली एवं पंजाब विश्वविद्यालयों के भारतीय भौतिकीविद् शामिल थे। इसके साथ-साथ ही कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मी लैब (सी.डी.एफ.) के नाम से पुकारे जाने वाली प्रतियोगी परीक्षण द्वारा भी टॉप क्वार्क के आविष्कार के बारे में घोषणा की गई है।

(ख) भौतिकी के मानक मॉडल के अनुसार, सभी पदार्थ लेप्टान और क्वार्क के नाम से पुकारे जाने वाले दो किस्म के मूलभूत कणों से बने होते हैं। इस मॉडल के अनुसार, 6 प्रकार के लेप्टान और 6 प्रकार के क्वार्क होते हैं। अभी हाल तक, केवल 5 क्वार्कों का पता लगाया गया है। छठे क्वार्क अर्थात् टॉप क्वार्क की खोज से मानक मॉडल की व्याख्या की पुष्टि हो जाती है। टॉप क्वार्क को तैयार करने के लिए फर्मी नेशनल एक्सीलरेटर लेबोरेटरी में बहुत ही उच्च ऊर्जा कण वाले त्वरित्र की आवश्यकता थी। इस प्रयोगशाला में डीज़ीरो संसूचक स्थापित किया गया है तथा इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने-अपने देश के सहयोग से किया था। डीज़ीरो संसूचक के निर्माण में भारत का प्रमुख योगदान टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा बनाए गए आधुनिकतम तरंग दैर्ध्य स्थानांतरी तन्तु रीड आउट वाले 120 विशाल क्षेत्र संस्फुरण संसूचक हैं।

(ग) किए जा रहे डीज़ीरो परीक्षण में तथा यूरोपियन सेन्टर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (सीईआरएन) स्विटजरलैंड में बनाई जा रही नई त्वरित्र सुविधाओं में नए और सक्रिय अध्ययनों के बारे में पूर्वानुमान लगाया गया है, और इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास में भारतीय भौतिकीविद् प्रमुख भूमिका अदा करते रहेंगे।

(घ) पदार्थ के आधारभूत रचनात्मक खंडों के संबंध में की गई ऐसी खोजों से भले ही तत्काल प्रभाव के किन्हीं अनुप्रयोगों का पता न चले, किन्तु इनसे मनुष्य के कुल ज्ञान में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप जब कोई ऐसा अवसर आए तो इनसे मानवजाति के लिए उल्लेखनीय लाभ हो सकते हैं।

[हिन्दी]

मुख्य युद्धक टैंक (एम.बी.टी.) का निर्माण

2379. श्री रामपाल सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" के निर्माण में विलम्ब की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" के निर्माण में विलंब की संभावना को देखते हुए टी-72 टैंक की मारक एवं रक्षक क्षमताओं में सुधार लाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) किसी भी टैंक बेड़े का आधुनिकीकरण करना एक सतत् रूप से आगे चलते रहने वाला कार्य है। तदनुसार, खतरों की वर्तमान संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए टी-72 टैंकों की मारक और रक्षात्मक क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं।

(ग) समाधात प्रणलियों से संबंधित ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियां

2380. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों की अत्यन्त कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा औषधियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

लघु पन बिजली परियोजनाएं

2381. श्री शान्ताराम पोतदुखे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के योगदान को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लघु पन बिजली परियोजनाओं हेतु संभावित स्थानों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार कितने स्थानों का पता लगाया गया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं से कितनी विद्युत का उत्पादन होगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). नई कार्यनीति और कार्य योजना के अंतर्गत 8 वीं योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाकर 2000 मेवा. किया गया है।

(ग) से (ङ). राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर 3 मेवा क्षमता तक के 1300 से अधिक संभाव्य लघु पन बिजली वाले स्थलों का डाटा आधार तैयार किया गया है। जिनमें समग्र क्षमता लगभग 1200 मेवा है, पहचान किए गए स्थलों, उनकी संभाव्यता की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

3 मेवा. क्षमता तक पहचान किए गए लघु पन बिजली स्थलों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	पहचान किए गए स्थल	
		संख्या	क्षमता (मेवा.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	30.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	190	112.52
3.	असम	10	15.19
4.	बिहार	110	133.52
5.	गोवा	1	1.50
6.	गुजरात	37	26.78
7.	हरियाणा	14	14.30
8.	हिमाचल प्रदेश	145	167.08
9.	जम्मू और कश्मीर	27	29.64
10.	कर्नाटक	28	30.15
11.	केरल	140	156.19
12.	मध्य प्रदेश	41	38.46
13.	महाराष्ट्र	122	68.17
14.	मणिपुर	3	1.70
15.	मेघालय	36	7.76
16.	मिजोरम	23	14.68
17.	नागालैंड	6	3.26
18.	उड़ीसा	48	28.25
19.	पंजाब	112	84.12
20.	राजस्थान	24	17.34
21.	सिक्किम	3	6.50
22.	तमिलनाडु	15	25.15
23.	त्रिपुरा	5	3.35
24.	उत्तर प्रदेश	111	81.80
25.	पश्चिम बंगाल	59	69.28
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	3.00
	जोड़ :	1344	1170.49

[हिन्दी]

सीमेंट संयंत्र

2382. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में मंजूर किये गये प्रस्तावों और जारी किये गये आशयपत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में) राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

आयुर्वेदिक दवाइयां

2383. **डा. जी.एल. कनौजिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक दवाइयों को पेटेंट करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). आयुर्वेदिक औषधों को उनके चिकित्सीय गुण और उनके वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर सरकार द्वारा पेटेन्ट किया गया है। केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद द्वारा चिकित्सीय गुण और अन्य वैज्ञानिक आंकड़ों का मूल्यांकन करने के पश्चात पेटेन्ट की गयी आयुर्वेदिक औषधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद द्वारा पेटेन्ट की गयी आयुर्वेदिक औषधों की सूची

1. **पेटेंट संख्या 140367**
   डेसमोडियम गैंगेटिकम डी.सी. से गैंगेटिन के पृथक्करण/उत्पादन की प्रक्रिया ।

2. **पेटेंट संख्या 139868**
   मीसा फेरिमा लिन्न बीजों से मीसा सीख्म के उत्पादन की प्रक्रिया।

3. **पेटेंट संख्या 139869**
   कोजिक एसिड तथा कैटेकाल से कोजो बेन फ्युरेनोल कम्पाउंड का उत्पादन करने की प्रक्रिया।

4. **पेटेंट संख्या 140381**
   सोलेनम ट्रिलोबेरम लिन्न से टोमेलिड-5, ई.एन, -ओ.एल. की पृथककरण/उत्पादन प्रक्रिया।

5. **पेटेंट संख्या 140321**
   पोंगोमिया पीनर (एल) मेई. (सिन पी.ग्ला ब्रा वेंट) में पोंगेफ्ले बोन के पृथक्करण की प्रक्रिया।

6. **पेटेंट संख्या 140382**
   स्वायमिडा फेब्रिफयुमा ए जस्स से किसी मिथाइलैंगों लेंसेट तथा डेओक्सिर्यांडिरो बिर के पृथक्करण/उत्पादन के लिए पेंटेंट

7. **पेटेंट संख्या 140032**
   केसिया साइनिया लैम से सोडियो सिमेमोल के उत्पादन की प्रक्रिया।

8. **पेटेंट संख्या 145857**
   एक्विलेरिया एगोलोका (फैमः थाइमेलेसिया) के हार्टवुड से लिरिओडेनाईन एक -एक 7-आक्सो एपोरफाइन के पृथक्करण की प्रक्रिया।

9. **पेटेंट संख्या 138350**
   सेरियम इंडिकम मिल. (सिन.एन.ओडोरम सोलैंड) से ग्लाइकोसाइड के उत्पादन की प्रक्रिया।

10. **पेटेंट संख्या 150024**
    विंकारोजिया से विंब्लेस्टाइन को निर्मित करने की प्रक्रिया।

11. **पेटेंट संख्या 152863**
    थेराप्युटिक एक्टिव एन्टी मेलेरियल प्रिपरेशन के विनिर्माण की प्रक्रिया।

12. **पेटेंट संख्या 150019**
    विंकारोजिया (फैम एपोसनेसिया के होल प्लांट (लीवस स्टेन तथा रूट्स) से विंक्रिस्टाइन तथा विंब्लेस्टाइन दो कैंसर रोधी औषधों का पृथक्करण।

13. **पेटेंट संख्या 147936**
    ल्योनोटिस नेपेटेफोलिया लिन्न के होल प्लांट से नेपेटेफोलिनोल नाम की 9,13 इपोक्सि-68 हाइड्रोआक्सी 8 एक्सलेब्डेन 16, 14:19,20 डायलेक्टोन के पृथक्करण की प्रक्रिया।

14. **पेटेंट संख्या 141170**
    आयुष-56, जो नारडोस्टा-किसजेटार्मेस/डीसीके मार्सिलिया क्वेड्रिफोलिया तथा जेटामारसी एवं जेटार्मैसोन के ट्रि-एंकटैनोल ऐक्सकोसेनोट के साथ सम्मिलित होता है, का उत्पादन।

15. **पेटेंट संख्या 140384**
    एन्टेडा स्कैन्डेन्स बेन्थ के बीजों से एनटेनिन, सपोनिन के उत्पादन की प्रक्रिया।

16. **पेटेंट संख्या 145858**
    स्टेरियोस्पर्म टेट्रागनम डी सी (फमः बिगनोनिसिया) के मूल से 2-हाइड्रोक्सी-3(3-मिथाइल 1-2-बुटेनिल)-1,4-नेप्थक्विनन, जो लपकोल से प्रसिद्ध है, के पृथक्करण की प्रक्रिया।

बिहार में सीमेंट कारखाने

2384. श्री प्रेम चन्द राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चल रहे सीमेंट कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास राज्य में सीमेंट कारखाने लगाने संबंधी कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बिहार में 7 बड़े सीमेंट के संयंत्र तथा 10 छोटे सीमेंट के संयंत्र हैं। दो बड़े सीमेंट संयंत्र कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग). 25 जुलाई, 1991 से सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। उद्यमियों को अब सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) दाखिल की आवश्यकता है। 25 जुलाई, 1991 से बिहार में उद्यमियों द्वारा सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने के लिए 9 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल किए गए हैं।

रोजगार गारंटी योजना

2385. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अब तक राज्य वार कितना कार्य हाथ में लिया गया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). केन्द्रीय प्रायोजित कोई रोजगार गारंटी योजना नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की सुनिश्चित रोजगार योजना के शुरू किए गए कार्यों की संख्या तथा योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) और (घ). राज्य सरकारें योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अपनी मासिक प्रगति रिपोर्टें इस मंत्रालय को भेजती हैं। योजना के शुरू होने से लेकर अब तक किये गये खर्च, जारी तथा पूरे किये गये कार्यों की संख्या, सृजित श्रम दिनों के राज्यवार ब्यौरे विवरण - II, III तथा IV, V में दिये गये हैं।

विवरण-I

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या

(22.3.95)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	794945
2.	अरुणाचल प्रदेश	80400
3.	असम	62277
4.	बिहार	705116
5.	गुजरात	318882
6.	हरियाणा	29393
7.	हिमाचल प्रदेश	4079
8.	जम्मू और कश्मीर	460200
9.	कर्नाटक	2125576
10.	केरल	87535
11.	मध्य प्रदेश	1010000
12.	महाराष्ट्र	447352
13.	मणिपुर	100650
14.	मेघालय	7697
15.	मिजोरम	106573
16.	नागालैंड	75380
17.	उड़ीसा	1727603
18.	राजस्थान	170073
19.	सिक्किम	41643
20.	तमिलनाडु	136249
21.	त्रिपुरा	424640
22.	उत्तर प्रदेश	525661
23.	पश्चिम बंगाल	2954000
24.	अंडमान व निकोबार	888
25.	दादर व नगर हवेली	830
26.	दमन व दीव	
27.	लक्षद्वीप	2628
	कुल	12400270

विवरण–II

1993–94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज निधियां			आवर्ती व्यय
		केन्द्र	राज्य मैचिंग अंश	कुल (केन्द्र + राज्य)	
1.	आंध्र प्रदेश	3600.00	900.00	4500.00	2566.02
2.	अरुपणाचल प्रदेश	240.00	60.00	300.00	136.17
3.	असम	2070.00	517.50	2587.50	963.09
4.	गुजरात	485.00	121.25	606.25	146.21
5.	बिहार	4710.00	1177.50	5887.50	1608.36
6.	हरियाणा	1320.00	330.00	1650.00	993.85
7.	हिमाचल प्रदेश	35.00	8.75	43.75	2.47
8.	जम्मू व कश्मीर	835.00	208.75	1043.75	133.75
9.	कर्नाटक	2820.00	705.00	3235.00	678.26
10.	केरल	580.00	145.00	725.00	171.20
11.	मध्य प्रदेश	5695.00	1423.75	7118.75	2503.49
12.	महाराष्ट्र	2645.00	661.25	3306.25	430.10
13.	मणिपुर	660.00	165.00	825.00	116.89
14.	मेघालय	160.00	40.00	200.00	शून्य
15.	मिजोरम	600.00	150.00	750.00	470.98
16.	नागालैंड	840.00	210.00	1050.00	975.15
17.	उड़ीसा	4268.00	1067.00	5335.00	1280.35
18.	राजस्थान	3660.00	915.00	4575.00	926.99
19.	सिक्किम	116.00	29.00	145.00	20.27
20.	तमिलनाडु	1055.00	263.75	1318.75	319.48
21.	त्रिपुरा	610.00	152.50	762.50	659.35
22.	उत्तर प्रदेश	2806.25	701.56	3507.81	647.68
23.	पश्चिम बंगाल	4055.00	1013.75	5068.75	2621.00
24.	अंडमान व निकोबार	10.00	0.00	10.00	2.41
25.	दादर व नगर हवेली	5.00	0.00	5.00	1.51
26.	दमन व दीव	5.00	0.00	5.00	शून्य
27.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	25.00	शून्य
		43910.25	10966.31	54876.56	18375.03

विवरण–III

1993–94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यों की संख्या		सृजित श्रम दिन (लाख श्रम दिन)				
		प्रगति पर	पूरे किए गए	अनुसूचित जाति	अ.जन. जाति	अन्य	कुल	महिलाएं
1.	आन्ध्र प्रदेश	3769	1336	असूचित	असूचित	असूचित	62.42	असूचित
2.	अरुणाचल प्रदेश	76	156	शून्य	3.61	0.03	3.64	1.33
3.	असम	1345	260	असूचित	असूचित	असूचित	31.75	असूचित
4.	बिहार	1488	648	असूचित	असूचित	असूचित	31.44	असूचित
5.	गुजरात	119	71	0.39	4.86	1.50	6.75	2.87
6.	हरियाणा	428	792	11.04	शून्य	4.16	15.20	3.74
7.	हिमाचल प्रदेश	4		शून्य	0.05	शून्य	0.05	0.02
8.	जम्मू व कश्मीर	205	237	0.46	0.31	2.69	3.46	असूचित
9.	कर्नाटक	1937	1263	7.48	3.27	21.37	32.12	4.44
10.	केरल	201	89	0.73	0.51	1.36	2.60	0.96
11.	मध्य प्रदेश	2935	572	9.28	27.91	14.07	51.26	16.14
12.	महाराष्ट्र	191	496	7.22	8.02	16.29	31.53	8.51
13.	मणिपुर	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	3.06	असूचित
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मिजोरम	326	388	शून्य	8.52	शून्य	8.52	2.95
16.	नागालैंड	शून्य	2056	शून्य	33.92	शून्य	33.92	शून्य
17.	उड़ीसा	2192	1381	6.71	116.60	8.12	31.43	10.27
18.	राजस्थान	812	187	13.52	17.15	18.33	50.00	8.80
19.	सिक्कम	1	24	0.11	0.20	0.51	0.82	0.10
20.	तमिलनाडु	717	800	असूचित	असूचित	असूचित	10.96	असूचित
21.	त्रिपुरा	1334	1184	3.48	7.18	5.48	16.14	4.84
22.	उत्तर प्रदेश	949	97	असूचित	असूचित	असूचित	15.00	2.01
23.	पश्चिम बंगाल	1042	1942	असूचित	असूचित	असूचित	52.53	असूचित
24.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	7		असूचित	असूचित	असूचित	0.10	असूचित
25.	दादर व नगर हवेली	20	शून्य	शून्य	0.04	शून्य	0.04	0.03
26.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	20148	13979	60.42	132.15	94.91	494.74	67.01

NIL – शून्य

NR – असूचित

विवरण–IV

1994–95 के दौरान सुनिश्चत रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रगति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.4.95 तक उपयोग न की गई निधियां	केन्द्र द्वारा रिलीज निधियां	राज्य मचिंग अंश	कुल (केन्द्र+राज्य)	निधियों की कुल उपलब्धता	आवर्ती व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	1933.98	10190.00	2547.50	12737.50	14671.49	12596.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	163.83	960.00	240.00	1200.00	1363.83	460.97
3.	असम	1624.41	3190.00	795.00	3975.00	5599.41	2930.11
4.	बिहार	4279.14	7750.00	1937.50	9687.50	13966.64	6487.08
5.	गुजरात	460.04	3580.00	895.00	4475.00	4935.04	1014.82
6.	हरियाणा	656.15	2580.00	645.00	3225.00	3881.15	2223.74
7.	हिमाचल प्रदेश	41.28	500.00	125.00	625.00	666.28	61.08
8.	जम्मू व कश्मीर	910.00	2270.00	567.50	2837.50	3747.50	1693.52
9.	कर्नाटक	2846.74	6010.00	1502.50	7512.50	10359.24	5604.39
10.	केरल	553.80	1140.00	285.00	1425.00	1978.80	1340.09
11.	मध्य प्रदेश	4615.26	13050.00	3262.50	16312.50	20927.76	8453.65
12.	महाराष्ट्र	2876.15	5914.00	1478.50	7392.50	10268.65	4461.04
13.	मणिपुर	708.11	880.00	220.00	1100.00	1808.11	1327.52
14.	मेघालय	200.00	640.00	160.00	800.00	1000.00	65.88
15.	मिजोरम	279.02	1600.00	400.00	2000.00	2279.02	1452.09
16.	नागालैंड	74.85	1120.00	280.00	1400.00	1474.85	944.00
17.	उड़ीसा	4054.65	6900.00	1725.00	8625.00	12679.65	9474.36
18.	राजस्थान	3648.01	9860.00	2465.00	12325.00	15973.01	7723.65
19.	सिक्किम	124.73	160.00	40.00	200.00	324.73	101.00
20.	तमिलनाडु	999.27	1832.00	458.00	2290.00	3289.27	2963.32
21.	त्रिपुरा	103.15	1818.00	454.50	2272.50	2375.65	1577.54
22.	उत्तर प्रदेश	2860.13	9290.00	2322.50	11612.50	14472.68	6140.90
23.	पश्चिम बंगाल	2447.75	7490.00	1872.50	9362.50	11810.25	6907.00
24.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	7.59	40.00	0.00	40.00	47.59	17.91
25.	दादर व नगर हवेली	3.49	20.00	0.00	20.00	23.49	1.23
26.	दमन व दीव	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	शून्य
27.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.75
	योग :	36501.53	98774.00	24678.50	123452.50	159954.03	85934.41

विवरण–V

1994–95 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति

क्र.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यों की संख्या		सृजित श्रमदिन (लाख श्रमदिन)				
		प्रगति पर	पूरे किए गए	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अन्य	कुल	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	13407	8815	असूचित	असूचित	असूचित	236.10	असूचित
2.	अरुणाचल प्रदेश	370	207	शून्य	9.44	शून्य	9.44	3.06
3.	असम	1026	2270	15.59	28.60	27.52	71.68	10.39
4.	बिहार	5271	2966	33.10	60.55	42.22	135.87	41.31
5.	गुजरात	1531	327	0.03	9.01	8.21	20.25	4.59
6.	हरियाणा	1023	4952	17.15	शून्य	8.03	25.18	5.21
7.	हिमाचल प्रदेश	46	57	0.64	0.94	शून्य	1.58	0.70
8.	जम्मू व कश्मीर	3620	2437	असूचित	असूचित	असूचित	35.96	असूचित
9.	कर्नाटक	4684	18143	33.40	11.01	78.47	122.89	23.70
10.	केरल	990	549	4.49	3.12	11.62	19.23	6.60
11.	मध्य प्रदेश	7017	2916	32.22	99.11	52.66	183.99	70.80
12.	महाराष्ट्र	6496	4745	35.40	32.91	77.97	146.28	47.89
13.	मणिपुर	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	28.60	असूचित
14.	मिजोरम	97	437	0.03	1.23	0.13	1.39	0.17
15.	मेघालय	92	3359	शून्य	28.80	शून्य	28.80	9.60
16.	नागालैंड	2537	823	असूचित	असूचित	असूचित	22.67	असूचित
17.	उड़ीसा	9666	7807	48.57	188.77	62.05	229.39	76.35
18.	राजस्थान	4529	2936	58.67	46.47	74.37	179.71	67.63
19.	सिक्किम	199	100	0.30	0.57	1.35	2.22	0.72
20.	तमिलनाडु	3113	5199	38.51	16.12	40.41	95.04	29.45
21.	त्रिपुरा	2513	4458	7.19	15.91	13.31	36.41	10.78
22.	उत्तर प्रदेश	2553	590	42.10	2.22	68.45	112.77	9.41
23.	पश्चिम बंगाल	12848	6716	52.03	31.68	50.52	134.23	37.58
24.	अंडमान व निकोबार	19	3	शून्य	0.22	0.05	0.27	0.01
25.	दादर व नगर हवेली	शून्य	20	शून्य	0.04	शून्य	0.04	0.03
26.	दमन व द्वीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	लक्षद्वीप	10	शून्य	शून्य	0.23	शून्य	0.23	0.04
	कुल	83657	80832	422.42	586.95	617.34	1880.02	156.02

NIL – शून्य

NR – असूचित

ग्रामीण विकास के संबंध में मल्टी-मीडिया कार्यक्रम

2386. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कार्यक्रमों और कार्यकलापों की जानकारी देने के लिये एक मल्टी मीडिया कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास के लिए लोगों को सरकार के प्रयासों के प्रति जागरूक करने के लिए बहु मीडिया अभियान नीति शुरू की गई है। अभियान में निचले स्तर के ग्रामीण गरीबों के बीच ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अन्तर वैयक्तिक प्रणाली एवं दृश्य-श्रव्य प्रणाली का प्रयोग करते हुए सूचना, शिक्षा एवं संचार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संचार एवं सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय से सहयोग लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत एजेंसियां जैसे फील्ड प्रचार निदेशालय संगीत एवं नाटक प्रभाग, दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय, दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं फिल्म प्रभाग विभिन्न चुने हुए जिलों में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है।

अप्रैल-मई, 1994 के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बहु मीडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसे फरवरी 1995 से 12 राज्यों के 60 जिलों में दो चरणों में शुरू किया गया है। अभियान में क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए गए विज्ञापन, इश्तहार, पुस्तिकाओं, फिल्मों, वीडियो प्रदर्शनों, सिनेमा स्लाइडों, रेडियो स्पाटो आदि का उपयोग किया जा रहा है। अभियान में लोक नाटकों के प्रदर्शन का भी उपयोग किया जा रहा है, जिनका विषय अन्तर वैयक्तिक संचार है।

मलेरिया का इलाज

2387. श्री शरत पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मलेरिया की रोकथाम और इलाज हेतु बहु-केन्द्रीय परीक्षण कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). नई औषधों, नए कीटनाशकों, औषध संसिक्त मच्छरदानियों, जीवनाशकों तथा मस्क्विटों रेपिलेंटों तथा वेक्टर नियंत्रण के वैकल्पिक पर्यावरणिक तरीका के साथ बहु-केन्द्रिक परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं तथा ये संक्रियात्मक एवं क्षेत्रीय अनुसंधान की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

कैनवस कपड़े के लिए निविदा

2388. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध फैक्टरी महानिदेशक ने रक्षा बलों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कैनवस कपड़े हेतु निविदा सूचनाएं जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल मात्रा कितनी है और इसके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी मिलों को निविदा सूचनाएं भेजी गई हैं;

(घ) इनमें से कितनी मिलें बन्द हो गई हैं अथवा कितनी मिलों ने अपेक्षित अच्छे किस्म का कैनवस कपड़ा तैयार नहीं किया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 19 करोड़ रुपये मूल्य के 15.20 लाख मीटर।

(ग) से (ङ). जिन यथार्थ मानदंडों के आधार पर निविदा सूचनाएं कुछ पार्टियों को जारी की गई थीं और अन्य पार्टियों को जारी नहीं की गई थीं, उनके बारे में आयुध निर्माणी बोर्ड से मालूम किया जा रहा है। इस संबंध में जांच कर लिए जाने के बाद ही इस मामले में कोई अगली कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय

2389. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर सकल घरेलू उत्पाद और योजना परिव्यय का कितना प्रतिशत व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य परिव्यय में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को अधिक प्राथमिकता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट, 1994 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय की प्रतिशतता सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत है (1990)। तथापि, उस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य पर कुल व्यय (सार्वजनिक और प्राइवेट) सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत है (1990)। पिछले

तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र पर कुल योजना परिव्यय (केन्द्रीय/राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों द्वारा) इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वास्थ्य	परिवार कल्याण	कुल
92-93	1,452.30	1,000.00	2,452.30
93-94	1,622.18	1,270,00	2,892.18
94-95	1,819.48	1,430.00	3,249.48

(ख) और (ग). प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर योजनाओं में ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए परिव्यय में वृद्धि करने हेतु सरकार की लगातार कोशिश रहती है। ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढ़ांचे को समेकित करने हेतु पहले निर्धारित की गई निधियों के अलावा, सरकार की लगातार यह कोशिश रहती है कि रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, जिसका मुख्य भाग ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है, सहित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के परिव्यय में वृद्धि की जाए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय पीठ

2390. श्री अमर रायप्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय की और अधिक न्यायपीठ स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये पीठ किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं और ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जब भी आवश्यक समझते हैं, उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ को, संघ राज्यक्षेत्र में व्युत्पन्न होने वाले मामलों को निपटाने के लिए पोर्ट ब्लेयर भेजा जाता है। पश्चिमी बंगाल के किसी भी भाग में न्यायपीठ या न्यायपीठें स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किसी विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही, आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

लड़ाकू विमानों का रख-रखाव

2391. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को मिराज-2000, मिग-27 जैसे प्रमुख लड़ाकू विमानों तथा अन्य सिविल बोइंग विमानों के रख-रखाव और सर्विसिंग करने में सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड काफी समय से सिविल और सैन्य वायुयानों की सेवाई, मरम्मत और ओवरहाल का कार्य करता आ रहा है। अब यह कम्पनी मिराज-2000 और मिग-27 एम वायुयानों के ओवरहाल का कार्य शुरू कर रही है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड प्राइवेट एयरलाइनों/आपरेटरों के लिए सिविल वायुयानों के रख-रखाव का कार्य करता है और इसने बोइंग-737 वायुयान से संबंधित चैक "बी" और चैक "सी" का कार्य भी किया है।

आंध्र प्रदेश में आदिवासियों की चिकित्सा देखभाल

2392. डा. आर. मल्लू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयासों की तैयारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य में स्वयसेवी संगठनों को दिये जा रहे सहायता अनुदान का उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की नीति, नियोजन तथा मानीटरिंग में समन्वय बैठाने के लिए इस मंत्रालय में एक आदिवासी विकास नियोजन सेल बनाया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संवर्धक, निवारक रोग हरक तथा पुनर्वास स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण जनसंख्या के शिथिल मानदंडों के आधार पर 31.3.93 तक 821 उप केन्द्रों, 116 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 एलोपैथिक, 38 आयुर्वेदिक, 18 होम्योपैथिक और 11 यूनानी

औषधालय भी कार्य कर रहे हैं। संचारी तथा गैर-संचारी रोगों के उन्मूलन के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सभी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों को अनुमोदित योजनाएं चलाने के लिए वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 25 और 59 स्वंयसेवी संगठनों को सहायता दी गई है। भारत जनसंख्या परियोजना VII के अंतर्गत राज्य सरकार को 1993-94 के दौरान 28.00 लाख तथा 1994-95 के दौरान 50.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार तथा स्वंयसेवी संगठनों ने 1994-95 के दौरान हाल ही में जारी की गई राशि को छोड़कर सभी अनुदानों का समुपयोजन कर लिया है।

अमरीका के न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अधिकारियों की यात्रा

2393. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अधिकारी चालू वर्ष के दौरान भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का दौरा करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कमीशन के अधिकारियों द्वारा किन-किन परमाणु विद्युत संयंत्रों का दौरा किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) अमरीका के न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अधिकारियों ने इस वर्ष फरवरी में भारत का दौरा किया था। उन्होंने नरोरा परमाणु बिजलीघर, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा तारापुर परमाणु बिजलीघर का दौरा किया। चालू वर्ष में किसी और दौरे का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन

2394. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में आर्मी कमांड के अधीन राष्ट्रीय रायफल्स के दस्तों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के कतिपय मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). सशस्त्र बल, विशेषकर, जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में प्रति विद्रोही संक्रियाओं या आतंरिक सुरक्षा ड्यूटियों पर तैनात यूनिटें मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह से सजग हैं। तथापि, जम्मू-कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों के दुराचरण के छह मामलों के बारे में सेना प्राधिकारियों को सूचना मिली है। व्यक्तिगत दुराचरण के चार मामलों में जांच की जा चुकी है और दो मामलों में जांच की जा रही है। दो मामलों में दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है और दो मामलों में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

ट्रांसपोन्डर्स

2395. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री शरत पटनायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इनसेट-2ई" के कुछ ट्रांसपोन्डरों को लीज पर लिए जाने संबंधी भारत के करार को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या सरकार ने ट्रांसपोन्डरों के प्रयोग के लिए अमरीका के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). अन्तरिक्ष विभाग और इन्टेलसैट (वाशिंगटन स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्तर-सरकारी संगठन) के बीच लीज संबंधी करार का क्रियान्वयन सन्तोषप्रद रूप में प्रगति में है।

(ग) और (घ). यह करार प्रस्तावित इन्सैट-2ई. अन्तरिक्षयान पर ग्यारह 36 मेगाहार्ट्ज की सी-बैण्ड संचार प्रेचानुकर यूनिटों को 10 वर्षीय अवधि के लिए लीज पर देने के लिए है। इन्टेलसैट द्वारा देय वार्षिक लीज़ प्रभार इसके उपयोग के आधार पर 9 मिलियन और 10.6 मिलियन अमरीकी डालर के बीच होंगे। लीज़ प्रभार इन्सैट-2ई. के प्रमोचन के बाद और 1998 के प्रारंभ में इसके प्रचालनीकरण के बाद देय है। यह करार जनवरी 30,1995 से प्रभावी है।

तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना

2376. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर की उन्नत परमाणु विद्युत परियोजना पर कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट 3 तथा 4 (2×500 मेगावाट) के मुख्य संयंत्र के सिविल निर्माण-कार्य का शुरू किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। सरकार से इस परियोजना के लिए समग्र उपलब्ध संसाधनों के भीतर अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है।

[हिन्दी]

उद्योगविहीन जिले

2397. श्री विलासराव नागनाथराव गून्डेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उद्योगविहीन जिले कौन-कौन से हैं;

(ख) इन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अनुमानतः कितने उद्योगों की स्थापना की जाएगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) महाराष्ट्र राज्य में केवल गढ़चिरोली ही "उद्योग रहित जिला" है।

(ख) और (ग). विशिष्ट जिलों/क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण से संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार संभव सीमा तक उनके प्रयासों को पूरा करने में सहायता करती है।

महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन

2398. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा का उपयोग करके महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत सहित विभिन्न राज्यों में सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क रोशनियां, घरेलू रोशनियां, सौर लालटेन तथा विद्युत उत्पादन के लिए पावर पैकों की स्थापना की जा रही है। महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से अब तक महाराष्ट्र में 2941 सड़क रोशनी प्रणालियां, 72 घरेलू रोशनी प्रणालियां, 3517 सौर लालटेन और 6.4 किवा. क्षमता के पावर पैक लगाए गए हैं। तकनीकी संभाव्यता और धनराशि की उलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार से प्राप्त अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ). ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति

2399. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन निगमों का ब्यौरा क्या है जिनके निदेशक मण्डलों में इस समय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति हैं;

(ख) इन निदेशक मण्डलों में सरकारी प्रतिनिधियों की भूमिका क्या है;

(ग) क्या वर्तमान आर्थिक उदारीकरण तथा विनियमों और लाइसेंसों में छूट को देखते हुए सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र के निगमों के निदेशक मण्डलों में सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति बन्द करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

2400. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय खोलने हेतु कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार ने इन अनुरोधों पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) ये औषधालय खोलने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब तक किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) तीन अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने संबंधी प्रस्तावों पर एक स्थान पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों की काफी अधिक संख्या तथा लाभार्थियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। उपर्युक्त के आधार पर आयुर्वेदिक यूनिट खोलने हेतु नेताजी नगर एवं फरीदाबाद को उपयुक्त निर्धारित/समझा गया है। पीतमपुरा एवं गाजियाबाद को होम्योपैथिक यूनिट खोलने हेतु निर्धारित किया गया है।

रक्षा वैज्ञानिकों की विदेश यात्रा

2401. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा वैज्ञानिकों का एक शिष्टमंडल रक्षा बाजार का पता लगाने के लिए अमरीका गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस यात्रा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस शिष्टमंडल ने इजरायल, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में भी कम्पनियों का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) संघटकों/उप एसेम्बलियों की खरीद की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में एक दल ने अमरीका का दौरा किया और इसने कुछ स्रोतों का पता लगाया।

(ग) जी, हां।

(घ) उक्त दल ने इसी प्रयोजन के लिए इन देशों की भी यात्रा की ताकि यात्रा का पूरा लाभ उठाया जा सके।

खादी ग्रामोद्योग आयोग

2402. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं चलायी गई हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक योजना के लिए कितना आवंटन किया गया तथा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(ग) इस आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और इनके समाधान हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) खादी कार्यक्रमों के अतिरिक्त, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सारे देश में विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के के.वी.आई. बोर्डों के जरिये तथा इसकी सीधी सहायता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से 96 ग्रामोद्योगों का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को योजनागत शीर्ष के तहत निम्नलिखित राशि स्वीकृत तथा जारी की है :-

(रुपये करोड़ में)

		1991-92	1992-93	1993-94
1.	खादी अनुदान	49.00	59.00	57.00
2.	खादी ऋण	35.00	35.00	35.00
3.	ग्रमोद्योग अनुदान	19.00	16.00	19.00
4.	ग्रामोद्योग ऋण	65.00	58.00	55.00

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उप शीर्ष के तहत निम्नलिखित राशि खर्च की है :-

क्र.	वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
स.		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1.	1991-92	62.37	11.70	35.82	76.14
2.	1992-93	76.05	25.25	21.17	72.23
3.	1993-94	67.43	19.66	25.62	59.46

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक के अंत में हासिल रोजगार स्तर के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के सम्मुख आई समस्याओं में से कुछ मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं :-

(1) इस क्षेत्र के उत्पाद बड़े उद्योगों के उत्पादों के साथ कारगर रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं।

(2) वित्तीय संस्थानों, बैंकों द्वारा अपर्याप्त निधियों का आबंटन, पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दीर्घकालिक निधियों, कार्यशील पूंजी निधि की अनुपलब्धता और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न संस्थानों को जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्रों को बैंकों द्वारा स्वीकार न करना।

(3) आयोग द्वारा पर्याप्त राशि जारी करने में देरी करना, विशेषतया छूट के दावों और बैंकों को ब्याज के लिए राजसहायता की प्रतिपूर्ति करना।

(4) इस क्षेत्र पर लागू किये जा रहे विभिन्न श्रम कानूनों से इस क्षेत्र को कठिनाई होना।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति, जिसका गठन सम्पूर्ण के.वी.आई. क्षेत्र को देखने और इस क्षेत्र के सतत विकास व उन्नति हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए किया गया था, ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर एक कार्यवाही योजना पहले ही तैयार कर ली गई है और कार्यान्वयन के लिए इसे आरंभ कर दिया गया है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में रोजगार का स्तर

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.30	2.97	0.32	3.02	0.32	3.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.01	—	—	*	*
3.	असम	0.23	0.79	0.23	0.79	0.22	0.80
4.	बिहार	2.29	1.09	2.25	1.34	2.27	1.18
5.	गोवा	—	0.05	—	0.05	—	0.06
6.	गुजरात	0.53	0.37	0.53	0.38	0.57	0.44
7.	हिमाचल प्रदेश	0.39	0.39	0.44	0.40	0.42	0.41
8.	हरियाणा	0.10	0.50	0.08	0.52	0.08	0.53
9.	जम्मू और कश्मीर	0.29	0.53	0.27	0.55	0.35	0.57
10.	कर्नाटक	0.33	1.31	0.38	1.36	0.40	1.32
11.	केरल	0.21	1.84	0.21	1.77	0.19	1.69
12.	मध्य प्रदेश	0.18	0.60	0.17	0.75	0.16	0.76
13.	महाराष्ट्र	0.15	4.28	0.19	4.43	0.19	4.62
14.	मणिपुर	*	0.38	—	0.38	*	0.39
15.	मेघालय	*	0.10	—	0.10	*	0.12
16.	मिजोरम	*	0.04	—	0.06	*	0.05
17.	नागालैंड	*	0.04	—	0.05	*	0.05
18.	उड़ीसा	0.03	1.27	0.03	1.61	0.03	1.28
19.	पंजाब	0.72	0.70	0.82	0.71	0.75	0.74
20.	राजस्थान	1.53	2.49	1.59	2.32	1.62	3.21
21.	सिक्किम	*	0.04	0.01	0.03	0.01	0.05
22.	तमिलनाडु	0.82	8.71	0.83	9.15	0.85	9.49
23.	त्रिपुरा	0.01	0.43	0.01	0.40	*	0.44
24.	उत्तर प्रदेश	5.54	4.50	5.55	5.18	4.90	5.38
25.	पश्चिम बंगाल	0.52	2.31	0.52	2.43	0.51	2.51
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*	*	—	—	—	*
27.	चंडीगढ़	—	0.01	—	0.01	—	0.01
28.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	दिल्ली	0.02	0.13	0.02	0.16	0.02	0.18
30.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—			*
32.	पांडिचेरी	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03
	योग	14.20	35.91	14.45	38.00	13.87	39.36

* 500 से कम।

[हिन्दी]

गुजरात में सौर ऊर्जा कार्यक्रम

2403. श्री एन.जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सौर ऊर्जा कार्यक्रम हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य और हासिल किए गए लक्ष्यों के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सरकार द्वारा सौर ऊर्जा कार्यक्रम (सौर तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय) के लिए गुजरात राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

क्र.सं.	वर्ष	सौर तापीय कार्यक्रम (लाख रुपए में)	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम
1.	1991-92	146.56	—
2.	1992-93	18.96	4.50
3.	1993-94	—	2.00

(ख) और (ग). सौर ऊर्जा कार्यक्रम के केवल विस्तार संबंधी पहलू के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, प्रदर्शन संघटक के लिए नहीं। विस्तार कार्यक्रम के लिए रखे गए लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। गुजरात में सौर तापीय कार्यक्रम के अंतर्गत रखे गए लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों और सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों का एक विवरण संलग्न है।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा निधियन किए गए सौर ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई विशिष्ट अनियमितताएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(i) गुजरात में सौर कुकर कार्यक्रम के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां :—

(आंकड़े संख्या में)

1991-92		1992-93		1993-94	
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
3000	2930	4000	1898	4000	1123

(ii) सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां (वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र)

1991-92		1992-93		1993-94	
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
4960	12,994	7135	2330	*	5732

* उपयोक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता के प्रबंधों में परिवर्तन के कारण वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यों को कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए।

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए, तथापि प्राप्त प्रस्तावों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान संचयी उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

गुजरात में स्थापित की गई सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां

क्र.सं.	प्रणालियां	31.3.92	31.3.93	31.3.94
1.	सड़क रोशनी प्रणालियां (संख्या)	1538	1563	1564
2.	घरेलू रोशनी प्रणालियां (संख्या)	335	370	370
3.	सौर लालटेन (संख्या)	—	—	286
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र (संख्या केडब्ल्यूपी) (समग्र क्षमता)	3/14	3/14	3/14
5.	सामुदायिक टी वी (संख्या)	51	51	51
6.	सौर जल पम्पन प्रणालियां (संख्या)	98	98	98

[अनुवाद]

जनसंख्या वृद्धि

2404. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित करने के लिए 11 जुलाई, 1994 को विश्व जनसंख्या दिवस पर कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). छोटे परिवार के मानदंड संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए "विश्व जनसंख्या दिवस" मनाया

जाता है। एतदर्थ विश्व जनसंख्या दिवस पर निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए गए थे :—

(i) भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिवार कल्याण विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई 0.75 रुपये और 1.00 रुपये की दो टिकटें जारी की गईं। इन टिकटों पर छोटे परिवार के मानदंड और पुरुष की जिम्मेदारी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ii) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा औपचारिक रूप से मनोरंजन पर आधारित "मेरी प्यारी निम्मो" नामक एक 90 मिनट की फीचर फिल्म रिलीज की गई। यह फिल्म छोटे परिवारों और बच्चों के जन्म के बीच अन्तराल रखने को बढ़ावा देती है।

(iii) देश भर के विख्यात समाचार पत्रों में अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में एक विश्व जनसंख्या दिवस विशेषांक निकाला गया।

(iv) परिवार कल्याण विभाग ने जनसंख्या विषय पर अपना योगदान देने वाले विख्यात कवियों का एक कवि सम्मेलन आयोजित करने के लिए साहित्य कला परिषद्, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को धन दिया।

(v) चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इन्डस्ट्री, स्वैच्छिक संगठनों, स्कूलों, कालेजों और अन्य संस्थाओं ने इस दिन का जनसंख्या मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आयोजन किया।

(vi) राज्य सरकारों ने जनसंख्या मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध और चित्रकारी प्रतियोगिताओं, सेमिनारों आदि का आयोजन करना जैसे विविध कार्यकलाप चलाए।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

2405. श्री श्रवण कुमार पटेल :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता हेतु विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जायेगी और राज्यों को सहायता कब तक स्वीकृत और जारी की जायेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सरकार को विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों का विवरण संलग्न है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता की मंजूरी हेतु संचलनात्मक विधियों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

गुजरात

1. गुजरात स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड

असम

2. फर्टीकेम लिमिटेड
3. कचर शुगर मिल्स लिमिटेड

नागालैंड

4. नागालैंड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड
5. नागालैंड शुगर मिल्स कोर्पोरेशन लिमिटेड

उड़ीसा

6. इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड

तमिलनाडु

7. तमिलनाडु लघु उद्योग निगम लिमिटेड
8. तमिलनाड मेग्नेसियम और मेराइन कैमिकल्स लिमिटेड
9. साउदर्न स्ट्रक्टचर्ल्स लिमिटेड
10. तमिलनाडु मेग्नेसाइट लिमिटेड
11. तमिलनाडु सीमेंट निगम लिमिटेड
12. डालमिया मेग्नेसाइट कार्पोरेशन (प्रो. डालमिया सीमेंट) भारत लिमिटेड

उत्तर प्रदेश

13. अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड
14. उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम लिमिटेड

बिहार

15. सोने वेल्ली सीमेंट लिमिटेड

पश्चिम बंगाल

16. टीटाघर पेपर मिल्स कं. लिमिटेड

मध्य प्रदेश

17. इन्दौर टेक्सटाइल मिल्स
18. बिनोद मिल्स कं. लिमिटेड

आन्ध्र प्रदेश

19. सर सिल्क कं. लिमिटेड
20. मैसर्स अल्विन आटो लिमिटेड
21. मैसर्स रिपब्लिक फोर्ज कं. लिमिटेड

राजस्थान

22. राजस्थान स्टेट कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

कर्नाटक

23. कर्नाटक खनिज तथा विनिर्माण कं. लिमिटेड
(एकक : गोकुल सीमेंट)
24. कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

महाराष्ट्र

25. टेक्सटाइल कार्पोरेशन ऑफ मराठवाड़ा लिमिटेड (टेक्सकोस)
26. महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड

हजरतबल दरगाह

2406. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी संगठनों ने श्रीनगर में हजरतबल दरगाह पर कब्जा करने के कोई नए प्रयास किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस दरगाह की पवित्रता की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). हजरतबल में 10 फरवरी, 1995 को एक घटना हुई थी जहां कि जे.के.एल.एफ. के अध्यक्ष मो. यासीन मलिक ने उस दिन हजरतबल में जुमे की जमात को सम्बोधित करने के कार्यक्रम की घोषणा की थी। वहां जे.के.एल.एफ. तथा हिजबुल मुजाहिदीन के समर्थकों की कहासुनी के परिणामस्वरूप जे.के.एल.एफ. के एक मुख्य कार्यकर्ता मो.युसूफ खान उर्फ इदरीस खान की मृत्यु हो गई थी।

(ग) दरगाह पर तैनात पुलिस चौकसी कर रही है और परिसर में शांति बनाए रखने के सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

दूध में मिलावट

2407. श्री पी. कुमारासामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध में कास्टिक सोडा, यूरिया आदि मिलाने के कुछ मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है; और

(ग) दूध में मिलावट रोकने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). ऐसे कोई मामले सरकार को सूचित नहीं किए गए हैं।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों के अधीन नियमों में अनुमत्य पदार्थों को छोड़कर दूध में न पाए जाने वाले किसी पदार्थ से युक्त दूध की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसलिए कास्टिक सोडा, यूरिया इत्यादि से युक्त दूध बेचते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति पर खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन मुकदमा चलाया जाएगा।

कम्प्यूटर वायरस

2408. श्री सुधीर सावंत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "माइकल एंजिलो टू रेज हेल इन कम्प्यूटर वर्ल्ड टू नाइट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन वायरसों को निष्प्रभावी करने के लिए वायरस-रोधी कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). प्रचलित कम्प्यूटर वायरसों की किस्म तथा प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी है तथा इसके साहित्य उपलब्ध हैं।

कम्प्यूटर वायरसों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1988 में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने ऐसे वायरस की किस्म का विश्लेषण किया था जो कम्प्यूटरों को प्रभावित कर सकते हैं तथा भारत में नेटवर्कों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समिति ने ऐसे कम्प्यूटर वायरसों का सामना करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भी तैयार किए। समिति की रिपोर्ट एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों को देश के प्रमुख प्रयोगकर्ताओं में व्यापक रूप से परिचालित किया गया था। कई सॉफ्टवेयर कम्पनियों तथा अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा ऐसे वायरसों का पता लगाने, उनका क्रमवीक्षण करने और कम्प्यूटरों से उन्हें हटाने के लिए वायरस-विरोधी पैकेजों के साथ-साथ हार्डवेयर भी विकसित किए गए हैं। इस समय वायरस विरोधी कई पैकेजों का विपणन किया जा रहा है तथा ये उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। ये पैकेज कम्प्यूटरों को ऐसे वायरसों से बचाने में सक्षम हैं।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

2409. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों सशस्त्र सेनाओं में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों हेतु अनेक आवेदन लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सेनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी मृत सुरक्षाकर्मियों के बच्चों को तुरन्त रोजगार हेतु सहायता उपलब्ध कराती है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). दिवंगत रक्षा कार्मिकों के बच्चों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार सहायता उपलब्ध कराने में वास्तव में समय लग जाता है और रोजगार सहायता प्रदान करना एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। तथापि, दिवंगत रक्षा कार्मिकों के बच्चों को अनुकंपा के आधार पर यथाशीघ्र रोजगार सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। नियमों और विनियमों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों में रक्षा सैन्यबलों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त रिक्तियां पहले ही निर्धारित की गई हैं। दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों में सेना, वायुसेना और नौसेना में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों से संबंधित लंबित पड़े मामलों की संख्या क्रमशः 4495, 226 और 123 है।

2. कई बार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने में सामान्यतः निम्नलिखित कारणों से विलंब होता है :-

(1) उपयुक्त पदों का रिक्त न होना।

(2) भर्ती से पूर्व विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्रवाई और पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं।

(3) कई मामलों में आवेदकों द्वारा अनुकंपा के आधार पर अपने गृह नगर के पास ही रोजगार दिए जाने के लिए अनुरोध किया जाता है जहां पर कि कोई रक्षा स्थापनाएं/यूनिटें नहीं होती हैं।

(4) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अद्यतन आदेशों, अर्थात अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए दिवंगत कार्मिकों की पत्नियां/पुत्र/पुत्रियां ही पात्र हैं, के अनुसार दिवंगत कार्मिकों के निकटतम संबंधियों/भाइयों/बहिनों का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र न होना।

(5) नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां केवल समूह "ग" और "घ" के पदों पर ही होना।

[हिन्दी]

हथियारों की बिक्री

2410. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हथियार और अन्य सैन्य उपकरण बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश की स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा आयुध निर्माणियां पहले ही अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा आयुध निर्माणियों के कई उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है जिनमें वायुयान एवं उनके हिस्से-पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक संघटक, संचार उपस्कर, गोलाबारूद, विस्फोटक, रसायन इत्यादि शामिल हैं।

(ग) इस क्षेत्र में शुरूआत कर दी गई है। भारत में उपलब्ध उत्पादन क्षमताओं (अनुसंधान एवं विकास से सहायता प्राप्त) एवं हमारे तुलनात्मक लाभों (जैसे श्रम घंटे की कम लागत) को देखते हुए उपर्युक्त मदों का निर्यात करने और मरम्मत एवं ओवरहाल के कार्यों को हाथ में लेने की पर्याप्त संभाव्य क्षमता है परंतु घटते विश्व-बाजार में प्रवेश पाने एवं आर्डर प्राप्त करने की समस्याओं के प्रति संतोष ही करना होगा।

[अनुवाद]

चमड़ा उद्योग

2411. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश स्थित चमड़ा एककों को चमड़े के माल का देश के अन्दर तथा देश से बाहर दोनों स्थानों पर विपणन करने के लिये देश में ही इसका उत्पादन करने की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के लैदर गारमेंट्स का उत्पादन तथा निर्यात किया गया और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय गारमेंट उद्योग, जोकि विश्व के तीसरे स्थान पर है, अन्य देशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पाकिस्तान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश, जो अंतर्राष्ट्रीय लैदर गारमेंट्स बाजार में सफल सिद्ध हुए हैं, भारत से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदते हैं और अपने उत्पादों को ऊंचे दामों पर बेचकर अधिक लाभ कमाते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्धा में लैदर गारमेंट निर्माता सफल रहें, इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जायेंगे?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) चमड़े की वस्तुओं की अधिकांश मदें लघु क्षेत्र में ही विनिर्माण के लिए आरक्षित हैं और इनका उत्पादन मुख्यतः लघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किया जाता है। लघु क्षेत्रों के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण कार्य में प्रवेश पाने के इच्छुक मझौले और बड़े औद्योगिक उपक्रमों, चाहे वे भारतीय अथवा विदेश आधारित/संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं, को नीति के अधीन अपेक्षित निर्यात दायित्व लेना होता है।

(ख) से (घ). पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित और निर्यात किए गए लैदर गारमेन्ट का मूल्य नीचे दिया गया है :-

(मूल्य मिलियन रुपयों में)*

1991-92	1992-93	1993-94	अप्रैल-दिसम्बर, 94
7368.71	9429.45	11066.32	8032.80

लैदर गारमेन्ट के कुल निर्यात के आंकड़ों को सन्निकर उत्पादन आंकड़े माना जा सकता है क्योंकि लैदर गारमेन्ट की स्वदेशी बिक्री नगण्य है। विश्व में लैदर गारमेन्ट के निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। हमारा निर्यात मुख्यतः यूरोप और अमेरिका को होता है और इन देशों को हमारा निर्यात बढ़ रहा है।

(ङ) और (च). पाकिस्तान भारत से तैयार चमड़े का आयात नहीं कर रहा है और चीन और कोरिया को तैयार चमड़े का हमारा निर्यात कुल हमारे कुल निर्यात का लगभग 5 प्रतिशत है।

(छ) भारत में चमड़ा उद्योग के एकीकृत विकास के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" शीर्षक से एक विस्तृत योजना तैयार की गई है और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) से प्राप्त सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य "निर्यात क्षमता बढ़ाना" है। चमड़ा निर्यात परिषद्, जो राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम में एक भागीदार संस्था है, विभिन्न उप परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य लैदर गारमेन्ट सहित चमड़ा उत्पादों का निर्यात बढ़ाना है।

(* स्रोत : चमड़ा निर्यात परिषद्)

प्रतिरक्षा एयरोस्पेस परियोजनाएं

2412. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की प्रतिरक्षा एयरोस्पेस परियोजनाओं की निगरानी करने हेतु एक संगठन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एच.आई.वी. फैलना

2413. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थ एच.आई.वी. फैलने का एक प्रबल स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किए जाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). व्यापक अस्पताल संक्रमण नियंत्रण दिशा-निर्देश, जो अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञानी तरीके से अस्पताली अपशिष्ट के निपटान से संबंधित हैं, तैयार किए गए हैं और इन दिशा निर्देशों का अनुपालन के लिए देश भर के अस्पतालों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। अपशिष्ट की मात्रा और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर या तो उसे विरंजित करके/उसमें चूना मिलाकर गहरा दबाने अथवा उसे जलाने/भस्म करने की सिफारिश की जाती है। महानगरों में स्थित प्रमुख 20 अस्पतालों को दाहित्र और आटोक्लेव प्रदान करने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा किराए पर ली गई कारें/बसें

2414. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा 1990 से 1994 तक कितनी लक्ज़री बसें और कारें आदि किराये पर ली गईं;

(ख) क्या इन बसों और कारों का उपयोग करने के संबंध में कोई नीति बनाई गई है और इन बसों और कारों का उपयोग किन-किन प्रयोजनों के लिए किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा वर्ष 1990-94 के दौरान किराए पर ली गई गाड़ियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :-

वर्ष	किराए पर ली गई गाड़ियों की संख्या
1990	13
1991	13
1992	13
1993	14
1994	14

इनमें से एक भी लक्ज़री वाहन नहीं है।

(ख) और (ग). बसों और कारों को किराए पर लेने की नीति संयंत्र की मानवशक्ति और परिवहन अनुरक्षण संबंधी सुविधाओं को इष्टतम करने की दृष्टि से बनाई गई हैं। ये बसें आवासीय कालोनी और संयंत्र-स्थल के बीच कर्मचारियों को लाने-ले-जाने के लिए तथा कर्मचारियों की कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए लगाई जाती हैं क्योंकि आवासीय कालोनी मुख्य कस्बों/शहरों से दूर स्थित है। कारों का उपयोग दौरे पर बाहर से आने वाले अधिकारियों और संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को लाने-ले-जाने के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

एड्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को सहायता

2415. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने देश में एड्स से बचाव और इसकी रोकथाम के लिये राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन को धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) उपरोक्त अवधि में कितनी राशि का उपयोग किया गया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय में से निर्धारित प्रतिशत की ही प्रतिपूर्ति करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया वर्षवार व्यय, जिसके लिए प्रतिपूर्ति दावे अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को भेजे गए थे तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा उन दावों के लिए की गई प्रतिपूर्ति की राशि इस प्रकार है :-

वर्ष	दावा किया गया व्यय (रुपये)	अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा की गई प्रतिपूर्ति (रु.)
1992-93	13,30,52,538	13,04,05,493
1993-94	18,17,15,368	17,66,48,026
1994-95 (28 फरवरी, 1995 तक)	27,70,26,894	24,02,38,754
	59,17,94,800	54,72,92,273

घाटी में पाकिस्तानी शस्त्र

2416. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीरी आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा शस्त्रों की आपूर्ति के बारे में "कमेटी ऑन इंटरनेशनल सेक्यूरिटि स्टडीज ऑफ द अमेरिकन एकादमी ऑफ आर्टस एण्ड साइन्सेस" द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा शस्त्रापूर्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों के पास जो हथियार हैं उनमें से अधिकांश हथियार अफगान से आए हैं, जो कि या तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्तों के शस्त्र बाजारों से प्राप्त किए गए हैं या आई एस आई के नियन्त्रणाधीन भण्डारों से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि शस्त्रों का यह हस्तान्तरण भारी मात्रा में होता है और इसे सीधे संलिप्त रहते हुए आई एस आई द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उग्रवादी पाक अधिकृत कश्मीर में आई.एस.आई. द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण शिविरों का प्रयोग करते हैं और उन्हें वहां सुरक्षित शरण मिलती है। इसमें यह स्पष्ट टिप्पणी की गई है कि पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान

उग्रवादियों को मिल रहे हथियारों की किस्म और प्रमात्रा के बिना पूर-जोर गुरिल्ला युद्ध चलाना सम्भव नहीं हो सकता था। यदि कश्मीर पहुंचने वाले शस्त्रों की आपूर्ति को रोक दिया जाए या यह बंद हो जाए तो उग्रवादियों को वे साधन नहीं मिलेंगे, जिनकी आवश्यकता उन्हें भारत में कार्य करने के लिए पड़ती है।

(ग) सरकार को, जम्मू और कश्मीर सहित देश के विभिन्न भागों में अस्थिरता पैदा करने और हिंसक, विखण्डन और आतंकपूर्ण स्थिति पैदा करने के पाकिस्तान के नापाक इरादों की जानकारी है। सरकार को स्थिति की जानकारी है और विभिन्न रास्तों से शस्त्रों इत्यादि की घुसपैठ को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करने और राज्य तथा केन्द्रीय एजेंसियों के बीच कारगर तालमेल स्थापित करना, सुरक्षा बलों की तैनाती को प्रभावकारी बनाना, संवेदनशील स्थानों, सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को बढ़ाना तथा भारत पाक सीमा के नाजुक हिस्सों पर बाड़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना, भी शामिल है। सरकार इन प्रयासों को सुस्थिर और अनवरत रूप से जारी रखने की इच्छा रखती है। सरकार ने कई अवसरों पर पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह आतंकवादियों को यह समर्थन देना बन्द करें जो कि पूर्णतः अस्वीकार्य है तथा अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के सर्वमान्य सिद्धान्तों और शिमला समझौते के प्रावधान के भी प्रतिकूल है।

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र

2417. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग को गत वर्ष मई में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र में कंकरीट गुम्बद के ढह जाने की घटना की जांच संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच समिति द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) मई, 1994 में कैगा परमाणु विद्युत परियोजना की भीतरी संरोधक गुम्बद की परत के एक भाग के गिर जाने की घटना की जांच के संबंध में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित जांच समितियों की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी हैं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

अवसादक औषधि

2418. डा. जी.एल. कनौजिया :
श्री मंजय लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफीम, कैनेबीज, भांग आदि सहित जड़ी-बूटियों से आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति में अवसादक औषधियां बनाने के लिए अनुसंधान कार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). आयुर्वेद एवं यूनानी में अवसादक औषधों का विनिर्माण करने हेतु इस समय अनुसंधान परिषदों द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् ने कुछेक जड़ी बूटी पादपों पर अनुसंधान किया है जिससे महत्वपूर्ण अवसादक संपत्ति का पता चलता है। तथापि, इन जड़ी-बूटी पादपों में अफीम कैनबिस (भांग इत्यादि) शामिल नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन केन्द्र

2419. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं तथा सरकार द्वारा उन पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रत्येक केन्द्र पर कितने लोगों का आपरेशन किया गया; और

(ग) उत्तर प्रदेश में और अधिक केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) उत्तर प्रदेश में स्थित परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :-

1.	जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	72
2.	उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	147
3.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	81
4.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	907
5.	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	150

वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 का व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रवार सूचना का अनुवीक्षण किया जा रहा है। 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किए गए कुल बन्ध्यीकरण क्रमशः 417781 (अनंतिम) तथा 366055 (अनंतिम फरवरी, 1995 तक) है।

(ग) उत्तर प्रदेश में और केन्द्र खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए आबंटित बजट

(लाख रु. में)

	कार्यक्रम	1993-94	1994-95
1.	जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	245.00	242.00
2.	उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र	433.00	433.00
3.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	172.16	157.00
4.	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	282.50	327.00
5.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	2555.00	2196.00

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मजिस्ट्रेट

2420. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च-न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मजिस्ट्रेटों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) इन न्यायालयों में महिला मजिस्ट्रेटों की कुल संख्या क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के न्यायाधीशों की संख्या और महिला न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	न्यायाधीशों की संख्या (31.10.94 को यथाविद्यमान)		महिला न्यायाधीशों की संख्या (10.8.94 को यथाविद्यमान)
		अ.जा.	अ.ज.जा.	
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	2	—	1
2.	आंध्र प्रदेश	1	2	1
3.	मुम्बई	4	—	—
4.	कलकत्ता	—	—	1
5.	दिल्ली	—	—	2
6.	गुवाहटी	—	3	1
7.	गुजरात	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1
9.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	1	1	—
11.	केरल	1	—	2
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—
13.	मद्रास	1	—	—
14.	उड़ीसा	—	—	1
15.	पटना	1	—	1
16.	पंजाब और हरियाणा	—	—	1
17.	राजस्थान	—	1	2
18.	सिक्किम	—	—	—
	योग	12	7	14
				24.3.1995 को यथाविद्यमान
	उच्चतम न्यायालय	1	—	1

[अनुवाद]

माझागांव डॉक लिमिटेड

2421. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माझागांव डॉक लिमिटेड के पास न्यू बाम्बे स्थित न्हावा पत्तन में 45 से 50 एकड़ फालतू भूमि और एक सुनिर्मित पोत घाट है;

(ख) क्या यह कम्पनी ऐसे सौदों के मामले में निविदाएं/बोलियां आदि आमंत्रित करने जैसे दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखे बिना कुछ गैर-सरकारी पक्षों के साथ दीर्घावधि पट्टे के आधार पर बैनामे को अंतिम रूप दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने माझागांव डॉक लिमिटेड को न्हावा द्वीपसमूह पर तटीय ढांचों के निर्माण के लिए चरणवार 37.5 एकड़ भूमि दी है। माझागांव

डॉक लिमिटेड ने इस भूमि का विकास कर लिया है और निर्माण कार्य संबंधी सुविधाएं स्थापित कर दी हैं।

(ख) और (ग). यह कम्पनी न तो इस भूमि को बेच रही है और न ही किसी को लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर दे रही है। यह कम्पनी अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए उपसंविदा कर रही है व अपनी सुविधाओं के भाग तथा क्रेनों आदि जैसे उपस्करों एवं स्थान को किसी पार्टी को लिक्विड पैट्रोलियम गैस की बड़े पैमाने पर सार-संभाल किए जाने के लिए 3 वर्ष के वास्ते केवल अस्थाई तौर पर किराए पर दे रही है। यदि माझगांव डॉक लिमिटेड को अपने इस्तेमाल के लिए इन सुविधाओं की आवश्यकता हो तो यह करार 3 माह का नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

गुरदा प्रत्यारोपण

2422. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरदे में खराबी के कई रोगी गुरदा प्रत्यारोपण हेतु विदेशों से भारत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में चोरी-छिपे आये ऐसे गुरदा रोगियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार ने इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा दावों के भुगतान

2423. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे मामलों में, जहां डिस्पेंसरियों द्वारा 30 अगस्त, 1994 से पूर्व गैर-सूचीबद्ध दवाइयों के इंडेन्ट किए गए थे और लाभार्थियों द्वारा वे दवाइयां बाद में खरीदी गई थी चूंकि दवाइयां पंजीकृत दुकानों पर उपलब्ध नहीं थीं, और उन बिलों को सम्बन्धित डिस्पेंसरी प्रभारी द्वारा प्रमाणित भी कर दिया गया था, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों से उनके अपने-अपने कार्यालयों द्वारा चिकित्सा दावों को भुगतान न होने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बिलों को न निपटाने के क्या कारण *; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इन मार्गनिर्देशों को कब तक जारी कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पदों का सृजन

2424. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने दिल्ली और दिल्ली के बाहर भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरी में अर्द्ध चिकित्सीय कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) क्या सरकार ने एस.आई.यू. की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ग) क्या एस.आई.यू. द्वारा अर्द्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों के संस्तुत पदों की भर्ती हेतु कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधियों संबंधी एस आई यू रिपोर्ट पर अभी सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। इसे अनुमोदित नहीं किया गया है क्योंकि इस रिपोर्ट पर एलोपैथिक औषधालयों संबंधी एस आई यू रिपोर्ट पर निर्णय लेने के उपरांत ही कार्रवाई की जानी है।

कीटनाशकों का सेवन

2425. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों द्वारा कीटनाशकों के सेवन का औसत विश्व स्तर से कहीं अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूध में 40 पी.पी.एम.डी.डी.टी. की मात्रा पायी जाती है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार निर्धारित पांच पीपीएम सीमा के विपरीत है; और

(घ) यदि हां, तो हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) देश के कुछ जिलों में किए गए एक सीमित सर्वेक्षण में दूध में नाशक जीव मार अवशेषों के पाए जाने की सूचना मिली है। तथापि, इनमें से अधिकतर नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में निर्धारित सह्य सीमाओं के भीतर थे।

(घ) दूध में नाशक जीव मारों की सह्य सीमाएं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में पहले ही निर्धारित की गई हैं। राज्यों/संघ राज्यों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार हैं, चेतावनी दी गई है कि वे नाशक जीव मार अवशेषों के बारे में सतर्क रहें, विश्लेषण के लिए अधिक से अधिक संख्या में नमूने उठाएं और उपभोक्ताओं को शुद्ध और पौष्टिक दूध की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु दंडात्मक कार्रवाई करें।

मेडिकल कॉलेज

2426. श्री अन्ना जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने निजी पंजीकृत मेडिकल कॉलेजों में विदेशी छात्रों के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित करने वाली केन्द्र सरकार की नीति पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने इसे कम करने के लिए कोई निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 7 अक्तूबर, 1993 के निर्णय में शैक्षणिक वर्ष 1993-94 के लिए विदेशियों एवं अप्रवासी भारतीयों के प्रवेश को कुल दाखिलों में से 15 प्रतिशत तक शिथिल कर दिया है। इस सीमा को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13 मई, 1994 के अपने निर्णय के तहत शैक्षणिक वर्ष 1994-95 के लिए कुल दाखिले के 10 प्रतिशत तक और कम कर दिया गया है। राज्य सरकारों तथा संबंधित प्राइवेट मेडिकल कालेजों को न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करना है।

फर्जी भर्ती

2427. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** फर्जी भर्ती के बारे में 10 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या-2524 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जांच कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच पूर्णतः अंतिम चरण में है। यद्यपि, जांच कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं तथापि निर्धारित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन

2428. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण की नीति के कारण जापानी फर्मों द्वारा निर्मित एवं बेचे जा रहे इलेक्ट्रॉनिक सामान भारतीय निर्माताओं के लिए चिन्ता की बात है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्वदेशी निर्माताओं की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत और मिस्र के बीच समझौता

2429. श्री अंकुशराव टोपे :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मिस्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त अनुसंधान करने हेतु किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत तथा मिस्र ने 1964 में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर किये। इस करार में वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की बात थी। हाल ही में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (भारत) तथा वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी अकादमी (मिस्र) द्वारा नई दिल्ली में 1994-97 वर्षों के लिए सक्रिय कार्यक्रम तैयार किया गया है। धात्विकी इलेक्ट्रॉनिकी, मिट्रोलोजी, पैट्रोलियम, प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विज्ञान तथा मत्स्यकी तथा पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी को सहयोग के क्षेत्रों के तौर पर चुना गया है।

[हिन्दी]

काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र

2430. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) अब तक हुए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक शीर्ष-वार कितना व्यय किया गया है और नियत धनराशि से अधिक खर्च करने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) 200 मेगावाट क्षमता के दो यूनिटों वाली काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के लिए अनुमोदित परियोजना लागत अनुमान 1335 करोड़ रुपये है, जिसमें 310 करोड़ रुपये का निर्माण के दौरान लगने वाले ब्याज का अंश भी शामिल है। इस परियोजना की लागत का लगभग एक तिहाई भाग सरकार द्वारा ईक्विटी के रूप में उपलब्ध कराया गया है तथा शेष भाग की पूर्ति पूंजीगत बाजार से उधार लेकर की गई है।

(ख) इस परियोजना पर फरवरी, 1995 तक लगभग 1300 करोड़ रुपए का संचयी व्यय हुआ है।

(ग) व्यय का शीर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

		(करोड़ रुपये)
1.	स्थल की जांच, भूमि और भूमि का विकास	16.00
2.	सिविल-निर्माण कार्य	89.00
3.	रिएक्टर, बायलर और सहायक उपकरण	279.00
4.	द्वितीयक चक्र प्रणालियां	109.00
5.	वैद्युत प्रणालियां	73.00
6.	यंत्रीकरण	119.00
7.	सामान्य सेवाएं	83.00
8.	निर्माण संबंधी सुविधाएं और सम्पदा प्रबन्धन	55.00
9.	क्षेत्र प्रबन्धन और स्थल पर्यवेक्षण	36.00
10.	अप्रत्यक्ष लागत	171.00
11.	निर्माण के दौरान लगा ब्याज	270.00
	कुल	1300.00

अब तक किया गया कुल व्यय अनुमोदित परियोजना लागत से अधिक नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र

2431. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकरापार परमाणु विद्युत केन्द्र का एकक दो गंभार संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये दोनों एकक कब से कार्य करना शुरू कर देंगे; और

(घ) 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुल कितनी हानि हुई?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). किसी परमाणु बिजलीघर का परिचालन शुरू करने के तीन महत्वपूर्ण चरण हैं :-

(i) निर्माण-कार्य और चालू करने से संबंधित कार्यों के पूरा हो जाने के बाद **क्रांतिकता प्राप्त करना।**

(ii) कम पावर पर भौतिकी परीक्षण पूरा कर लेने के बाद उसे **ग्रिड के साथ जोड़ना।**

(iii) विद्युत स्तर को धीरे-धीरे बढ़ा लेने और परिचालन संबंधी प्रणालियों का पूरी तरह से परीक्षण कर लेने के बाद **वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन शुरू करना।**

काकरापार परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट ने जनवरी, 1995 में क्रांतिकता प्राप्त कर ली थी और उसे मार्च, 1995 में ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया था।

(ग) काकरापार परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट ने जहां मई, 1993 में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना शुरू कर दिया था, वहीं दूसरे यूनिट द्वारा जुलाई, 1995 तक वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू कर देने की आशा है।

(घ) काकरापार परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट ने 1993-94 के दौरान लगभग 2.42 करोड़ रुपए का लाभ दर्शाया था। वर्ष 1994-95 के दौरान फरवरी, 1995 के अंत तक, इस यूनिट को 137.00 करोड़ रुपए की अनंतिम हानि हुई है।

सैनिक कार्यवाही के दौरान मारे गए रक्षाकर्मी

2432. श्री पी. कुमारासामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान आतंकवादियों के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही में कुछ रक्षाकर्मी मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मृतकों के परिवारों को वही आर्थिक और अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं जो युद्ध के दौरान मारे जाने वाले रक्षाकर्मियों के परिवारों को दिए जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मृतकों के परिवारों को यह सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिविद्रोही संक्रियाओं के दौरान हताहत होने वाले कार्मिकों को युद्ध में हताहत हुए कार्मिक माना जाता है और हताहत/उनके निकट संबंधी उदारीकृत पेंशन और युद्ध हताहतों के समान अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लाभों सहित भारत सरकार द्वारा घोषित कुछ अन्य लाभ पाने के भी पात्र होते हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्लेग निरोधक टीका

2433. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से प्लेग निरोधक टीकों का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इन टीकों के प्रभाव की जांच की गई थी;

(घ) इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) इन टीकों का प्रयोग किस प्रकार किया गया?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). रूस से सजीव तनुकृत वेक्सीन के 10 एम्प्यूल आयात किए गए थे।

(ग) से (ङ). इन नमूनों का हॉफकिन संस्थान, बम्बई तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में विश्लेषण किया गया। इनमें से कुछेक नमूनों को भावी संदर्भ एवं सहयोगी अध्ययनों हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में रखा गया था।

नवजात शिशु केन्द्र

2434. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के किसी अन्य सरकारी अस्पताल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का कोई नवजात शिशु

(ख) क्या सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी नवजात शिशु केन्द्रों में सुधार अथवा विस्तार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). बाहरी नवजात शिशुओं के लिए 8 पंलगों वाली नवजात गहन परिचर्या यूनिट बनाने की सिफारिश की गई है। अभी धन का आबंटन किया जाना है।

विदेशी पूंजी निवेश

2435. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश में अत्यधिक विदेशी-पूंजी निवेश के विरूद्ध चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह कहा है कि अत्यधिक विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है परंतु ऐसे निवेशों की सीमाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई ठोस निर्णय लिया है; और

(घ) सरकार भारत में किस हद तक विदेशी पूंजी निवेश के लिए सहमत है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). फिक्की के 67वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रति संपूर्ण तथा बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया था, ताकि एक सर्वसम्मति का अविर्भाव हो सके और इसकी दिशा व विषय-वस्तु को प्राथमिकता दी जा सके। तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक ठोस आधार बनाने के संदर्भ में तथा राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर कोई समझौता किए बिना निवेश में वृद्धि और अनुसंधान व विकास पर बल सहित प्रौद्योगिकी उन्नयन की तीव्र गति की कल्पना की गयी है। विदेशी निवेश नीति सहित आर्थिक नीति की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

2436. श्री खेलन राम जांगडे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक द्वारा कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरूद्ध कार्यकरण की जांच किए जाने संबंधी कार्यवाही की गई है तथा वर्षवार कितनी कम्पनियों के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही की अनुशंसा की गई है;

(ख) क्या उन कम्पनियों के मामले, जिनके विरूद्ध कार्यवाही

करने की अनुशंसा की गई है, अब भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम.आर.टी.पी.) आयोग के पास लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने-कितने मामलों को निपटाया गया है; और

(घ). इन कम्पनियों के अनुचित ढंग से काम करने को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण द्वारा ऐसी 14 कम्पनियों के मामलों की जांच की गई थी। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सरकार कम्पनी अधिनियम व एम आर टी पी अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है।

विवरण

महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दायर की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्टों/ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से संबंधित आवेदनों का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	आर टी पी/ यू टी पी संख्या	कम्पनी का नाम	धारा 10(क) (III) के के अन्तर्गत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट/आवेदन दायर करने की तारीख	टिप्पणी
1.	1992	एम टी पी 1/92	मै. पीको इलैक्ट्रानिक्स एंड इलैक्ट्रिकल्स लि.	पी आई आर 4.8.1992	निपटान किया गया
2.	1992	आर टी पी 80/92	मै. हिन्दुस्तान लीवर लि.	पी आई आर 16.10.1992	जांच लम्बित है
3.	1992	आर टी पी 88/92	मै. ब्रुक बांड इंडिया लि.	पी आई आर 15.1.1993	निपटान किया गया
4.	1992	यू टी पी 117/1992	मै. लिपटन इंडिया लि.	पी आई आर 24.2.1993	निपटान किया गया
5.	1993	–	मै. पी को इलैक्ट्रानिक्स एंड इलैक्ट्रिकल्स लि.	पी आई आर 24.2.1994	निपटान किया गया
6.	1993	आर टी पी 18/1993	मै. हिन्दुस्तान लीवर लि.	आवेदन	जांच लम्बित है
7.	1993	आर टी पी 45/1993	मै. हिन्दुस्तान लीवर लि. एंड मैसर्स टाटा आयल मिल्स लि.	आवेदन	आगे के निर्देशों के लिए सूची-बद्ध
8.	1993	एम टी पी 1/1993	मै. हिन्दुस्तान लीवर लि. एंड मै. टाटा आयल मिल्स कं.लि.	आवेदन	आगे के निर्देशों के लिए सूचीबद्ध
9.	1994	आर टी पी 22/1994	मै. हिन्दुस्तान लीवर लि.	पी आई आर 28.11.1994	जांच लम्बित है
10.	1994	आर टी पी 23/1994	मै. कोलगेट पामोलिव इंडिया लि.	पी आई आर 20.12.1994	जांच लम्बित है
11.	1994	आर टी पी 24/1994	मै. पाइंस इंडिया लि.	पी आई आर 7.12.1994	जांच लम्बित है
12.	1994	आर टी पी 48/1994	मै. ब्रुक बांड लिपटन लि.	पी आई आर 16.1.1995	पी आई आर विचाराधीन है
13.	1994	आर टी पी 26/1994	मै. कोका कोला कम्पनी	आवेदन	जांच लम्बित है
14.	1994	आर टी पी 58/1994	मै. पैप्सी क./पैप्सी फूड्स प्रा. लि.	आवेदन	जांच लम्बित है

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सिफारिशें

2437. **श्री शान्ताराम पोतदुखे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विकास हेतु रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संगठनों में उपलब्ध विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन दल ने सरकार को कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). सरकार जहां तक संभव हो पाता है असैनिक क्षेत्रों में अनुप्रयोग के लिए रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष सहित विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित विशेषज्ञता तथा प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की नीति को जारी रखे हुए है। विस्तृत ब्यौरा इन विभागों की वार्षिक रिपोर्टों एवं इनके द्वारा समय-समय पर प्रकाशित विशेष रिपोर्टों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) और (घ). प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर यूएनडीपी सहायित अध्ययन के अंतरिम निष्कर्ष से पता चलता है कि रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष संगठनों के पास प्रौद्योगिकी विकास के अन्य असैनिक क्षेत्रों में शिरकत करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, बुनियादी सुविधा तथा मानव संसाधन मौजूद हैं तथा राज्य को ऐसे उद्यमों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

[हिन्दी]

उन्नत किस्म के चूल्हे

2438. **डा. साधौची** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्नत किस्म के चूल्हे की योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितने परिवार शामिल किए गए हैं;

(ख) चालू योजना की अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को शामिल करने का विचार है;

(ग) उन्नत किस्म के चूल्हे लगाने के लिए लाभार्थियों को कितनी प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम) के अंतर्गत वर्ष 1983-84 से 1994-95 (जनवरी, 95) की अवधि के दौरान 186 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया।

(ख) आठवीं योजना अवधि के लिए 100 लाख चूल्हों की स्थापना के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी।

(ग) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम में 50/- रुपए प्रति चूल्हा की आर्थिक राजसहायता दी जाती है जो सामान्य श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए स्थिर चूल्हों के मामले में लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत और सफरी चूल्हों के मामले में 33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए गए चूल्हों के लिए प्रति चूल्हा 75/- रु. है जो अधिकतम 50 प्रतिशत के अध्यधीन है।

हिमालय में विद्युत उत्पादन क्षमता

2439. **श्री जगमीत सिंह बरार** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय देश की उत्तरी सीमा पर स्थित है और 3200 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा वहां 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या अनुमान लगाया है;

(ग) इस क्षमता में से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी बिजली का उत्पादन किया गया और वर्तमान उत्पादन कितना है;

(घ) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई व्यापक योजना बनायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विद्युत उत्पादन और विद्युत संयंत्र के निर्माण पर औसतन कितनी लागत आने का अनुमान है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). मोटे अनुमानों के अनुसार देश में लगभग 10,000 मेवा की लघु पन बिजली परियोजनाओं की संभाव्यता है। हिमालयी क्षेत्रों में संभाव्यता का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए अभी विस्तृत अध्ययन किए जाने हैं।

(ग) 7 वीं योजना के अंत तक लघु पन बिजली परियोजनाओं की समग्र क्षमता लगभग 64 मेवा. थी। इस समय यह क्षमता 114 मेवा. है।

(घ) और (ङ). देश के हिमालयी और उप-हिमालयी क्षेत्रों में लघु पन बिजली संसाधनों के इष्टतम विकास और उपयोग के कार्य में सरकार की सहायता के लिए बनाई गई यूएनडीपी/जीईएफ तकनीकी सहायता परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना को 42 महीनों में कार्यान्वित किया जाएगा और इसमें 7.5 मिलियन अमरीकी डालर की यूएनडीपी सहायता और 22.48 करोड़ रुपए के भारतीय प्रतिरूप निधियन की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य हिमालयी और उप-हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना है।

(च) पहाड़ी क्षेत्रों में लघु पन बिजली परियोजनाओं की औसत लागत 4.5-6.0 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है जो परियोजना के प्रकार, स्थल और श्रेणी पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

फ्रांस के साथ संयुक्त उद्यम

2440. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के मैसर्स पास्च्यूर मेरिक्स सीरम्स एंड वैक्सीन्स के बीच पोलियो, खसरा, रेबीज आदि के विरूद्ध प्रतिरोधी क्षमता पैदा करने के लिए मानव विषाणु टीकों के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई समझौता हुआ है;

(ख) क्या प्रौद्योगिकी अंतरण की शर्तों पर समझौता हुआ है तथा निर्माण करने वाले संयंत्र की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित संयंत्र को कहां लगाया जाएगा और इसका कार्यान्वयन किस चरण में है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। मानव विषाणु टीकों (अर्थात पोलियों, खसरा तथा रैबीज टीकों) का निर्माण करने के लिए फ्रांस के पास्चर मेरियू सीरम्स एंड वैक्सीन्स (पीएमएसवी) के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम कम्पनी इण्डियन वैक्सीन्स कार्पोरेशन लिमिटेड (इवकॉल) की मार्च, 1989 में स्थापना की गई है।

(ख) और (ग). इवकॉल का प्रवर्तन भारत सरकार (बायोटेक्नोलॉजी विभाग), इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) तथा पीएमएसवी द्वारा किया गया। तीनों प्रवर्तकों ने फरवरी, 1989 में संयुक्त उद्यम समझौते तथा तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कुछ गतिविधियों ने कम्पनी के उत्पाद मिक्स में परिवर्तन करना आवश्यक बना दिया है। इस समय जिस उत्पाद मिक्स का सुझाव दिया गया है वह है ओरल पोलिया, खसरा तथा रैबीज टीका, जिसे अद्यतन प्रौद्योगिकी अर्थात् वेरी कोशिका आधारित सूक्ष्म वाहक किण्वन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा।

(घ) परियोजना के लिए भूमि हरियाणा के गुड़गांव जिले में अधिग्रहीत की गई है तथा भूखण्ड विकास कार्य पूरा हो गया है। गुड़गावं स्थित परियोजना स्थल पर संयंत्र, अन्य प्रक्रिया तथा गैर-प्रक्रिया भवन का सिविल निर्माण लगभग 42 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। विशेषज्ञ समिति सहित प्रवर्तकों के बीच विचार-विमर्श के कई दौर हुए। प्रौद्योगिकी अंतरण की प्रक्रिया तथा अन्य सम्बद्ध मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए इस मामले पर विचार-विमर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाएं

2441. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ लोक सेवा आयोग को तद्नुसार निर्देश जारी कर दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

(घ) किन परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा में चुनने का कोई विकल्प नहीं है; और

(ङ) इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा में करने हेतु कब तक प्रावधान किया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ङ). इस मुद्दे तथा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को समाप्त करने की मांग को डा. सतीशचन्द्र समिति की अध्यक्षता में स्थापित एक विशेषज्ञ समिति को भेजा गया था। समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। चूंकि ये मुद्दे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इनकी भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई हैं अतः सरकार का प्रयास सर्वसम्मति तैयार करना है और इसके लिए मुख्य मंत्रियों के विचार भी मांगे गए हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाएं, जिनमें हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा का विकल्प नहीं दिया गया

1. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा
2. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा
3. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा
4. स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिसेज परीक्षा
5. भारतीय वन सेवा परीक्षा
6. इंजीनियरी सेवा परीक्षा
7. भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा
8. भू-विज्ञान परीक्षा

[अनुवाद]

रिक्त पदों को भरना

2442. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों में "ओक्यूपेशनल थिरेपिस्ट" और "फिजियोथिरेपिस्ट" के अनेक पद इस समय रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल प्रत्येक में फिजियोथिरेपिस्टों के 2 पद खाली पड़े हैं।

(ख) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक पद अनुसूचित जाति तथा दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सफदरजंग अस्पताल में एक पद अनुसूचित जाति तथा दूसरा अन्य पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है।

(ग) रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के लिए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक चयन समिति गठित की गई है।

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए रोजगार कार्यालय से संपर्क किया जा रहा है।

रिक्त पदों को भरने के लिए सफदरजंग अस्पताल द्वारा रोजगार समाचार में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तरिक्ष केन्द्र

2443. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने एशिया और प्रशांत सागरीय क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अन्तरिक्ष केन्द्र की स्थापना हेतु भारत का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन ने भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तरिक्ष केन्द्र की स्थापना का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (काप्यूस) की विकासशील देशों में विद्यमान राष्ट्रीय/क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थानों में अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिक शिक्षा के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व करना चाहिए, से संबंधित सिफारिश को पृष्ठांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसरण में चीन, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाइलैण्ड ने एशिया प्रशान्त क्षेत्र के लिए इस केन्द्र की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया है। संयुक्त राष्ट्र के एक मूल्यांकन मिशन ने इस प्रस्तावों की जांच की और अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत के प्रस्ताव में प्रस्तुत पेशकश और वचनबद्धता इस क्षेत्र में केन्द्र की शीघ्र स्थापना और प्रचालन के अनुकूल है। तद्नुपरान्त बाह्य अन्तरिक्ष कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने इस केन्द्र की स्थापना के लिए भारत के चयन के संबंध में एक वक्तव्य जारी किया। यह केन्द्र मुख्य रूप में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की अवसंरचना के आसपास देहरादून में स्थापित किया जायेगा। अन्तरिक्ष संचार तथा अन्तरिक्ष विज्ञान जैसे विशिष्ट कार्यक्रम अवयवों के लिए इस केन्द्र की एक यूनिट अहमदाबाद में स्थापित की जायेगी।

(ग) और (घ). बाह्य अन्तरिक्ष कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय द्वारा चयन के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया पर चीन के कुछ विचार हैं। चीन का तर्क है कि बाह्य अन्तरिक्ष कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय को संयुक्त राष्ट्र के मूल्यांकन मिशन की रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर स्थान की घोषणा किए जाने के स्थान पर इस क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच परामर्श के आधार पर अथवा इस क्षेत्र के उन सदस्य देशों, जोकि बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्य हैं, की सर्वसम्मत सहमति के आधार पर चयन का निर्णय लेना चाहिए था। इस केन्द्र की स्थापना के लिए भारत ने पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

मानसिक रोग अस्पताल

2444. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को रांची, आगरा, तथा ग्वालियर मानसिक रोग अस्पतालों के प्रबन्धन हेतु स्वायत्त निकायों की स्थापना करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना कब से प्रभावी होगी;

(ग) क्या स्वायत्त निकाय दयाल रिपोर्ट में जोड़े गए नियमों द्वारा संचालित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) संबंधित राज्य सरकारों को स्वायत्त निकाय स्थापित करने के निदेश दिये गये हैं।

(ख) उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रबंध समिति पहली अक्तूबर, 1994 को या उससे पहले गठित की जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रबंध समिति को पूरे प्रशासनिक व वित्तीय पूर्ण अधिकार होंगे। संस्थानों के निदेशक राज्य स्तर के विभागाध्यक्ष की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अस्पतालों की रिपोर्ट तथा अंकेक्षित लेखे संबंधित विधान सभाओं के समक्ष रखे जायेंगे।

[हिन्दी]

एल.टी.सी. सुविधाएं

2445. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हर दो वर्ष के बाद भारत भ्रमण एल.टी.सी./होम टाउन यात्रा भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ऐसे मामलों में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों को प्रत्येक दो वर्ष के बाद उनके वेतन के बराबर नकद भुगतान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली 1988 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारी गृह नगर के मामले में दो वर्ष के एक ब्लाक में एक बार तथा भारत में किसी भी स्थान के लिए चार वर्ष के एक ब्लॉक में एक बार एल.टी.सी. सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं। भारत में किसी भी स्थान की यात्रा का सुविधा चार वर्ष के ब्लाक के दौरान उपलब्ध दो गृह नगर रियायतों में से एक की एवज में है।

(ख) चूंकि छुट्टी यात्रा रियायत के दावों की जांच तथा उन पर कार्रवाई विभिन्न मंत्रालयों, विभागों/कार्यालयों से संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है, अतः अलग-अलग मामलों में अनियमितताओं के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) छुट्टी यात्रा रियायत एक ऐसी सुविधा है, जो सरकारी कर्मचारी को अपने सामाजिक दायित्व निभाने के लिए दो वर्ष में एक बार गृह नगर जाने अथवा अपने देश की विविध सांस्कृतिक विरासत के परिचित होने के लिए चार वर्ष में एक बार भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए प्रदान की जाती है। इस सुविधा के एवज में नकद भुगतान करना योजना के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा।

[अनुवाद]

उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों के वेतनमान

2446. श्री वेल्लैया नंदी :
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों को पूर्व की तरह रखते हुए सहायक कैडर के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करके वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों में भी संशोधन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों में कब तक संशोधन कर दिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1-1-1986 से सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा अवर श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों में संशोधन किए गए थे। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 1538/87 में दिनांक 23-5-89 को दिए गए निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों तथा अन्य तुलनीय ग्रेडों के पदों के वेतनमान में दिनांक 31-7-90 के एक आदेश द्वारा इसे और संशोधित करके 1640-2900/- रुपए कर दिया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन संबंधी मामला मई, 1992 में विवाचन बोर्ड को भेजा गया था। बोर्ड ने जून, 1994, सितम्बर, 1994 तथा मार्च, 1995 में इस मामले की सुनवाई की थी। इसे सुनवाई समाप्त करके अपना अधिनिर्णय देना है। जहां तक अवर श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन का संबंध है, यह मामला पांचवें वेतन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

[हिन्दी]

पेयजल और सफाई योजनाएं

2427. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैंड की सहायता से उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित कुल ग्रामीण पेयजल और सफाई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये योजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जायेंगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल के लिए तीन समेकित योजनाएं हैं जिनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए जांच की जा रही है। योजनाओं के एक बार सभी प्रकार से व्यवहार्य हो जाने के बाद उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की मार्फत नीदरलैंड सरकार को अनुमोदनार्थ भेज दिया जायेगा।

ग्रामीण विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता

2448. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ग्रामीण विकास हेतु गुजरात को ऋण देने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक के एक दल ने इस संबंध में गुजरात की यात्रा की है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का अन्य राज्यों को भी ये सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं। तथापि, विश्व बैंक ने फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पेयजल सप्लाई के लिए गुजरात को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ सहायता दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्व बैंक के एक दल ने ग्रामीण जल सप्लाई के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए गुजरात का दौरा किया था।

(घ) जी, नहीं। विभिन्न राज्यों के लिए परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी व्यवहार्यता तथा अन्य संबंधित बातों के अनुसार मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेवा निवृत्ति की आयु

2449. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंक, विश्वविद्यालय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु एक समान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मामला पांचवें वेतन आयोग के भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों की अधिकांश श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु पहले से ही समान है। विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है जो अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु के सम्बन्ध में अपनी-अपनी उप-विधियों द्वारा शासित होते हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा-शर्तें पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचाराधीन हैं जो सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु पर भी गौर करेगा।

आंध्र प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम योजना

2450. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत किन-किन जिलों को चुना गया है;

(ग) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी; और

(घ) इन योजनाओं को पूरा करने हेतु लक्षित निधियां क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) योजना के अंतर्गत अनंतपुर, कुरनूल एवं महबूब नगर जिलों का चयन किया गया है।

(ग) प्रस्तावित योजना एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए अनंतपुर, कुरनूल एवं महबूब नगर जिलों में चलायी जा रही है ताकि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रबंध कार्य भी संभाल सके। परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण सहायता कार्यक्रम शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम योजना को सहायता करनी होगी। ग्रामीण सहायता कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

(1) ग्रामीण विकास का प्रबंध करने के लिए सामुदायिक संगठन का सृजन, उसे प्रोत्साहन देना एवं उसकी सहायता करना;

(2) स्थानीय गरीबों के लिए स्थायी विकास पैटर्न के अवसरों का पता लगाने के लिए सहायता करना;

(3) लाभार्थियों को उनके विकास से संबंधित विषयों में प्रबन्धकीय तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देना;

(4) सामुदायिक संगठनों, जो ग्रामीण विकास के लिए सहायता व सेवाएं मुहैया करा सकें, को सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों आदि से जोड़ने का कार्य;

(5) नियमित बचत को प्रोत्साहन देना, समूह प्रबंध तथा ऋणों की अदायगी की मार्फत उचित ऋण व्यवहार के विकास पर विशेष बल देना;

(6) स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध तथा ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देना;

(7) अन्ततः इसका उद्देश्य अपने स्थान पर पूरी तरह स्थानीय संस्थाओं को लाना। परियोजना के अंत में यह अपेक्षा की जाएगी कि :

(क) प्रत्येक प्रदर्शन क्षेत्र में कम से कम 2000 बुनियादी संगठनों को स्थापित कर लिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक प्रदर्शन क्षेत्र में आधारभूत संगठनों की मार्फत कम से कम 80,000 प्रत्यक्ष लाभार्थियों को जुटा लिया जाएगा।

(ग) प्रत्येक प्रदर्शन क्षेत्र में आय बढ़ने से कम से कम 4,80,000 अप्रत्यक्ष लाभार्थियों को लाभ होगा।

(घ) बुनियादी संगठनों और सरकार तथा निजी एजेंसियों के बीच सीधा संबंध स्थापित कर लिया जाएगा।

(ङ) देश के अन्य भागों में चलाने के लिए एक व्यवहार्य मॉडल तैयार हो चुका होगा।

परियोजना के प्रथम वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास योजना द्वारा दी जाने वाली सहायता एक मिलियन यू एस डॉलर होगी।

परियोजना अवधि के शेष भाग के दौरान सहायता 2-3 मिलियन यू एस डॉलर प्रति वर्ष हो सकती है।

(घ) परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 2002 ई. है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन

2451. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन (यूनीस्पेस) को आयोजित किए जाने वाले स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विकसित देशों ने भारत की उपेक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। बाह्य अन्तरिक्ष की खोज और शन्तिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (तृतीय यूनीस्पेस सम्मेलन) के आयोजन के लिए स्थान के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है। इस समय संकेन्द्रित उद्देश्यों, कार्यसूची और अन्य पहलुओं पर बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति में विचार किया जा रहा है। सम्मेलन की कार्यसूची तथा स्वयं सम्मेलन के आयोजन पर सहमति हो जाने के बाद इसके आयोजन के स्थान के प्रश्न पर विचार किए जाने की आशा है।

(ख) जी, नहीं। चूंकि इस संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है, अतः इस सम्मेलन के आयोजन स्थल के बारे में भारत के प्रस्ताव की उपेक्षा नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कंसल्टेशन चैम्बर

2452. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा विंग में इस सेवा के लाभार्थियों के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों के अन्तर्गत चेम्बर खोला है;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के और अधिक कंसल्टेशन चैम्बर खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर; और

(घ) ये कब तक खोले जाएंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

कश्मीरी विस्थापित

2453. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर से अब तक आए विस्थापितों की संख्या कितनी है;

(ख) विद्यार्थियों के अध्ययन तथा राज्य कर्मचारियों और राज्य में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की नौकरियों हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा विस्थापितों के घाटी में पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा विस्थापितों की सम्पत्ति के सुरक्षार्थ किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के भिन्न-भिन्न भागों में 47,980 परिवारों को, जम्मू एवं कश्मीर से आए प्रवासियों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवासी छात्रों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रवेश सुविधाएं दी जा रही हैं। जम्मू में तीन प्रवासी कैम्प कालेज, आठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और दो हाई स्कूल स्थापित किए गए हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा जम्मू में एक उपरजिस्ट्री खोली गई है। राज्य सरकार के प्रवासी कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जा रहा है। उनमें से कुछ की सेवाएं जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्र में तथा प्रवासी विद्यालयों/कालेजों में ली जा रही हैं।

(ग) उग्रवाद के खिलाफ एकजुट प्रयास जारी हैं। प्रवासियों की वापसी के लिए माहौल तैयार करने के लिए विश्वास बहाल करने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार नवम्बर, 1994 तक इन प्रवासियों को नकद सहायता, आवास/शैल्टर, राशन आदि जैसी राहत सुविधाएं दिए जाने के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा 180 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाए जाने के अतिरिक्त नाजुक क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार गश्त लगाई जा रही है।

[हिन्दी]

लघु-पन बिजली परियोजनाएं

2454. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लघु-पन बिजली परियोजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को अब तक वर्षवार और परियोजना-वार कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) पूरी हो चुकी और निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और शेष परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां। राज्यवार उपलब्ध कराई गई धनराशि का एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1988-89 से 1994-95 की अवधि के दौरान अब तक लगभग 107 सेवा समग्र क्षमता की मंजूर की गई 93 परियोजनाओं में से 3.95 सेवा क्षमता की 11 परियोजनाएं आरम्भ (कमीशन) हो चुकी हैं। चल रही शेष परियोजनाएं संभवतया अगले तीन वर्षों के दौरान पूरी कर ली जायेंगी।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की आर्थिक राजसहायता योजना के अंतर्गत लघु-पन बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा

15.3.95 को

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	यूनिट आकार (किवा.)	15 मार्च, 1995 तक जारी की गई धनराशि (रु. लाख)
1	2	3	4
हरियाणा			
1.	ककरोई	3×100	110.000
हिमाचल प्रदेश			
2.	जुबाल	1×150	27.870
3.	मनाली	2×100	54.600
4.	होली	2×1500	187.500
5.	साल चरण-II	2×1000	150.000
6.	भाभा अग. स्कीम	2×1500	212.500
7.	गुम्मा	2×1500	54.000
	उप जोड़		688.470
पंजाब			
8.	कंगनवाल	2×650	115.949
9.	बोवानी	2×500	114.500
10.	जगेरा	2×500	114.500
11.	खतरा	2×500	83.225
	उप जोड़		428.174
उत्तर प्रदेश			
12.	बहादराबाद	2×125	15.000
13.	बिलकोट	1×50	10.000
14.	खेट	2×50	18.000
15.	कर्मी	1×50	5.625
16.	बगार	1×50	5.625
17.	लाठी	2×50	11.250
18.	नैनी	1×50	13.520
19.	गोगीना	1×50	20.250
20.	लेटी	1×50	5.000
21.	बेचाम	2×50	10.000
22.	सुरग	1×50	6.250
23.	बद्रियाकोट	2×50	6.250
24.	खाटी	1×50	5.625
25.	चरनदेव	2×200	8.000
26.	पिलानगढ़	3×750	21.750
27.	तालेश्वर	3×200	10.800
28.	जूमागढ़	2×600	135.800
29.	उरगम	2×1500	214.620
30.	जानकीचट्टी	2×100	28.000
31.	इस्तारगढ़	2×100	20.000
32.	देओर-विस्तार	1×50	1.000
33.	गाजरिया विस्तार	1×50	0.920
	उप जोड़		573.265
मध्य प्रदेश			
34.	सतपुरा	2×500	118.000
35.	चरगांव	1×800	96.306
36.	चम्बल	3×600	194.450
37.	भीमगढ़	2×1200	199.832
38.	कोर्बा	1×800	38.598
39.	तिलवाड़ा	1×250	40.494
40.	बर्ना	2×750	10.125
41.	बीरसिंहपुर	2×1100	14.850
42.	कोर्बा स्टेशन-II	1×1000	6.250
43.	असन फॉल	1×2700	20.250
44.	कोलार	1×1500	
		1×500	13.500
	उप जोड़		752.655
महाराष्ट्र			
45.	करंजवान	1×3000	85.340
आन्ध्र प्रदेश			
46.	श्री रामसागर (9 एम)	2×500	110.000
47.	श्री रामसागर (14 एम)	2×500	105.000
48.	श्री रामसागर (16 एम)	2×500	110.000
49.	चेत्तीपेट्टा (9 एम)	2×500	64.000
50.	एम 6-2-330 फिट.	2×500	41.840
51.	एम 6-7-110 फिट.	2×500	40.925
52.	एम 18-1-330 फिट.	2×750	45.320
53.	एम 12-3-334 फिट.	2×325	32.340
54.	एम 21-7-600 फिट	2×325	4.380
	उप जोड़		553.805

1	2	3	4
तमिलनाडु			
55.	अलियार	2×1250	16.875
56.	थिरूमूर्ति	3×650	13.160
57.	मूकूर्थी	2×350	11.340
58.	पेरूनघतल	2×650	8.775
	उप जोड़		50.150
बिहार			
59.	नेतेरहट	1×50	–
60.	सदानी	2×500	–
61.	लोअर घघारी	2×200	–
उड़ीसा			
62.	बारबोरिया	2×325	90.000
63.	केडुपतना	2×250	85.000
64.	हारभी	1×1000	54.920
65.	अधेरीभागी	1×325	11.600
66.	बडनाला	2×325	30.060
67.	बीरीबाती	2×325	40.000
68.	पोटेरू-I	1×3000	50.000
69.	पोटेरू-II	1×3000	50.000
	उप जोड़		411.580
सिक्किम			
70.	रोंबोमचू	2×1500	52.730
पश्चिम बंगाल			
71.	रंगमूक और सेडारस	4×125	32.400
72.	मंगपू राम्मी खोला	4×500	24.190
73.	मंगपू खाली खोला	4×750	29.500
	उप जोड़		86.090
अरुणाचल प्रदेश			
74.	सिइपी	3×1000	270.000
75.	सिपित	2×1000	180.000
76.	लिरोमोबा	2×1000	180.000
77.	किट्पी	3×1000	270.000
78.	सरनायक	1×1000	80.450
79.	दोमक्रोंग	2×1000	124.084
80.	कुश	2×1000	84.080
	उप जोड़		1186.510

1	2	3	4
मणिपुर			
81.	खुमा चरण -II	1×250	5.000
82.	सिंगड़ा	3×250	10.224
	उप जोड़		15.224
मेघालय			
83.	गलवांग	2×50	2.250
84.	रौंगप	2×50	2.000
	उप जोड़		4.250
मिजोरम			
85.	तेरई	3×1000	40.300
86.	तुईपुंगलई	2×1500	30.900
87.	कॉ-तलबंग	2×750	16.000
88.	नंगलगुरल	2×250	5.00
89.	लाम सिअल	2×100	2.730
90.	लुगमूल	2×100	2.390
	उप जोड़		97.320
नागालैंड			
91.	होरमंकी	3×500	189.000
92.	वंग	2×500	17.210
93.	तेलंगसाओ	2×300	67.500
	उप जोड़		273.710

11.04 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 12 बजे मध्याह्न तक के लिये स्थगित हुई।

12.01 म.प.

लोक सभा 12.02 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

12.01 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

(व्यवधान)

12.01½ म.प.

इस समय कुमारी ममता बनर्जी तथा कुछ अन्य सदस्य आकर सभा पटल पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

12.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म.प.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

2.02 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

बिहार में मतगणना के बारे में

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय हमने अध्यक्ष के कक्ष में यह निर्णय लिया कि सभा को यह जानकारी दी जाए कि बिहार के कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतगणना शुरू की जाएगी।...(व्यवधान)

यदि आप माननीय सदस्यों को अपने स्थानों पर बैठने और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का अनुरोध करें तो मैं वह जानकारी देना चाहूंगा जो मुझे मिली है। (व्यवधान) यह सदस्यों के लिए उपयोगी होगी। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : जनता दल सदस्यों का यह व्यवहार ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह अत्यंत अनुचित है। मंत्री महोदय, यदि आप सदस्यों को सभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव 4.00 बजे लाए तो मैं उसे अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 4.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.05 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 4.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

4.00 म.प.

लोक सभा 4.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले उनकी बात को सुन लीजिए।

(व्यवधान)

4.01 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय उन्हें पहले मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए...(व्यवधान)

महोदय, उन्हें पहले मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जाना है...(व्यवधान) महोदय, ऐसा लगता है कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

4.02 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1995-96 के लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : महोदय, मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

वर्ष 1995-96 के लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7270/95]

वर्ष 1995-96 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

वर्ष 1995-96 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मागों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7271/95]

वर्ष 1995-96 के लिए नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वर्ष 1995-96 के लिए नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मागों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7272/95]

(2) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7273/95]

वर्ष 1995-96 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री श्री. वेंकट स्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

1995-96 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7274/95]

1995-96 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : महोदय, मैं श्री बलराम सिंह यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

वर्ष 1995-96 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7275/95]

वर्ष 1995-96 के लिए संचार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री सुखराम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वर्ष 1995-96 के लिए संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग सहित) पर केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7276/95]

(2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 871 (अ), जो 20 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 27 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 543 (अ)* के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया गया है, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7277/95]

वर्ष 1995-96 के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री एदुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

वर्ष 1995-96 के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7278/95]

कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियम, 1995 आदि

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियम, 1995, जो 21 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710/1 (एम)/ 17 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7279/95]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7280/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 69(अ), जो 15 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के 10 अधिकारियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7281/95]

(4) कंपनी अधिसूचना, 1956 की धारा 4-क की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ.98 (अ), जो 15 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1329 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7282/95]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 609 की उपधारा (2) के अंतर्गत कंपनी (संशोधन) विनियम, 1995, जो 17 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 73 (अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7283/95]

(6) अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी अभिलेखों का निपटान (कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालयों में) संशोधन नियम, 1995, जो 17 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72(अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7284/95]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 101(अ), जो 1 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-चौदह में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7285/95]

(8) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7286/95]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचना आदि

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 935 (अ), जो 26 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अमरावती श्री वेंकटेसा पेपर मिल्स लिमिटेड, मिड्डापडी, तमिलनाडु को अखबारी कागज बनाने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7287/95]

(2) (एक) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7288/95]

कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा सहित लेखापरीक्षित प्रतिवेदन और उन्हें सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण आदि

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1993-94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7289/95]

(3) (एक) प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र, कन्नौज के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र, कन्नौज के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7290/95]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ओमनिबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादरा एण्ड नगर हवेली लिमिटेड, माती दमन के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनिबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादरा एण्ड नगर हवेली लिमिटेड, मोती दमन का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7291/95]

वर्ष 1995-96 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें तथा वर्ष 1995-96 के लिए रक्षा सेवाओं के प्राक्कलनों की एक प्रति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री मल्लिकार्जुन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वर्ष 1995-96 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7292/95]

(2) वर्ष 1995-96 के लिए रक्षा सेवाओं के अनुमानों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7293/95]

वर्ष 1995-96 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही) : महोदय, श्रीमती मारग्रे आल्वा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

वर्ष 1995-96 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7294/95]

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम 1937, के अंतर्गत अधिसूचना आदि

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम 1937 की धारा 3 की उपधारा(3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सोयाबीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1993, जो 2 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखरोट श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1993, जो 2 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 163 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7295/95]

(दो) वर्ष 1995-96 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7296/95]

वर्ष 1995-96 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वर्ष 1995-96 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) वर्ष 1995-96 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7297/95]

(2) वर्ष 1995-96 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7298/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय नाभकीय शक्ति निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय नाभकीय शक्ति निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7299/95]

(5) (एक) टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान,मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7300/95]

(7) वर्ष 1995-96 के लिए अंतरिक्ष विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7301/95]

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 80(अ), जो 4 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 को प्रवृत्त करने हेतु 4 फरवरी, 1995 की तारीख नियत की गयी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7302/95]

(2) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 81(अ), जो 4 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों को सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को समुचित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7303/95]

(3) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उपधारा (4) के खंड (क) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 82 (अ), जो 4 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए तीन-तीन सदस्यों की प्राधिकरण समितियों का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7304/95]

(4) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत मानव अंग प्रतिरोपण नियम, 1995, जो 4 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7305/95]

भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (फीस के लिए मानक और दिशानिर्देश तथा दन्त चिकित्सा कालेजों मे दाखिले के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 1994

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) दंत-चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद् (फीस के लिए मानक और दिशा-निर्देश तथा दं. चिकित्सा कालेजों में दाखिले के लिए दिशा-निर्देश) विनियम, 1994 जो 9 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी.बी. -22-94/4194 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7306/95]

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 33 के अंतर्गत जारी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (फीस के लिए मानक और दिशा-निर्देश तथा आयुर्विज्ञान कालेजों में दाखिले हेतु दिशा-निर्देश) विनियम, 1994 जो 21 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एम सी आई.-34 (41)/94-मेड(एन) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7307/95]

(3) (एक) सेंट्रल कौंसिल आफ इंडियन मेडिसीन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल कौंसिल आफ इंडियन मेडिसीन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7308/95]

(5) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7309/95]

(7) (एक) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7310/95]

(9) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ऑंकोलोजी, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ऑंकोलोजी, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ऑंकोलोजी, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7311/95]

बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 28 मार्च, 1995 को जारी उद्घोषणा आदि

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च, 1995 को जारी उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 28 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 293(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7377/95]

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च, 1995 को दिये गये आदेश, जो 28 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2294(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7378/95]

(21) बिहार के राज्यपाल की राष्ट्रपति को प्रेषित 24 मार्च, 1995 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7379/95]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.एम. सईद वक्तव्य देंगे; आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

4.04 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-

वक्तव्य

महोदय,

सर्वप्रथम मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करते हुए एक अधिघोषणा, संविधान के अनुच्छेद-356 के अधीन पिछली रात राष्ट्रपति ने सहर्ष जारी की। चूंकि अधिघोषणा देर शाम जारी की गई थी, इसलिए अधिघोषणा से संबंधित कागजात जल्दी ही संसद के दोनों सदनों में रखे जाएंगे। तथापि, राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं, इसलिए मैंने यह उचित समझा कि सदन को उस पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दूं, जिसके कारण राष्ट्रपति को यह सिफारिश की गई।

जैसाकि सदन को मालूम है, बिहार विधान सभा का कार्यकाल 15 मार्च, 1995 को समाप्त हो गया था और राज्यपाल के अनुरोध पर श्री लालू प्रसाद यादव को कामचलाऊ मुख्य मंत्री के रूप में काम करते रहने के लिए कहा गया था क्योंकि उस समय चुनाव प्रक्रिया 29 मार्च, 1995 तक पूरा कर लिए जाने की आशा थी।

बिहार विधान सभा की अवधि की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने, प्रारी में चुनावों की तारीखें इस तरह नियत की थी कि इस विधान सभा की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही नई विधान सीभा का गठन किया जा सके। तथापि, कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति, जिसे कि आयोग ने असंतोषजनक माना, को देखते हुए आयोग ने अपने 1 मार्च, 1995 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि चुनाव 11, 15 और 19 मार्च, 1995 को कराए जाएं।

,चुनाव आयोग द्वारा अपने 3 मार्च, 1995 के आदेश के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए, चुनाव क्षेत्रों में केन्द्रीय बलों की तैनाती के साथ-साथ, शेष चुनावों की तिथि 15, 21 तथा 25 मार्च, 1995 पुनर्निर्धारित की गई । यह परिवर्तन, राज्य में हुए मतदान (11 मार्च) के पहले दिन हुई चुनावी गड़बड़ियों की घटनाओं के आधार पर किया गया था।

भारत के चुनाव आयोग के दिनांक 13 मार्च, 1995 के उपर्युक्त अदेशानुसार, राज्य में चुनाव प्रक्रिया 29 मार्च, 1995 तक पूरी की जानी थी। तथापि, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने 22 मार्च, 1995 के अपने आदेशानुसार चुनाव के अंतिम चरण का पुनः निर्धारण कर दिया तथा यह आदेश दिया कि चुनाव की नई तारीखें मार्च, 25 और 28, 1995 होंगी जिसके कारण राज्य में चुनाव प्रक्रिया 31 मार्च, 1995 तक पूरी होगी। केवल उन विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के अलावा जहां 28 मार्च, 1995 को चुनाव होंगे, तथा जहां यह प्रक्रिया 30 मार्च, 1995 को आरम्भ होगी, शेष क्षेत्रों में मतगणना की प्रक्रिया 29 मार्च, 1995 को आरम्भ होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त के 22 मार्च, 1995 के आदेश को ध्यान में रखकर बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें यह कहा गया था कि चुनावों के पुनर्निर्धारण को देखते हुए वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 1995) के अंत तक एक चुनी हुई सरकार का गठन हो पाना असंभव प्रतीत होता है। ताकि विधिवत रूप से चुनी हुई एक सरकार के लिए बजट प्राप्त करने अथवा 01 अप्रैल, 1995 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-अनुदान प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त हो जाए। राज्यपाल ने आगे यह मत प्रकट किया, कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें बिहार राज्य सरकार को संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता था तथा संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करना तथा राष्ट्रपति शासन लागू करना ही इसका एक मात्र विकल्प था।

यह उल्लेख भी किया जाता है कि बिहार के राज्यपाल ने अपने तारीख 25 मार्च, 1995 के पत्र के जरिए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री द्वारा प्राख्यापन के लिए उन्हें सौंपे गए अध्यादेश के मसौदे पर केन्द्र सरकार की सलाह मांगी थी। अध्यादेश के इस मसौदे में, लेखानुदान के जरिए बिहार को समेकित निधि से 1700 करोड़ रु के खर्च को स्वीकृत करने की व्यवस्था है। राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत इस प्राख्यापन की संवैधानिकता के बारे में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि-कार्य विभाग) की सलाह मांगी गयी थी। वहां से यह सलाह मिली थी कि इस प्रकार का विधायन कानूनी रूप से गलत होगा।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, सदन इस बात को समझेगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन केवल संविधान की भावना की अनुरूपता बरकरार रखने और 31 मार्च, 1995 के बाद की अवधि के लिए वित्तीय प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। सरकार हर कीमत पर प्रजातांत्रिक परम्पराओं और संविधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रणव मुखर्जी वक्तव्य देंगे। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

4.04 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य जारी

(दो) श्रीलंका की राष्ट्रपति महामान्या श्रीमती चन्द्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा की भारत यात्रा

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं श्रीलंका की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती चन्द्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा की भारत यात्रा के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-

वक्तव्य

श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका भण्डारनायके कुमारतुंगा 25 से 28 मार्च, 1995 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आईं। उनके साथ विदेश मंत्री श्री लक्ष्मण कादिरगामर, व्यापार मंत्री श्री किंजले विक्रमरत्ने तथा वरिष्ठ सलाहकार एवं अधिकारी भी आए। अपनी इस यात्रा के दौरान श्रीलंका की राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से मिलीं तथा भारत के उप राष्ट्रपति ने भी उनके साथ विचार-विमर्श किया। श्रीलंका की राष्ट्रपति ने 25 मार्च को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की, जिसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच विचार-विमर्श हुए। मैंने श्रीलंका की राष्ट्रपति तथा उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया। वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह भी इन गणमान्य अतिथियों से मिले। दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई तथा इनमें दोनों देशों के बीच समझबूझ और गहन करने की परस्पर इच्छा परिलक्षित हुई।

इन विचार-विमर्शों के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि भारत उस देश के निर्यात हित की कतिपय विशिष्ट मदों पर श्रीलंका को सीमा शुल्क में रियायत देगा। भारत श्रीलंका को 30 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर की राशि का ऋण देने के लिए भी सहमत हो गया है ताकि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार एवं वाणिज्यिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाया जा सके। माननीय सदस्यों को यह मालूम ही होगा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान श्रीलंका को भारत द्वारा किए जा रहे निर्यात में कई गुणा वृद्धि हुई है, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि परस्पर लाभ के व्यापार का विस्तार करने तथा श्रीलंका में भारतीय निवेश बढ़ाने की अभी भी बहुत गुंजाइश है।

श्रीलंका की राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के साथ मेरी मुलाकात के दौरान हमारे द्विपक्षीय संबंधों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उपयोगी विचार-विमर्श हुआ। इस बात पर सहमति हुई कि भारतीय मछुआरों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच यथाशीघ्र विचार-विमर्श किया जाएगा। इन विचार-विमर्शों के दौरान दोनों पक्षों ने भारत से श्रीलंका के शरणार्थियों की निर्विघ्न स्वदेश-वापसी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जारी रखने पर भी बल दिया।

श्रीलंका और भारत दोनों प्रभावकारी क्षेत्रीय सहयोग विकसित करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हैं। हमारे दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि "साप्ता" को शीघ्र क्रियात्मक बनाए जाने की आवश्यकता है। इन विचार-विमर्शों के दौरान इस बात पर गौर किया गया कि श्रीलंका की राष्ट्रपति सार्क देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए शीघ्र एक बार फिर भारत की यात्रा पर आएंगी।

प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत में श्रीलंका की राष्ट्रपति ने शान्ति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने तथा जातीय मसले को सुलझाने की दिशा में श्रीलंका की सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों के विशेष संदर्भ में श्रीलंका की स्थिति के मूल्यांकन से अवगत कराया। इससे बात को दोहराया गया कि भारत सदा ही यह चाहता रहा है कि इस मसले को बातचीत के जरिए शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सुलझाया जाए। श्रीलंका में शान्ति तथा स्थिरता की बहाली का इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रभाकरन की गिरफ्तारी के संबंध में भारतीय कानून की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा जो कार्यवाही की जा चुकी है, उस पर श्रीलंका की सरकार ने गौर किया है। माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि मद्रास स्थित मनोनीत न्यायालय, जिसमें राजीव गांधी की हत्या के मामले में मुकदमा चल रहा है, ने टाडा की धारा 8(3) (क) के अधीन प्रभाकरन के विरूद्ध गिरफ्तारी तथा उद्घोषणाओं के वारंट जारी किए थे। श्रीलंका की सरकार के अनुमोदन से इन्हें 1992 में श्रीलंका के प्रमुख तमिल तथा अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया गया था। इन उद्घोषणाओं के अनुसार वी. प्रभाकरन को निदेश दिया गया था कि वह 28.2..92 को अथवा उससे पहले मनोनीत न्यायालय के समक्ष पेश हो। इस अन्तिम तारीख के निकल जाने, और अभियुक्त के न्यायालय में पेश न होने पर, इस मामले में आगे कानूनी कार्यवाही की जा रही है। 20 मई, 1992 को विशेष जांच दल ने मद्रास स्थित मनोनीत न्यायालय में प्रमुख अभियुक्त वी. प्रभाकरन के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया। अप्रैल, 1994 में इन्टरपोल के माध्यम से "रेड कार्नर नोटिस" परिचालित किया गया जिसमें वी. प्रभाकरन की गिरफ्तारी का अनुरोध किया गया था।

श्रीलंका की राष्ट्रपति, जो अपनी पहली राजकीय द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर आई थीं, के साथ विचार-विनिमय अत्यधिक उपयोगी रहा। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि श्रीमती कुमारतुंगा द्वारा श्रीलंका की राष्ट्रपति का पदभार सम्भालने के तुरन्त बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री लक्ष्मण कादिरगामर भारतीय नेताओं के साथ बातचीत के उद्देश्य से गत दिसम्बर में भारत आए थे। ये घनिष्ठ तथा नियमित सम्पर्क दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की सरकारों तथा जनता के बीच मैत्री, द्विपक्षीय संबंध और बेहतर समझ-बूझ बनाए रखने के लिए दी जाने वाली प्राथमिकता के द्योतक हैं।

4.06 म.प.

(व्यवधान)

बिहार में मतगणना के बारे में जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री एस.बी. चव्हाण चुनाव के बारे में सूचना देंगे।

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : महोदय, बिहार में मतगणना शुरू हो गई है। अद्यतन जानकारी के अनुसार 251 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना जारी है...**(व्यवधान)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : अध्यक्ष महोदय, कार्यसूची में काफी महत्वपूर्ण कार्य है। सभा को, जो वित्तीय कार्य करने हैं, वो लंबित पड़े है। विपक्ष इसे रोकने का प्रयास कर रहा है। विशेषकर जनता दल के सदस्य सभा की कार्यवाही को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वे समस्या खड़ी करना चाहते हैं। वे जटिल स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सभा की कार्यवाही शुरू करने दें तथा सभाओं के कार्य करने का निदेश दें, जो आवश्यक है, और हमें तत्काल शुरू करनी है ...**(व्यवधान)**

महोदय, वे समस्या खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सिर्फ बहाने ढूढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में यह बात होगी कि वे बिहार में चुनाव हार रहे हैं। उन्हें भय होगा कि वे बिहार में सत्ता खोयेंगे। इसीलिए वे सभा में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वे लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं परंतु वे सभा के बीच में आकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जनता दल और वामपंथी दलों के क्रियाकलाप लोकतंत्र और इस सभा की हत्या के समान है और हम ऐसा क्रियाकलाप मानने नहीं देंगे। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इनकी तानाशाही हम इस सदन के अंदर नहीं चलने देंगे। यह लोग इस सदन में बिल्कुल तानाशाही का काम कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, ये लोग इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने बिहार में किस तरह से चुनाव लड़ा है। यह दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने बिहार में ही गड़बड़ नहीं की है बल्कि ये यहां सदन में भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को सभा में उचित व्यवहार करने का एक और अवसर देता हूं। यदि वे सभा में उचित व्यवहार नहीं करते हैं तो कल आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मैं सभा को कल प्रातः 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित करता हूं।

4.09 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 30 मार्च, 1995/9 चैत्र 1917 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।